सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

श्री अशोक गहलोत
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार

श्री शान्ति धारीवाल माननीय मंत्री
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग
राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2020–21

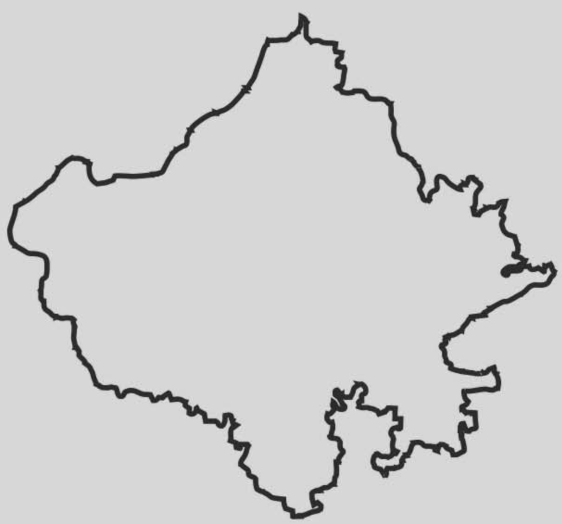

स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर

वेबसाईट : lsg.urban.rajasthan.gov.in,udh.rajasthan.gov.in,
ई-मेलः dlbrajasthan@gmail.com

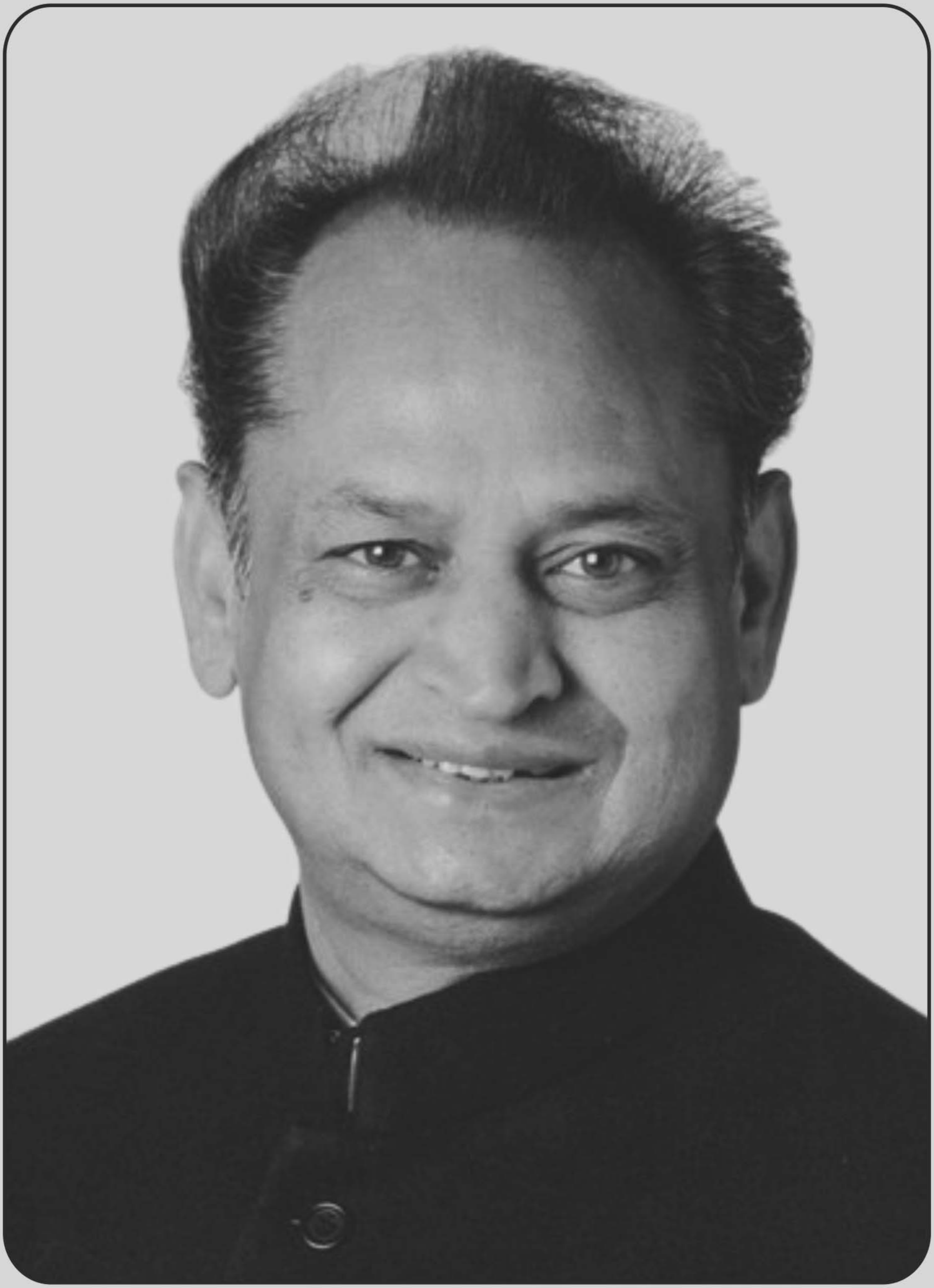

श्री अशोक गहलोत
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2020–21

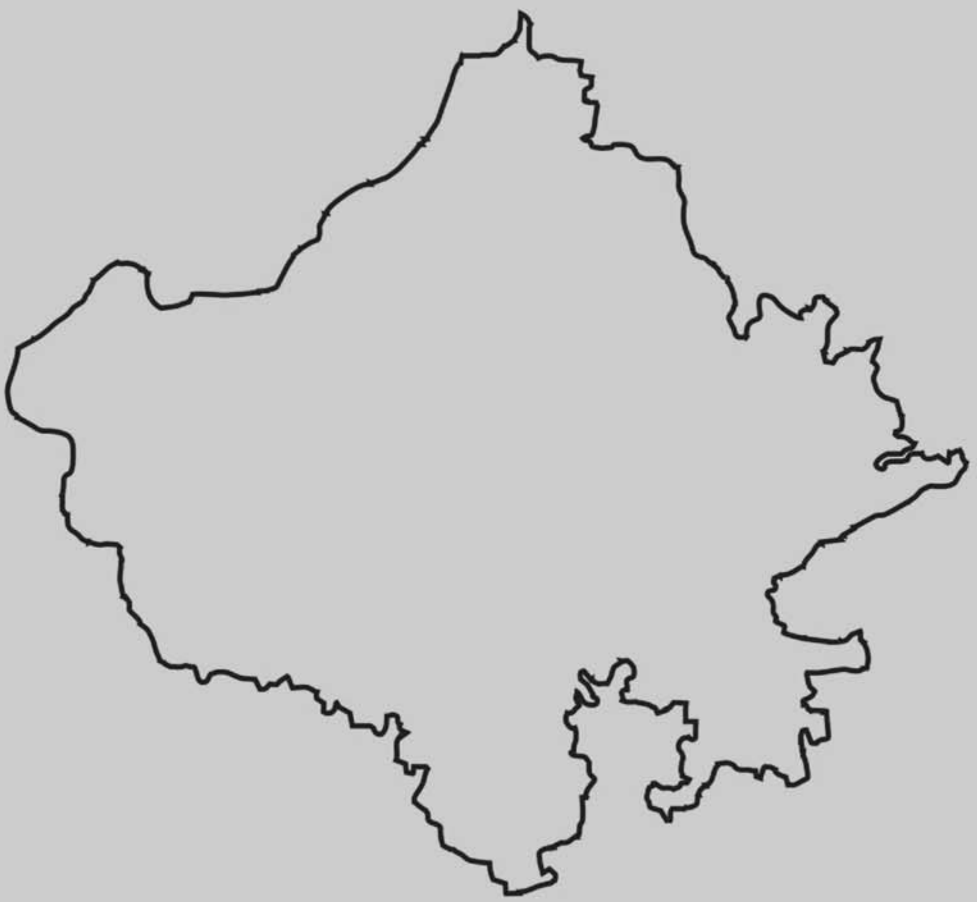

स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर

वेबसाईट : lsg.urban.rajasthan.gov.in,udh.rajasthan.gov.in,
ई-मेलः dlbrajasthan@gmail.com

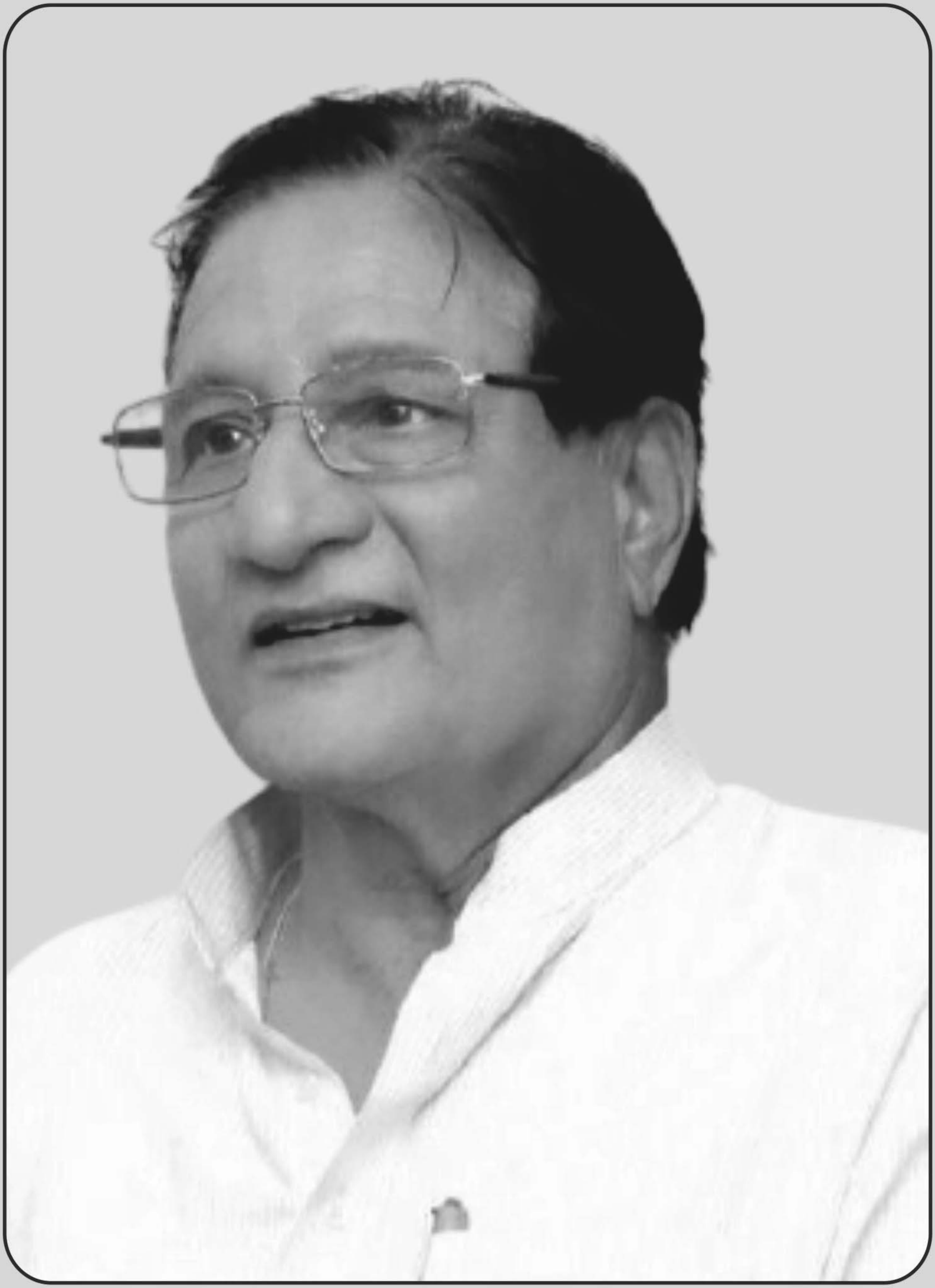

श्री शान्ति धारीवाल मानननीय मंत्री
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग
राजस्थान सरकार

अनुक्रमणिका

क्र.स.	विवरण	पृष्ठ सं.
राजस्थान के शहरी क्षेत्र एक नजर में		1
1	राजस्थान की नगरपालिकाऐं	2
2	निदेशालय के विभिन्न प्रकोष्ठ एवं उनकी मुख्य गतिविधियां	2–18
3	विभागीय बजट	18–20
4	विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाऐं	20–40
5	अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम/गतिविधियां	41–73
6	राजस्थान के नगर निकायों का सम्भागवार, जिलेवार एवं श्रेणीवार वर्गीकरण (परिशिष्ठ–I)	74–76
7	वर्ष 2018–19 में विभाग में स्वीकृत पदों का विवरण (परिशिष्ठ–II)	77–78
8	निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग में कार्यरत अधिकारियों के नाम एवं दूरभाष नम्बर (परिशिष्ठ–III)	79
9	क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों के नाम एवं दूरभाष नम्बर (परिशिष्ठ –IV)	80
10	विभाग का प्रशासनिक संगठन (परिशिष्ठ –V)	81

राजस्थान के शहरी क्षेत्र एक नजर में

❖	राज्य का कुल क्षेत्रफल (लाख वर्ग कि.मी. में)	3.42
❖	राज्य की कुल आबादी (2011)	6,85,48,437
❖	राज्य में नगरीय जनसंख्या (2011)	1,70,48,085
❖	राज्य के 190 नगर निकायों की जनसंख्या (करोड़ में) (2011)	1,57,78,769
❖	राज्य की कुल आबादी से नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत (2011)	24.87
❖	स्त्री/पुरूष अनुपात (नगरीय) (प्रति हजार) (2011)	914
❖	दशकीय वृद्धि दर (नगरीय) (2011)	29.00
❖	साक्षरता कुल व्यक्ति (नगरीय) (2011)	1,18,03,496
❖	साक्षरता दर (नगरीय) पुरूष (2011)	87.9
❖	साक्षरता दर (नगरीय) महिलाऐं (2011)	70.7
❖	5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर (2011)	5
❖	एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या (2011)	30
❖	नगर निकायों की संख्या	213
❖	नगर निगम	10
❖	नगर परिषद	34
❖	द्वितीय श्रेणी की नगर पालिका	13
❖	तृतीय श्रेणी की नगर पलिका	58
❖	चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका	98

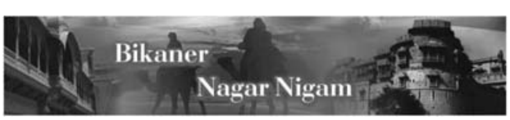

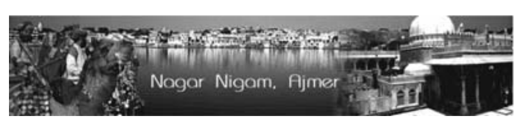

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
2020–2021

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग कि.मी. हैं। यह राज्य देश के लगभग दस प्रतिशत भू–भाग को अपने में समेटे हुये है। जनगणना – 2011 के आंकडो के अनुसार राज्य की कुल आबादी 6.85 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 5.65 प्रतिशत है। इसमें से 1.70 करोड़ जनसंख्या नगरों मे निवास कर रही है, जो कुल जनसंख्या का 24.89 प्रतिशत है। राज्य में 213 नगर निकाय है। राज्य के बड़े शहरों जयपुर, जोधपुर, कोटा क्षेत्र के विकास की दृष्टि से एक के स्थान पर दो–दो निगम–जयपुर हैरिटेज, जयपुर ग्रेटर, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण गठित किये गये है।

नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के अनेक कारण हैं यथा रोजगार के अवसर सुलभ होना, बड़े उद्योगों का विकास, व्यापार, थोक बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, मनोरंजन, ऊर्जा और पेयजल की समुचित व्यवस्था होना है।

(1) राजस्थान की नगर पालिकायें

वर्तमान में प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में कुल 213 नगरीय निकाय हैं, जिनका श्रेणीवार विभाजन निम्न प्रकार है :–

नगर निगम	नगर परिषद	नगर पालिका द्वितीय श्रेणी	नगर पालिका तृतीय श्रेणी	नगर पालिका चतुर्थ श्रेणी	कुल नगरीय निकाय योग
10	34	13	58	98	213

विभागीय अधिसूचना 19 जून, 2020 एवं 25 जून, 2020 के द्वारा 17 चतुर्थ श्रेणी नगर पालिकाओं की घोषणा की गई, जो निम्नानुसार है :–

श्रीगंगानगर में लालगढ–जाटान, जयपुर में बस्सी एवं पावटा–प्रागपुरा, अलवर में लक्ष्मणगढ, रामगढ, बानसूर, दौसा में मण्डावरी, भरतपुर में उच्चैन एवं सीकरी, धौलपुर में सरमथुरा एवं बसेडी, करौली में सपोटरा, सवाईमाधोपुर में बामणवास, जोधपुर में भोपालगढ, सिरोही में जावाल, कोटा में सुल्तानपुर, बारां में अटरू।

उक्त नवगठित नगर पालिकाओं की अधिसूचना पर माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा स्थगन आदेश दिये गये है।

राजस्थान के नगरीय निकायों की जिलेवार व श्रेणीवार सूची परिशिष्ट ''I'' पर संलग्न है।

(2) निदेशालय के विभिन्न प्रकोष्ठ व उनकी मुख्य गतिविधियां

स्थानीय नगरीय निकायों के माध्यम से संचालित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं तथा नगर निकायों द्वारा सम्पादित की जा रही अन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन के दिशा–निर्देश व

प्रक्रिया आदि जारी किए जाने, उनकी पालना कराने एवं उनकी मोनिटरिंग किये जाने तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों के सम्पादन व निष्पादन हेतु निदेशालय में निम्न प्रकोष्ठ कार्य कर रहे है :—

(क) संस्थापन प्रकोष्ठ।
(ख) भूमि प्रकोष्ठ।
(ग) परियोजना प्रकोष्ठ।
(घ) अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ।
(ड) लेखा प्रकोष्ठ।
(च) नगर पालिका संस्थापन प्रकोष्ठ (एस.एम.ई)।
(छ) सांख्यिकी प्रकोष्ठ।
(ज) सतर्कता प्रकोष्ठ।
(झ) विधि प्रकोष्ठ।
(ञ) विविध प्रकोष्ठ।
(ट) विधानसभा प्रकोष्ठ।
(ठ) जन—सम्पर्क प्रकोष्ठ।
(ड) मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ।
(ढ) नगर नियोजन प्रकोष्ठ।
(ण) जलापूर्ति प्रकोष्ठ
(त) उप निदेशक क्षैत्रीय कार्यालय
(थ) राजस्थान अरबन ड्रिकिंग वाटर सीवरेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रेक्चर कारपॉरेशन लि0 **(RUDSICO)**
(द) सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ राजस्थान **(CMAR)**

इसके अलावा कुछ गतिविधियों का निष्पादन 7 संभाग मुख्यालयों पर स्थापित क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग कार्यालयों के माध्यम से किया जा रहा है। इन प्रकोष्ठों के द्वारा संपादित किये जा रहे मुख्य—मुख्य कार्यो एवं गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार हैः—

(क) संस्थापन प्रकोष्ठ :— संस्थापन के प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त निदेशक है। **इनके द्वारा निम्न कार्य देखे जा रहे हैं :—**

i. राजस्थान नगर पालिका सेवा के अधिकारियों का संस्थापन (आर.एम.एस.)

इस प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त निदेशक है। इस प्रकोष्ठ में राजस्थान नगर पालिका सेवा के अधिकारियों—आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी—II, अधिशाषी अधिकारी—III, अधिशाषी अधिकारी—IV, राजस्व अधिकारी—I, राजस्व अधिकारी—II, वरिष्ठ लेखाधिकारी, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी (चयनित, वरिष्ठ व साधारण वेतन श्रृंखला) मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन अधिकारी, कर—निर्धारक, संयुक्त/सहायक विधि परामर्शी एवं विधि अधिकारी के पदों से संबंधित संस्थापन, पदस्थापन, स्थानान्तरण एवं पदोन्नति तथा भर्ती संबंधी कार्य संपादित किये जाते है।

वर्तमान में स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रं.सं	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त	माध्यम
1	आयुक्त (45–RMS+15-RAS)	60	35	10	पदोन्नति
2	अधिशाषी अधिकारी–II / सचिव	53	10	43	पदोन्नति
3	अधिशाषी अधिकारी–III	58	37	21	पदोन्नति
4	अधिशाषी अधिकारी–IV	79	38	41	सीधी भर्ती
5	राजस्व अधिकारी–प्रथम	30	10	20	पदोन्नति
6	राजस्व अधिकारी–द्वितीय	87	63	24	सीधी भर्ती
7	वित्तीय सलाहकार	5	–	–	प्रतिनियुक्ति
8	वरिष्ठ लेखाधिकारी	5	4	1	पदोन्नति
9	लेखाधिकारी	25	3	22	पदोन्नति
10	सहायक लेखाधिकारी	38	3	33	पदोन्नति
11	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	8	3	5	पदौन्नति
12	अग्निशमन अधिकारी	26	7	19	पदोन्नति
13	स्वास्थ्य अधिकारी (च.वे.श्रृ.)	5	0	5	पदोन्नति
14	स्वास्थ्य अधिकारी (व.वे.श्रृ.)	7	2	5	पदोन्नति
15	स्वास्थ्य अधिकारी (सा.वे.श्रृ.)	29	0	29	सीधी भर्ती
16	चिकित्सा अधिकारी	7	0	7	सीधी भर्ती
17	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	3	–	–	प्रतिनियुक्ति
18	उप पुलिस अधीक्षक	3	–	–	प्रतिनियुक्ति
19	उप विधि परामर्शी	6	–	–	प्रतिनियुक्ति
20	संयुक्त विधि परामर्शी	4	–	–	प्रतिनियुक्ति
21	सहायक विधि परामर्शी	16	–	–	पदोन्नति
22	विधि अधिकारी	3	–	–	पदोन्नति
23	कर निर्धारक	65	22	43	50% सीधी भर्ती 50% पदौन्नति
24	संयुक्त निदेशक जनसम्पर्क	1	–	1	पदोन्नति
25	उप निदेशक जनसम्पर्क	2	1	1	पदोन्नति
26	सहायक निदेशक जनसम्पर्क	2	–	2	पदोन्नति
27	जन सम्पर्क अधिकारी	1	0	0	100% पदोन्नति से
28	सहायक जन सम्पर्क अधिकारी	6	–	–	प्रतिनियुक्ति
29	पशु चिकित्सा अधिकारी	9	–	–	प्रतिनियुक्ति
30	स्वास्थ्य अधिकारी (द्वितीय)	15	0	15	100% पदोन्नति
31	उद्यान विज्ञ	1	–	1	पदोन्नति
	योग	**659**	**238**	**348**	

आयुक्त के कुछ पदों पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कार्यरत है। राजस्थान नगर पालिका सेवा के आयुक्त पद की वर्ष 2019–20 तक डीपीसी की जा चुकी है एवं अधिशाषी अधिकारी, तृतीय, राजस्व अधिकारी–I, स्वास्थ्य अधिकारी (चयनित), स्वास्थ्य अधिकारी (वरिष्ठ), लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, अग्निशमन अधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, आयुक्त, वरिष्ठ लेखाधिकारी, कर निर्धारक व स्वास्थ्य अधिकारी (व.वे.श्रृं.) के पदों की वर्ष 2018–19 तक डी.पी.सी. की जा चुकी है।

ii. राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा तथा राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा के अभियांत्रिकी संवर्ग के पदों का संस्थापन (आर.एम.एस.टी)

इस प्रकोष्ठ में राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा के अभियन्ता – मुख्य अभियन्ता, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, संयुक्त निदेशक (जनसम्पर्क), उपनिदेशक (जनसम्पर्क), सहायक निदेशक (जनसम्पर्क), अधीक्षण अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता पद (सिविल/विद्युत/यांत्रिक), सहायक नगर नियोजक एवं राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा के कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक) नगर नियोजन सहायक, वरिष्ठ प्रारूपकार व प्रारूपकार पदों से संबंधित संस्थापन, पदस्थापन, स्थानान्तरण, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति, स्थायीकरण तथा सीधी भर्ती से नियुक्ति संबंधी आदि कार्य संपादित किये जाते हैं। वर्तमान में स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

राजस्थान नगर निकायो के अभियांत्रिकी संवर्ग के पदों का विवरण

क्र.सं	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद	माध्यम
1.	मुख्य अभियन्ता	4 (01 पद निदेशालय)	4	–	100% पदोन्नति
2.	अति. मुख्य अभियंता (सिविल)	2	2	–	100% पदोन्नति
3.	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	14	14	–	100% पदोन्नति
4.	अधीक्षण अभियंता (विद्युत)	4	2	2	100% पदोन्नति
5.	अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिकी)	4	1	3	100% पदोन्नति
6.	अधिशाषी अभियन्ता (सिविल)	61	61	–	100% पदोन्नति
7.	अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत)	15	01	14	100% पदोन्नति
8.	अधिशाषी अभियन्ता (यांत्रिकी)	12	01	11	100% पदोन्नति
9.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	229	188	41	50% सीधी भर्ती 50% पदोन्नति
10.	सहायक अभियन्ता (विद्युत)	35	20	13	50% सीधी भर्ती 50% पदोन्नति
11.	सहायक अभियन्ता (यांत्रिकी)	21	15	04	50% सीधी भर्ती 50% पदोन्नति
12.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	545	364	181	100% सीधी भर्ती
13.	कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिकी)	31	05	26	100% सीधी भर्ती
14.	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	59	04	55	100% सीधी भर्ती
15.	सहायक नगर नियोजक	34	24	10	75% सीधी भर्ती 25% पदोन्नति
16.	नगर नियोजन सहायक	20	17	03	50% सीधी भर्ती 50% पदोन्नति
17.	वरिष्ठ प्रारूपकार	36	19	17	25% सीधी भर्ती 75% पदोन्नति

नगर निकायों में कनिष्ठ प्रारूपकार व प्रारूपकार के पद भी स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त आर.एम.एस.टी तकनीकी संस्थापन अनुभाग द्वारा आर.यू.आई.डी.पी., रूड़सिको एवं

स्मार्ट सिटीज में अभियन्तागण के स्वीकृत एक्स कैड़र पदों पर पदस्थापन संबंधी कार्य भी किया जाता है।

iii. राजस्थान नगरपालिका सेवा के अधिकारियों के विरूद्व विभागीय कार्यवाही (आर.एम.एस.जॅाच)

आर.एम.एस. (जांच) अनुभाग के प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय है। जांच अनुभाग में निम्न कार्य सम्पादित किये जाते है। जिनका विवरण निम्न है :–

आर.एम.एस. (जांच) अनुभाग में राजस्थान नगर पालिका सेवा के अधिकारियों एवं राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्बन्धी कार्य सम्पादित किये जाते है, जिनमें सीसीए नियम–16/17 में आरोप पत्र जारी करना। सीसीए नियम–16 की जांच में विस्तृत जांच किये जाने हेतु जांच अधिकारी की नियुक्ति करना एवं जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करना, इसके साथ ही निलम्बन एवं बहाली सम्बन्धी कार्य भी सम्पादित किये जाते है। 19 सितम्बर, 2019 से 31 दिसम्बर, 2020 तक सी.सी.ए नियम 16 व 17 के अन्तर्गत क्रमशः 35, 100 अधिकारी/कर्मचारियों को आरोप पत्र दिये गये है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रकरणों में 14 व अन्य प्रकरणों में 20 इस प्रकार कुल 34 अधिकारी/कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है, जिनका मुख्यालय निदेशालय एवं सम्बन्धित उप निदेशक क्षैत्रीय कार्यालय में रखा गया है।

iv. संस्थापन निदेशालय

निदेशालय के अधीन आयोजना एवं आयोजना भिन्न मदों के अंतर्गत स्वीकृत राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों, कर्मचारियों के कुल पदो का विवरण निम्नानुसार है :–

पद	आयोजना भिन्न	आयोजना
राजपत्रित	53	10
अराजपत्रित	105	18

निदेशालय में आयोजना भिन्न मद में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों (मय DD(R)) का संस्थापन कार्य इसी प्रकोष्ठ द्वारा देखा जा रहा है। **उक्त वर्गीकृत पदों की विस्तृत सूचना परिशिष्ट–II पर उपलब्ध है।**

(ख) भूमि शाखा :–

भूमि शाखा के प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय है। भूमि अनुभाग में निम्न कार्य सम्पादित किये जाते है :–

राज्य की विभिन्न नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों द्वारा राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के अंतर्गत एवं राज्य सरकार द्वारा जारी भू–आवंटन नीति 2015 के प्रावधानानुसार खांचा भूमि, स्कूलों, सार्वजनिक संस्थाओं, केन्द्रीय/राजकीय कार्यालयों व आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन/विक्रय के प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार को स्वीकृति/निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाकर निस्तारित कराये जाते हैं। नगरीय निकाय में कच्ची बस्ती

सर्वे एवं कृषि भूमि नियमन से संबंधित कार्यो का निस्तारण इस अनुभाग से किया जाता है। नगर पालिकाओं के भूमि सम्बंधी प्रकरणों में मार्गदर्शन, भूमि अवाप्ति व अवाप्ति से मुक्ति का कार्य, मंत्रीमण्डलीय उपसमिति में प्रस्तुत किये जाने हेतु एजेण्डा तैयार करना, स्टेट ग्रान्ट एक्ट, अतिक्रमण नियमन के सम्बंध में नीति तैयार करना एवं मार्गदर्शन करना आदि कार्य किये जाते है।

(ग) परियोजना प्रकोष्ठ :—

इस प्रकोष्ठ की स्थापना वर्ष 1989 में की गयी थी। वर्तमान में इसके प्रभारी अधिकारी परियोजना निदेशक है। इस प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य शहरी गरीबी उन्मूलन हेतु चलाई जा रही योजनाओं यथा दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) व शहरी जन सहभागी योजना का क्रियान्वयन तथा जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन, एकीकृत आवास एवं स्लम विकास परियोजना, राजीव आवास योजना, लघू एवं मध्यम कस्बों में आधारभूत ढाचाँ विकास योजना, अमृत योजना तथा स्मार्ट सिटी आदि के अंतर्गत केन्द्र/राज्य सरकार से राशि प्राप्त कर कार्यकारी ऐजेंसियो को आवंटित करना, योजनाओं की क्रियान्विति में आने वाली समस्याओं के निराकरण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिये उच्च स्तरीय नीति निर्धारण समिति एवं उच्च स्तरीय कार्यकारी समिति/राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति सुनिश्चित करना, आवंटित राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र केन्द्र सरकार को भिजवाना, शहरी विकास मंत्रालय व आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/कार्यशालाओं हेतु अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों का मनोनयन करना है।

परियोजना निदेशक के सहयोग हेतु 01 संयुक्त निदेशक (प्लान) व 01 वरिष्ठ लेखाधिकारी (प्लान) कार्यरत हैं। योजना मद के अंतर्गत स्वीकृत अधिकारी/कर्मचारियों के संस्थापन का कार्य भी इसी प्रकोष्ठ द्वारा सम्पादित किया जाता है।

(घ) अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ :—

नगरीय निकायों को उनके विकास कार्यों, आठ शहरों में जलापूर्ति, ESCO आधारित लाईटों का संधारण व रख—रखाव एवं सेनिटेशन इत्यादि कार्यो में तकनीकी राय प्रदान करने तथा निदेशालय को स्वीकृति हेतु प्राप्त बिडो का परीक्षण कर, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति देने संबंधी कार्यवाही तथा निर्माण कार्यों के संदर्भ में प्राप्त विभिन्न शिकायतों की जांच करने व अभियांत्रिकी सेवाओं में सुधार लाने आदि के लिये इस प्रकोष्ठ की स्थापना वर्ष 1979 में की गयी थी। इस प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी मुख्य अभियंता है। इनके सहयोग हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियंता का पद मुख्यालय पर स्वीकृत है। आवश्कतानुसार नगरीय निकायों से भी अभियन्ता लिये जाकर विकास कार्य एवं अन्य योजनाओं का कार्य सम्पादित किया जा रहा है। **प्रकोष्ठ द्वारा देखे जा रहे अन्य प्रमुख कार्य निम्न प्रकार है :—**

विभागीय SOP के अनुसार नगरीय निकायों से प्राप्त विभिन्न कार्यो के प्रस्तावों/प्रकरणों

का निदेशालय स्तर पर परीक्षण किया जाकर सक्षम स्वीकृति उपरान्त तकनीकी स्वीकृति जारी करते हुए कार्य संपादित किये जोने हेतु निर्देशित किया जाता है तथा उसी अनुसार नगरीय निकायों द्वारा कार्य संपादित किये जाते है। बाढ/अतिवृष्टि से हुई क्षति से संबंधित कार्य, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत कार्य,सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, नगर पालिकाओं द्वारा वितीय संस्थाओं से ऋण लेने हेतु प्राप्त प्रस्तावों के संदर्भ में तकनीकी परीक्षण, नगर पालिकाओं के विकास कार्यों के संबंध में आने वाली कठिनाईयों बाबत परामर्श, भारत सरकार/राज्य सरकार से प्राप्त तकनीकी मामलों का संधारण, ठोस कचरा प्रबन्धन एवं जैव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबन्धन, बी.ओ.टी. आधारित योजना से संबंधित कार्य, मुक्तिधाम योजना, शहरी पुनर्रूद्धार योजना, वर्षा जल संरक्षण का कार्य, राज्य स्तर पर ई–टेण्डरिग का कार्य, पर्यावरण संरक्षण व सुधार, सीवरेज लाईन व सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का कार्य, सोलर ऊर्जा उत्पादन, स्ट्रीट लाईटों में सुधार, बिजली बचत के कार्य, सुमेरपुर में टाउन हॉल, लोसल में ड्रेनेज सिस्टम, चित्तौड़गढ़ में गंभीरी नदी पर ब्रिज, राजगढ़ चूरू में बस स्टैण्ड एवं डीडवाना में टाउन हॉल, निम्बाहेड़ा में टाउन हॉल का निर्माण आदि प्रमुख–प्रमुख कार्य प्रगति पर है एवं निम्बाहेड़ा में मैरिज हॉल (कन्वेंशन सेन्टर), सुजानगढ़ कार्यालय भवन, देवली में टॉय–ट्रेन इत्यादि के महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण कराये गये। इसके अतिरिक्त सिरोही में टाउन हॉल, जैसलमेर में टाउन हॉल, धौलपुर में टॉउन हॉल, शिवगंज में कार्यालय भवन, डेगाना में ड्रेनेज सिस्टम आदि के कार्यो की निविदा प्रक्रियाधीन है।

(ड़) लेखा प्रकोष्ठ :–

इस प्रकोष्ठ के प्रभारी मुख्य लेखाधिकारी / वित्तीय सलाहकार है, इनके अधीन निदेशालय मुख्यालय पर दो वरिष्ठ लेखाधिकारी, 2 लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी–I एवं सहायक लेखाधिकारी–II /कनिष्ठ लेखाकार कार्यरत हैं।

लेखा शाखा द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत अनुदान, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान, पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत प्राप्त अनुदान एवं चुंगी पुनभर्रण हेतु अनुदान की स्वीकृतियां जारी की जाती है। निदेशालय, लेखा शाखा द्वारा नगर निगमों / परिषदों / पालिकाओं के क्रय, बजट एवं वित्त व लेखा सम्बन्धी ऐसे प्रकरणों के सम्बन्ध में मार्गदर्शन / स्वीकृतियां भी जारी की जाती हैं, जो इन संस्थाओं को प्रदत्त अधिकारों से अधिक हो।

लेखा शाखा द्वारा समय–समय पर दिये गये अनुदान के लेखों एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि का संधारण कार्य किया जाता है तथा 15 वे वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत प्राप्त अनुदान राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र केन्द्र सरकार को भिजवाये जाते हैं। महालेखाकार के अंकेक्षण आक्षेप एवं ड्राफ्ट पैरा संबंधी कार्य निष्पादित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त नगर पालिकाओं द्वारा की गयी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की जांच समय–समय पर कराई जाती है तथा नगर निकायों का स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग तथा महालेखाकार कार्यालय द्वारा अंकेक्षण किया जाता है, उन अंकेक्षण रिपोर्टों की पालना भी इस शाखा द्वारा करायी जाती है। राजस्थान नगर पालिका प्रशासनिक एवं तकनीकी सेवा के अधिकारियों के पैंशन प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है।

(च) नगर पालिका प्रस्थापना प्रकोष्ठ (एस.एम.ई.) :–

इस अनुभाग के प्रभारी अधिकारी उप निदेशक (प्रशासन) हैं। इनके द्वारा निम्न कार्य देखे जा रहे हैं :–

राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियमों 1963 के अंतर्गत विभिन्न नगर निगम/परिषद/पालिका मे कार्यरत अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक संवर्ग के सभी कर्मचारियों के प्रस्थापना संबंधी प्रकरणों का निस्तारण/आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी करना। राजस्थान नगर पालिका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम–1964 के अंतर्गत समस्त नगर निकायों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग कर्मचारियों के प्रस्थापना संबंधी प्रकरणों का निस्तारण व प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी करना। उक्त दोनों संवर्गों के स्थानान्तरण संबंधी प्रकरण।

राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन व अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस से प्राप्त मांग पत्रों का निस्तारण, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का कार्य आदि।

(छ) सांख्यिकी प्रकोष्ठ :–

विभाग की वार्षिक योजना व पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को समेकित कर विभाग की पंचवर्षीय व वार्षिक योजना तैयार कर आयोजना विभाग को भिजवाना, निदेशालय के योजना से संबंधित प्रकोष्ठों से वित्तीय/भौतिक प्रगति प्राप्त कर आयोजना विभाग में आयोजित बैठकों में भाग लेना। नगर निकायों के वार्षिक आय–व्यय के आंकडों का संकलन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार करना, विशिष्ट संगठक योजना एवं जनजाति उपयोजना क्षेत्र की योजना के प्रस्ताव तैयार करना तथा उनके वित्तीय भौतिक उपलब्धियों की सूचना संबंधित विभाग को प्रेषित करना, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण एवं माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण संबंधित टिप्पणी तैयार करना तथा इनकी अनुपालना रिपोर्ट मंत्रीमण्डल सचिवालय एवं वित्त विभाग, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित करना, राज्य स्तरीय आयोजना समन्वय समिति की बैठक, जिला आयोजना की मानिटरिंग आदि कार्य देखे जाते हैं। इस प्रकोष्ठ का प्रभारी अधिकारी उप निदेशक (सॉख्यिकी) है। इनके सहयोग हेतु प्रकोष्ठ में 01 सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं 02 संगणक के पद है, वर्तमान में 02 संगणक के पद रिक्त है।

(ज) सतर्कता प्रकोष्ठ :–

विभाग में सतर्कता प्रकोष्ठ के प्रभारी सहायक निदेशक (सतर्कता) हैं, इनके सहयोग हेतु प्रकोष्ठ में 01 अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, 03 सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं 01 कनिष्ठ सहायक कार्यरत है।

सतर्कता प्रकोष्ठ में नगर निगम/परिषद/पालिकाओं के अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्व एवं चुने हुये जनप्रतिनिधियों के विरूद्व लोकायुक्त सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं अन्य माध्यमों से शिकायत प्राप्त होने पर जांच की जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। जनप्रतिनिधियों के विरूद्व शिकायतों की जॉच में दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा–39 के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर, उन्हें निलंबित

कर या सीधे ही प्रकरण न्यायिक जांच हेतु विधि विभाग को भिजवाया जाता है। न्यायिक जांच में आरोप सिद्ध होने पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39, 40 व 41 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए दोषी जन प्रतिनिधि को सदस्यता तथा चुनाव लडने के अयोग्य घोषित किया जाता है। वर्ष 2020–21 में 01 निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को निलम्बित किया गया एवं 09 निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के प्रकरण न्यायिक जांच में भिजवाये गये। सतर्कता अनुभाग में ही जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व एसीबी से प्राप्त प्रकरण भी संधारित किये जाते है तथा दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति जारी की जाती है। वर्ष 2020–21 में 03 प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति तथा 04 प्रकरण में मनाही जारी की गयी है।

(झ) विधि प्रकोष्ठ :–

प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी हैं व इनके सहयोग हेतु सहायक विधि परामर्शी 1, वरिष्ठ विधि अधिकारी 1, कनिष्ठ विधि अधिकारी 2, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी 2 (2 रिक्त) व 02 लिपिक ग्रेड–1 कार्यरत है। विधि अनुभाग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय न्यायिक अभिकरणो, राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर एवं जोधपुर पीठ) व अधीनस्थ न्यायालयों में राज्य सरकार तथा नगरीय निकायों के विरूद्व दायर याचिकाओं/दावों के संबंध में प्रभारी अधिकारी/अधिवक्ता नियुक्त करने एवं पर्यवेक्षण, परामर्श, परीक्षण का कार्य, पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकारों की नियुक्ति, अन्य अनुभागों द्वारा प्राप्त पत्रावलियों पर राय देने, जन प्रतिनिधियों के विरूद्व राजस्थान नगर पालिका अधिनियम–2009 की धारा 39 के अन्तर्गत जांच कार्य में विभागीय पैरवी का कार्य करवाया जाता है।

विधि अनुभाग द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम–2009 में संशोधन व अन्य नियमों में संशोधन सम्बधी समस्त कार्य किया जाता है। प्रशासनिक विभाग के अधीन समस्त अधिनियमों/नियमों का प्रारूपण एवं उनमें समय–समय पर किये जाने वाले संशोधनो का कार्य भी किया जाता है।

इस अनुभाग द्वारा राजस्थान की सभी नगर निकायों में चुनाव के कार्य वार्डो का आरक्षण, परिसीमन एवं निकायों का गठन एवं राजस्थान की समस्त नगर निगम/परिषद/पालिका के सीमा विस्तार/संकुचन का कार्य किया जाता है। समस्त निकायों की मंडल बैठकों व समितियों की बैठकों में पारित प्रस्तावों का परीक्षण किया जाता है। नगरीय निकायों में मनोनीत/सहवृत सदस्यों (पार्षद) की नियुक्ति करना/हटाना संबंधित समस्त कार्य। राजस्थान किराया नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित समस्त कार्य। प्रकोष्ठ में निदेशक महोदय के समक्ष राजस्थान नगर पालिका अधिनियम–2009 की धारा 327 में प्रस्तुत निगरानियों ओर धारा 194(12) के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील में पक्षकरो को सूचित किये जाने सम्बन्धी कार्य भी सम्पादित किया जाता है।

(ञ) विविध प्रकोष्ठ :–

इस प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी उप निदेशक (प्रशासन) है। नगरीय निकाय क्षेत्र के

सार्वजनिक स्थानों एवं चौराहों पर मूर्ति स्थापना तथा चौराहों एव रास्तों के नामकरण सम्बन्धी नीति निर्धारण एवं प्रस्तावों पर यथोचित कार्यवाही की जाती है।

(ट) विधान सभा प्रकोष्ठ :–

इस प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी उप निदेशक (प्रशासन) है। प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य विधानसभा सत्र के दौरान प्राप्त होने वाले तारांकित व अतारांकित प्रश्नों का उत्तर सम्बन्धित नगर निकायों से प्राप्त कर भिजवाना, सत्र के दौरान माननीय मंत्री, नगरीय विकास व स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दिये गये आश्वासनों की क्रियान्विति करवाना ध्यानाकर्षण/विशेष उल्लेख/स्थगन के उत्तर तैयार कर भिजवाना एवम् विधानसभा द्वारा गठित विभिन्न समितियों एवं याचिकाओं के कार्यों की क्रियान्विति करना।

(ठ) जन–सम्पर्क प्रकोष्ठ :–

विभाग के जनसम्पर्क प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी उपनिदेशक (जनसम्पर्क) है, इनके सहयोग हेतु प्रकोष्ठ में सहायक निदेशक (जनसम्पर्क) एवं जनसम्पर्क अधिकारी के पद स्वीकृत है। इनके द्वारा मुख्य रूप से राज्य सरकार की नीतियों, निर्णयों एवं विभिन्न योजनाओं का प्रचार–प्रसार, समय–समय पर प्रेस नोट, विज्ञापन, विशिष्ट लेख इत्यादि जारी किये जाते है।

प्रतिदिन राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित विभिन्न समाचारों को अवलोकन उच्च स्तर पर करवाया जाता है। समय–समय पर विभागीय समारोहों एवं बैठकों के कवरेज व विभागीय विज्ञापनों के प्रारूप तैयार कर प्रकाशन करवाया जाता है। प्रेस कांफ्रेंस एवं प्रेस वार्ताओं के आयोजनों एवं राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों में विभागीय भागीदारी निभाई जाती है।

इसके अलावा विभाग में समय–समय पर होने वाले प्रकाशनों हेतु सामग्री तैयार कर उनका मुद्रण करवाना। मंत्री महोदय, शासन सचिव एवं निदेशक द्वारा भिजवाये जाने वाले संदेश तैयार करना तथा मंत्री महोदय द्वारा विभिन्न समारोह में स्वायत्त शासन विभाग के संबंध में दिये जाने वाले उद्बोधनों के प्रारूप तैयार करने में सहयोग प्रदान किया जाता है। विद्यार्थियों एवं पत्रकारों को संदर्भ सामग्री उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसी प्रकार सी.एम.ए.आर की गृह पत्रिका का सम्पादन भी किया जाता है। समय–समय पर विभाग के संबंध में प्रकाशित ऋणात्मक समाचारों की रिपोर्ट मंगवाकर उच्च स्तर पर अवलोकनार्थ भेजी जाती है तथा उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार कार्यो का सम्पादन व मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही की जाती है। प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रोनिक मिडिया का प्रबंधन कार्य तथा इलेक्ट्रिक मिडिया में विज्ञापन बनवाकर जारी करवाने संबंधी कार्य भी उपनिदेशक जनसम्पर्क द्वारा किये जाते है। जनसम्पर्क निदेशालय से संबंधित कार्यो को भी विभाग के उपनिदेशक जनसम्पर्क द्वारा संपादित किये जाते है।

(ड) मॉनिटरिंग / ई–गर्वनेन्स प्रकोष्ठः–

विभाग के इस प्रकोष्ठ में राज्य स्तरीय स्मार्ट राज कॉल सेन्टर, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम, 2011 राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012, राजस्थान संपर्क पोर्टल / सीएम हैल्पलाईन 181 / मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त ऑफलाईन ई–मेल प्रकरण, जन अभियोग निराकरण विभाग से प्राप्त प्रकरण, जनसुनवाई प्रकरण विभागीय अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण / दौरे / रात्रि विश्राम के लक्ष्य / उपलब्धियां हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्मित ट्यूर (टाईम्स) वेब पोर्टल, प्रशासनिक सुधार विभाग से प्राप्त प्रकरण, ई–गजट का प्रकाशन आदि की मॉनिटरिंग का कार्य प्रमुखता से किया जाता है। समय–समय पर उक्त कार्यो की उदासीनता बरतने पर सम्बन्धित नगरीय निकायों के उत्तरदायी अधिकारियों / कार्मिकों के विरूद्व समक्ष कार्यवाही / शास्ती / अनुशासनात्मक कार्यवाही भी इस प्रकोष्ठ द्वारा की जाती है।

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम–2012 के अर्न्तगत नगर निगमों के विरूद्व द्वितीय अपील की सुनवाई, लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 (आरटीपीपी एक्ट) के तहत द्वितीय अपील तथा प्रमुख शासन सचिव के समक्ष प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकार के परिवाद, निगरानी, अपीलों की सुनवाई करवाकर प्रकरण का निस्तारण / निर्णय निर्देशानुसार कराया जाता है।

इस प्रकोष्ठ में संधारित विभिन्न कार्यो के लिए पृथक –पृथक नोडल अधिकारी नियुक्त है। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल / सीएस हैल्पलाईन 181 पोर्टल ट्यूर (टाईम्स) सम्पर्क वेब पोर्टल, मुख्यमंत्री प्रकरण जनसुनवाई, सरकार आपके द्वार के लिए नोडल अधिकारी उप निदेशक (प्रशासन) राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी के लिए अतिरिक्त निदेशक, राजस्थान सुनवाई का अधिकार के लिए निदेशक, सिंगल विन्डों क्लीयेरन्स सिस्टम, ई–सुविधा, MSME पोर्टल के लिए प्रभारी मॉनिट्रिंग नोडल अधिकारी नियुक्त है। राजस्थान सम्पर्क, सुगम समाधान / लोक सेवा गांरटी के लिए क्षेत्रीय स्तर पर सम्बन्धित उप निदेशक (क्षेत्रीय) नोडल ऑफिसर नियुक्त है ई–गर्वनेन्स के लिए आईटी प्रकोष्ठ का पृथक से गठन किया जा चुका है। ई–गवर्नेन्स कार्यो के लिये IT CELL को प्रशासनिक सहयोग एवं पर्यवेक्षण के कार्य भी प्रभारी मॉनिटरिंग द्वारा किया जाता है।

सी.एम. हैल्पलाईन 181 के लिए सी.एम. हैल्पलाईन प्रकोष्ठ का पृथक से गठन किया गया है। प्रभारी अधिकारी–सिस्टम एनालिस्ट / एनालिस्ट कम प्रोग्रामर तथा समस्त नियंन्त्रण के लिए प्रभारी अधिकारी मॉनिट्रिंग को नियुक्त किया गया है। ई–गर्वनेन्स के लिए आईटी प्रकोष्ठ का पृथक से गठन किया जा चुका है जिसमें वर्तमान में 01 एस.ए, 01 एसीपी, 01 प्रोग्रामर, 02 सहायक प्रोग्रामर, 03 सूचना सहायक कार्यरत है।

सी.एम. हैल्पलाईन 181 के लिए सी.एम हैल्पलाईन प्रकोष्ठ का पृथक से गठन किया गया है जिनमें प्रभारी अधिकारी उप निदेशक (प्रशासन) तथा एसीपी / प्रोग्रामर तथा समस्त नियन्त्रण के लिए प्रभारी अधिकारी मॉनिट्रिग को नियुक्त किया गया है।

उपलब्धियाँ :–

1. विभाग द्वारा DAY-NULM के अर्न्तगत कौशल प्रशिक्षण द्वारा रोजगार व नियोजन के लाभार्थियों से फीडबैक हेतु राज्य स्तरीय DAY-NULM कॉल सेन्टर स्थापित किया गया, जिसमे लाभार्थियों से फीडबैक के साथ–साथ पारदर्शिता हेतु मॉनिट्रिग प्रांरम्भ की गई है।
2. LGD (Local Government Directory) पोर्टल पर विभाग द्वारा वांछित डाटा समय–समय पर अपलोड़ किया जा चुका है।
3. नगरीय निकायों के पुनर्गठन/वार्ड परिसीमन का ऑनलाईन ई–गजट कार्य का किया जा चुका है।
4. सैन्ट्रलाइज वेबसाइट (REAMS) पर विभाग द्वारा समय–समय पर वांछित डाटा अधिनियम, नियम, अधिसूचना परिपत्र इत्यादि समय–समय पर .अपलोड किये जातें है।
5. विभागीय वेबसाईट LSG.URBAN.RAJASTHAN.GOV.IN पर सूचनाएं निरन्तर अपलोड की जा रही है।
6. नगरीय निकायों की वेबसाईट पृथक से बनवायी गई है। अब तक 190 से अधिक नगरीय निकायों की निकायवार वेबसाईट बनवायी जा चुकी है। इन वेबसाईट पर भी निकायों द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाएं अपडेट की जा रही है।
7. समस्त नगरीय निकायों के राज्य सरकार के अधीन RAJASTHAN.GOV.IN पर ई–मेल बनवाकर उपलब्ध करवायें जा रहे है।
8. समस्त नगरीय निकायों की SSO ID भी इसी सेल के माध्यम से बनवाई जा रही है।
9. स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जैम पोर्टल (ई–मार्केट) पर सभी नगरीय निकायों के रजिस्ट्रेशन/अपडेशन का कार्य निरन्तर किया जा रहा है।
10. इन्दिरा रसोई योजना के लाभार्थियों का दैनिक फीडबैक लिया जाता है।
11. SPPP पोर्टल पर नगरीय निकायों का उपापन संस्था के रुप में प्रथम रजिस्ट्रेशन का कार्य भी किया जाता है।
12. स्वायत्त शासन विभाग भवन में हार्ड वी.सी सैटअप लगाकर वी.सी की सुविधा प्रारम्भ की जाकर समस्त नगरीय निकायों को राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के माध्यम से वीसी से जोडा गया।
13. राज्य स्तरीय कॉल सेन्टर की स्थापना कर कॉल सेन्टर के द्वारा कुल 3,20,000 आमजन को उनके द्वारा चाही गयी विभागीय जानकारियां उपलब्ध करवाई गई।
14. फाईल ट्रैकिंग मैनजमेन्ट सिस्टम (FTMS) निदेशालय में प्रारम्भ करवाया जाकर ऑनलाईन फाईल ट्रैकिंग लागू किया जा चुका है।
15. राजस्थान सम्पर्क पोर्टल/सीएम हैल्पलाईन पर कुल 3,93,123 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें से कुल 3,85,340 प्रकरण का निस्तारण किया गया तथा कुल 7,783 प्रकरण निकाय स्तर पर प्रक्रियाधीन है।
16. DOIT&C के माध्यम से नगरीय निकायों की ऑनलाईन सेवाऐं विकसित कराकर विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DOIT&C) के माध्यम सें नगरीय निकायों की निम्न सेवाओं के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया जाकर ऑनलाईन किया गया है।

1. भवन मानचित्र अनुमोदन प्रणाली (OBPAS)
2. ट्रेड़ लाईसेन्स Renew
3. सीवर कनेक्शन
4. 90ए भू—रूपान्तंरण
5. फायर एनओसी
6. UD Tax
7. साईनेज लाईसेंस
8. मोबाईल टावर (NOC)

17. जन कल्याण पोर्टल/जन सूचना पोर्टल पर वांछित डाटा Order/Circulars/Scheme नियम, अधिनियम इत्यादि अपलोड़ किये जाने का कार्य किया जा रहा है।
18. कोविड—19 महामारी जन आंदोलन अभियान के तहत महत्वपूर्ण कार्यो की प्रगति हेतु कन्ट्रोल रुम स्थापित किया जाकर तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया।
19. इन्दिरा रसोई योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण तकनीकी सहयोग किया गया।
20. जन—सम्पर्क पोर्टल पर उपलब्ध सभी नगरीय निकायों की जानकारी एवं सेवायें यथा भवन मानचित्र, ट्रेड लाईसेंस, सीवर कनेक्शन, 90—ए भू रूपान्तरण, फायर एन.ओ.सी. एवं UD Tax की सूचना का इन्द्राज प्रक्रियाधीन है जो कि शीघ्र ही पूरा किया जायेगा एवं जनहित में भी प्रदर्शित किया जायेगा।
21. SPPP पोर्टल पर नगरीय निकायों को उपापन संस्था के रूप में रजिस्ट्रेशन का कार्य समय—समय पर किया जा रहा है।

(ढ) नगर नियोजन प्रकोष्ठ

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग में नगरीय निकायों के नगर नियोजन संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु नगर नियोजन प्रकोष्ठ की स्थापना वर्ष 2013 में की गई थी। इस प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी वरिष्ठ नगर नियोजक है। नगर नियोजन प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य राज्य के विभिन्न स्थानीय निकायों से राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित नगर नियोजन संबंधी तकनीकी प्रकरणों यथा भू—उपयोग परिवर्तन, भवन निर्माण स्वीकृति, कृषि भूमि नियमन, योजना मानचित्र अनुमोदन, उपविभाजन/पुनर्गठन एवं भवन विनियम संबंधी प्रकरणों आदि में तकनीकी परीक्षण व राय दिया जाना है।

नगर नियोजन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की 188 नगरीय निकाय के मास्टर प्लान तैयार किये जा चुके है। केन्द्र सरकार की अमृत योजना के दिशा—निर्देश के तहत् नगर नियोजन प्रकोष्ठ, निदेशालय द्वारा M/S Raj Comp. Info Service Ltd. (DoIT) के माध्यम से राज्य के 160 शहरों के जी.आई.एस. आधारित बेसमैप तैयार किये गये है व शेष निकायों के बेसमैप प्रक्रियाधीन है। जी.आई.एस. आधारित बेसमैप तैयार करने के पश्चात् बेसमैप पर Attribute Data सुपरइम्पोज करने का कार्य नगरीय निकायों द्वारा किया जा रहा है। जी.आई.एस. आधारित मास्टर प्लान तैयार करने हेतु क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम के तहत् आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय, केन्द्र सरकार द्वारा समय—समय पर देश के विभिन्न प्रख्यात सुदूर संस्थानों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा राज्य के 45 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया

गया है। राज्य के 25 अमृत शहरों के जी.आई.एस. आधारित मास्टर प्लान तैयार करने हेतु आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा कुल अनुदान राशि रू. 19.50 करोड़ केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कर अनुदान की प्रथम किश्त राशि रू. 03.90 करोड़ हस्तान्तरित की गई है। जी.आई.एस. आधारित मास्टर प्लान तैयार करने की कार्यवाही कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान द्वारा की जा रही है।

केन्द्र सरकार की अमृत योजना के अंतर्गत लोकल एरिया प्लान/टाउन प्लानिंग स्कीम बनाने हेतु देशभर से 20 शहरों का चयन किया गया था, जिसमें राज्य से जयपुर शहर को भी सम्मिलित किया गया है। नगर नियोजन प्रकोष्ठ, निदेशालय, स्थानीय निकाय द्वारा लोकल एरिया प्लान/टाउन प्लानिंग स्कीम का प्राथमिकी प्रस्ताव टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग ऑर्गनाईजेशन, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली, को प्रेषित किया गया, तत्पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा कुल राशि रू. 2.00 करोड़ की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है, जिसकी पहली किश्त राशि रू. 40.00 लाख राज्य सरकार को प्राप्त हो चुकी है। अतः इस योजना की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए लोकल एरिया प्लान तैयार करने का कार्य नगर निगम, जयपुर द्वारा एवं टाउन प्लानिंग स्कीम तैयार करने का कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। केन्द्र सरकार की अमृत योजना के तहत् विगत 4 वर्षो की अमृत रिफार्म इन्सेंटिव रिपोर्ट नगर नियोजन प्रकोष्ठ द्वारा आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को पूर्व में प्रेषित की गई जिसके तहत् राज्य सरकार को अमृत रिफोर्म इन्सेंटिव के तहत् लगभग राशि रू. 85.00 करोड़ की अनुदान राशि प्राप्त हुई।

आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की परियोजना HRIDAY के अंतर्गत अजमेर–पुष्कर शहर में ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण हेतु 5 परियोजनाऐं परिलक्षित की गई थी जिनके सभी कार्य पूर्ण हो चुके है, ओ.एण्ड.एम. का कार्य नगर निगम, अजमेर द्वारा किया जा रहा है।

राज्य की नगरीय निकायों में नगर नियोजन प्रकोष्ठ के सशक्तीरकण हेतु 18 नगर नियोजन सहायकों एवं 20 वरिष्ठ प्रारूपकार की भर्ती की जा चुकी है एवं आगामी वर्षो में राज्य के समस्त नगरीय निकायों में नगर नियोजन से संबंधित कार्यो को सुचारू एवं तकनीकी राय प्रदान करने हेतु प्रत्येक निकाय में नगर नियोजन शाखा के सृजन की आवश्यकता के परिपेक्ष में भारत सरकार के Transformation Urban Reform के तहत Professionalizing Municipal Cadre की क्रियान्विति हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवायें गये थे जिसके तहत् प्रस्तावित नगर नियोजकों के विभिन्न संवर्गों के 296 नवीन पदों के सृजन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

(ण) जलापूर्ति प्रकोष्ठ

संविधान के 74 वें संशोधन व राज्य मंत्रीमण्डल ने अपनी आज्ञा सं. 204/2012, 04 अक्टूबर 2012 द्वारा 8 शहरों श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बूंदी, नागौर, करौली, नाथद्वारा, चौमू, एवं नोखा की शहरी पेयजल का कार्य जन–स्वास्थय अभियात्रिकी विभाग से संबंधित नगर निकाय को हस्तानान्तरित किये जाने संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया, जिनकी अनुपालना में उक्त 08 शहरों की पेयजल व्यवस्था का कार्य संबंधित नगर निकाय को

हस्तानान्तरित कर इनका संचालन एवं संधारण उनके द्वारा किया जा रहा है। उक्त आज्ञा के अनुसार स्थानीय निकाय को पेयजल योजनाओं का हस्तांतरण वर्टिकल डिवोल्यूशन के अन्तर्गत किया जा कर इन शहरी योजनाओं के लिए राज्य स्तर पर आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशासनिक समन्वय तथा वित्तीय व्यवस्था स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से ही की जानी है। इस हेतु मंत्रीमण्डल की उक्त आज्ञा की अनुपालना में स्वायत्त शासन विभाग के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर एक पी.एच.ई प्रकोष्ठ का गठन किया है। वर्तमान में इस प्रकोष्ठ में अतिरिक्त मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी के अधीन स्टाफ (01 अधीक्षण अभियंता, 04 अधिशाषी अभियंता, 10 सहायक अभियंता, 01 लेखाकार, 02 कनिष्ट लिपिक एवं 02 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) को शामिल किया गया है। वर्तमान मे हस्तानान्तरित आठ शहरों की शहरी पेयजल योजनाओं के लिए आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशासनिक समन्वय तथा वित्तीय व्यवस्था का कार्य स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।

(त) उप निदेशक (क्षेत्रीय) कार्यालय :–

विभाग के अधीन 07 क्षेत्रीय उप निदेशक कार्यालय, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर एवम् उदयपुर में है। इनके द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य है। क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन आने वाले नगर निगम/परिषद/पालिका के सेवानिवृत कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण करवाना, नगर पालिका/परिषद/निगम के बकाया अंकेक्षण आक्षेपों, प्रारूप प्रालेखों, महालेखाकार के आक्षेपों, गबन प्रकरणों की अनुपालना करवाकर नियंत्रण अधिकारी की टिप्पणी कर आक्षेपों का निस्तारण करवाना। लंबित न्यायिक प्रकरणों की मोनिटरिंग, अधीनस्थ नगर पालिकाओं का निरीक्षण कर अराजपत्रित कर्मचारियों के संस्थापन से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 335(4) की अपील सुनना एवं निस्तारण, क्षेत्राधिकार के अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध विचाराधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही अन्तर्गत 17 सी.सी.ए की जांच करना, विभिन्न शिकायतों पर जांच करना, राजस्थान नगर पालिका अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक कर्मचारी सेवा चयन आयोग पदोन्नति मण्डल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना एवं क्षेत्राधिकार की नगर पालिकाओं में चल रही विभिन्न योजनाओं की मोनिटरिंग करना।

(थ) राजस्थान अरबन ड्रिंकिग वाटर सीवरेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रेक्चर कॉरपोरेशन लि0 (RUDSICO)

राजस्थान की अधिकांश नगर पालिकाएं ऐसी हैं, जिनके संसाधन सीमित हैं और वह अपने स्वयं के स्तर से परियोजना तैयार करने, वित्तीय साधन जुटाने एवं उनका क्रियान्वयन करने में असमर्थ हैं।

- शहरी निकायों को आधारभूत सुविधाओं के विकास की योजना बनाने एवं वित्तीय साधन जुटाने के उद्देश्य से राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रेक्चर फाईनेंस डवलपमेंट कॉरपोरेशन के गठन की घोषणा की गई थी, जिसकी पालना में इस कॉरपोरेशन का विधिवत शुभारम्भ 01 दिसम्बर, 2004 को किया जा चुका है। इस निगम की अधिकृत अंशपूँजी राशि रूपये 5000.00 लाख है।
- वर्ष 2014–2015 में बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 57 की अनुपालना में रूफडिको में RUIDP तथा RAVIL का विलय कर तथा रजिस्ट्रॉर ऑफ कम्पनीज (ROC) की अनुमति प्राप्त कर

19 नवम्बर, 2015 से RUIFDCO का नाम परिवर्तन कर Rajasthan Urban Drinking Water Sewerage & Infrastructure Corporation Limited (RUDSICO) के रूप में पुर्नगठन किया गया हैं।

RUDSICO द्वारा वर्तमान में आर.ए.वाई., आरओबी, 07 सीवरेज, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड़ प्रोजेक्ट फेज–1 (Rajasthan Urban Infrastructure Road Project Phase-1) तथा अन्य योजनाओं के राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी का कार्य किया जा रहा हैं।

बजट :–

राजस्थान नगरीय पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड, जयपुर (रूडसिको) का वित्तीय वर्ष 2019–20 का वास्तविक व्यय एवं बजट प्रावधान वर्ष 2020–21 निम्नानुसार हैः–

(राशि लाख रु. में)

क्र.स.	बजट मद / उप मद	वास्तविक व्यय 2019–20	बजट प्रावधान 2020–21
	आयोजना / सी.एस.एस		
1	शहरी पुनरूद्धार हेतु विशेष अनुदान (आरओबी)	496.02	4500.00
2	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.	0.00	0.00
3	आर.यू.डी.एफ	0.00	0.03
4	जल एवं सीवरेज परियोजना	0.00	0.03
5	राजीव आवास योजना (प्लान)	0.00	0.06
6	अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)	26101.82	40312.00
7	स्मार्ट सिटी (जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर)	3000.00	40000.24
8	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)	1550.62	20005.00

(द) सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (सी.एम.ए.आर) :–

सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन राजस्थान (राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958) के अन्तर्गत एक पंजीकृत संस्था है। यह संस्था निकायों द्वारा प्रदत्त सदस्यता शुल्क के आधार पर कार्य करती है। यह संस्था USAID, US-AEP & ICMA के सहयोग से शहरी स्थानीय निकायों को उनके कार्य बेहतर ढ़ंग से करने हेतु प्रशिक्षण तथा विभागीय कार्यशालायें आयोजित कर बेहतर समन्वय स्थापित करती है। संस्था, नगर निकायों द्वारा किये गये श्रेष्ठ कार्यों का आलेखन कर स्थानीय एवं देश विदेश के नगर निकायों में आदान–प्रदान करती है। संस्था द्वारा एक वेबसाईट का संचालन किया जा रहा है। जिसका वेब एड्रेस www.cmar-india.org है, संस्था द्वारा अन्य राज्यों व देशों के शहरी निकायों के प्रतिनिधियों का शैक्षणिक भ्रमण, कार्यशाला, सेमीनार व पारस्परिक अध्ययन आदि का आयोजन भी समय–समय पर करवाया जाता है। प्रकोष्ठ द्वारा निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग में एक पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है। प्रकोष्ठ द्वारा अनेकानेक राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय एवं संभागवार कार्यशालाओं का आयोजन एवं

नवनिर्वाचित सदस्यों हेतु क्षमता संवर्द्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अनेक गैर सरकारी व अन्तर्राष्ट्रीय स्तरीय संस्थान जैसे ICMA, NIUA, BMGF, CFAR, SMS Envocare, ICLEI South Asia, Janaagraha, UMC, CUTS International, CDD, ISPER आदि सीएमएआर के सहयोग व समन्वयन से अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम व राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय Exposure Visit आयोजित कर चुके है, जिनके द्वारा नगरीय निकाय के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को देश विदेश व राज्यों में हो रहे विभिन्न नवाचारों (Best Practices) से अवगत कराया गया। सीएमएआर द्वारा समस्त नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई निरीक्षकों को कोरोना काल में ऑनलाईन प्रशिक्षण NIUA के सहयोग से दिलवाया गया।

CMAR द्वारा स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों (मुम्बई, पूणे, चण्डीगढ़, अमृतसर, इन्दौर एवं अम्बिकापुर) में हो रहे नवाचारों एवं क्षमता संवर्द्धन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया। फरवरी, 2020 में सीएमएआर द्वारा अन्तराष्ट्रीय Regional Conference का आयोजन ICMA के सहयोग से कराया गया। Municipalika-2020 के दौरान विभाग की विभिन्न परियोजनाओं एवं मिशनों की जानकारी हेतु बैंगलुरू में स्टॉल्स लगाई गई।

(3) विभागीय बजट

स्थानीय निकाय विभाग का आयोजना भिन्न मद का संपूर्ण व्यय बजट मद ''2217'' शहरी विकास, 80–सामान्य, 01–निदेशन एवं प्रशासन (06) स्थानीय निकायों का संचालन से वहन किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 का वास्तविक व्यय तथा 2020–21 के प्रावधित बजट प्रावधान का विवरण निम्न प्रकार है :

(राशि लाख रू. में)

क्रं. स.	बजट मद/उप मद	वास्तविक व्यय 2019–20	बजट प्रावधान 2020–21
1.	संवेतन	**981.60**	**1122.00**
2.	यात्रा व्यय	**3.55**	**3.00**
3.	चिकित्सा व्यय	**4.68**	**3.00**
4.	कार्यालय व्यय	**57.54**	**50.00**
5.	वाहन संधारण	**000**	**0.01**
6.	डिक्रीटल व्यय	**56.00**	**0.01**
7	कम्प्यूटराइजेशन व्यय	**0.00**	**0.01**
8	संविदा व्यय	**0.00**	**0.01**
9	वाहनों का किराया	**6.21**	**6.90**
10	अनुरक्षण	**0.00**	**0.01**
11	वर्दियां व अन्य सुविधाऐं	**0.14**	**0.16**
12	विज्ञापन	**0.00**	**0.50**
	योग	**1109.72**	**1185.61**

उपरोक्तानुसार बजट में प्रावधित राशि का उपयोग निदेशालय तथा 07 संभागीय स्तर पर स्थापित क्षेत्रीय उप निदेशक कार्यालयों – जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर एवं अजमेर द्वारा उनकी आवश्यकतानुसार वेतन–भत्तों, कार्यालय व्यय, चिकित्सा व्यय, यात्रा भत्ता आदि हेतु किया जाता है। **(राशि लाख रु. में)**

क्रं. स.	बजट मद /उप मद	वास्तविक व्यय 2019–20	बजट प्रावधान 2020–21
	आयोजना भिन्न		
1	सामान्य अनुदान (विद्युत वितरण कनेक्शन हेतु)	0.00	0.00
2	अन्य सहायता (पीएसपी)	0.00	0.00
3	पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण		
4	14वां वित्त आयोग अनुदान	128478.00	00.12
5	15वां वित्त आयोग अनुदान	0.00	92950.00
6	चुंगी पुनर्भरण हेतु अनुदान	0.00	208400.00
7	सार्वजनिक रोशनी हेतु अनुदान	0.00	0.00
8	टाउन–हाल निर्माण	0.00	3000.03
9	सीवरेज लाइन साफ सफाई	0.00	4400.00
	योग	128478.00	308750.15
	आयोजना/सीएसएस		
1	राज्य वित्त आयोग अनुदान	43070.49	115137.15
2	राज्य वित्त आयोग अनुदान (निष्पादन अनुदान)	0.00	6059.85
3	विरासत विकास एवं विस्तार योजना	0.00	0.00
4	विशेष अनुदान	0.00	0.01
5	शहरी जन सहभागी योजना	372.89	1000.00
6	शहरी पुनरूद्धार हेतु विशेष अनुदान (आर.ओ.बी.)	496.02	4500.00
7	अग्निशमन सेवाऐं	0.00	0.00
8	जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूअल मिशन	0.00	0.00
9	आई.एच.एस.डी.पी	0.00	0.00
10	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.	0.00	0.00
11	ठोस कचरा प्रबन्धन	0.00	4400.00
12	आर.यू.डी.एफ	0.00	0.03
13	जल एवं सीवरेज परियोजना	2205.00	0.03
14	आर.टी.आई.डी.एफ	40537.87	60290.26
15	निर्बन्ध अनुदान (Untied fund)	0.00	0.00
16	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट	900.00	13085.00
17	मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना	0.00	0.00
18	राजीव आवास योजना (प्लान)	0.00	0.06
19	एन.यू.एल.एम. (प्लान)	7712.06	5999.97
20	सेवा चयन आयोग	57.13	72.12
21	प्रोपर्टी टैक्स बोर्ड	0.00	0.01
22	एल.एस.जी भवन निर्माण	0.00	50.00
23	शहरी क्षेत्र में पीने के पानी की आपूर्ति	0.00	700.00
24	सिटी सेनीटेशंन प्लान (सी.एस.एस)	0.00	0.00

25	अपशिष्ट जल का पुर्नचक्रण	0.00	0.00
26	जल संरक्षण की आधारभूत संरचना	0.00	0.01
27	स्वच्छ भारत मिशन	2280.00	10000.00
28	अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)	26101.82	40312.00
29	स्मार्ट सिटी (जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर)	3000.00	40000.24
30	राजस्थान झील विकास प्राधिकरण	0.00	24.00
31	ग्लोबल एन्वायरमेन्ट फैसेलिटी फॉर जे.सी.टी.एस.एल.	40.61	165.00
32	अन्नपूर्णा योजना	0.00	10000.00
33	इन्दिरा रसोई योजना	0.00	0.06
34	प्रधानमंत्री आवास योजना	1550.62	20005.00
योग		128324.55	331800.80
योग आयोजना भिन्न + आयोजना		256802.55	640550.95

(4) विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं

1. राज्य वित्त आयोग अनुदान

राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहणीय कर, शुल्क के रूप में पथकर, एवं फीस के शुद्ध आगमों में पंचायतीराज संस्थाओं और नगरीय निकायो के अंश का अवधारण करने के लिये, आयोग का गठन किया जाता है। जिसकी सिफारिश के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं और नगरीय निकायों को राज्य के स्वंय के कर राजस्व के शुद्ध आगमों में अंश निर्धारित कर अंतरण की सिफारिश करता है।

(क) पंचम राज्य वित्त आयोग –

राज्य सरकार द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन नगरीय निकायो को राज्य निधि में से वर्ष 2015–16 से 2019–20 की अवधि के लिये हिस्सा राशि निर्धारण हेतु किया गया है। पंचम राज्य वित्त आयोग (वर्ष 2015–2020 के लिए) द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसके अनुसार निम्नानुसार नगरीय निकायो को अनुदान राशि का आवंटन किया गया है :–

(राशि लाख रू. में)

अनुदान	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
मूल अनुदान	77395.00	87279.00	79550.00	73736.90	115322.40
कार्यानुसार अनुदान (निष्पादन अनुदान)	......	2253.05	1652.96	4716.35	5623.27
योग	77395.00	89532.05	81202.96	78453.25	120945.67

1. उक्तानुसार वर्ष 2019–20 में आवंटित दर्शायी गई मूल अनुदान राशि में से राशि रूपये 72251.91 लाख की अनुदान राशि वित्त विभाग की प्राप्त सहमति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में चार किश्तो में नगरीय निकाय को हस्तानतरित की गई है।
2. उक्तानुसार वर्ष 2019–20 में आवंटित दर्शायी गई कार्य निष्पादन अनुदान राशि में से राशि रूपये 5623.27 लाख की अनुदान राशि वित्त विभाग की प्राप्त सहमति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में नगरीय निकायो को हस्तानतरित की गई है।

अनुदान का उपयोग–

राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि की 75 प्रतिशत राशि का उपयोग आधारभूत एवं विकास कार्यो यथा स्वच्छता जिसमें सेप्टैज प्रबंधन शामिल है, सीवरेज, जल निकासी

एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाईट, स्थानीय निकायों की सड़कों एवं फुटपाथों, पार्कों, खेल मैदान, कब्रिस्तान एवं शमशान स्थलों का रख–रखाव, नगरीय निकाय के भवनों का रख–रखाव एवं नवगठित नगरपालिकाओं हेतु नये भवन का संन्निर्माण, पौधारोपण तथा तकनीकी और लेखा कार्यो (यदि आवश्यकता हो तो आउटसोर्स किया जा सकता है) जैसी मूलभूत सेवाओं पर किया जाता है तथा सफाई कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का संदाय राज्य वित्त आयोग निधियों से भी किया जा सकेगा साथ में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस अनुदान राशि का प्रयोग कदापि किसी प्रकार के नये पद सृजन हेतु नहीं किया जा सकेगा।

अनुदान का वितरण–

पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त राशि का नगरीय निकायो के मध्य वितरण राज्य वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किये गये फार्मूले के अनुसार किया जा रहा है जो निम्न प्रकार हैः–

55 प्रतिशत	जनसंख्या के आधार पर सभी नगरीय निकायो को
15 प्रतिशत	क्षेत्र के आधार पर सभी नगरीय निकायो को
20 प्रतिशत	सभी नगरपालिकाओं के मध्य जनसंख्या के आधार पर
10 प्रतिशत	नगरपालिकाओं को उच्चतम प्रति व्यक्ति स्वंय की आय से प्रति व्यक्ति स्वयं की आय विचलन के अनुपात में।

2. चौदहवॉ वित्त आयोग (केन्द्रीय वित्त आयोग) के तहत अनुदान –

चौदहवॉ वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2015–2020 की अवधि में राज्य की समस्त नगरीय निकाय के लिये जनरल बेसिक अनुदान तथा जनरल परफोरमेन्स अनुदान केन्द्र सरकार से निम्नानुसार आवंटित किये जाने का प्रावधान है–

(राशि लाखों में)

अनुदान	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	योग
मूल अनुदान	43312.00	59973.00	69293.00	80160.00	108313.00	361050.00
कार्यानुसार अनुदान (निष्पादन अनुदान)	-	17700.00	20030.00	22747.00	29785.00	90262.00
योग	**43312.00**	**77673.00**	**89323.00**	**102907.00**	**138098.00**	**451312.00**

01. वर्ष 2015–16 से 2019–20 हेतु निर्धारित मूल अनुदान राशि क्रमशः राशि रूपये 43312.00 लाख, राशि रूपये 59973.00 लाख, राशि रूपये 69293.00 लाख, राशि रूपये 80160.00 लाख एवं राशि रूपये 108313.00 लाख का वितरण नगरीय निकायो को किया जा चुका है तथा वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 हेतु क्रमशः निर्धारित कार्य निष्पादन अनुदान राशि रूपये 17700.00 लाख एवं राशि रूपये 20030.00 लाख का भी वितरण किया जा चुका है।

02. 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 एवं वर्ष 2019–20 की कार्य निष्पादन अनुदान राशि क्रमशः रूपये 22747.00 लाख एवं रूपये 29785.00 लाख कुल राशि रूपये 52532.00 लाख की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होना अभी तक अपेक्षित है।

अनुदान का वितरण–

पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा वितरण हेतु की गई सिफारिश निम्नानुसार हैः–

55 प्रतिशत	जनसंख्या के आधार पर सभी नगरीय स्थानीय निकायो को
15 प्रतिशत	क्षेत्र के आधार पर सभी नगरीय स्थानीय निकायों को
20 प्रतिशत	सभी नगरपालिकाओं के मध्य जनसंख्या के आधार पर
10 प्रतिशत	नगरपालिकाओं को उच्चतम प्रति व्यक्ति स्वंय की आय से प्रति व्यक्ति स्वयं की आय विचलन के अनुपात में।

अनुदान का उपयोग–

14 वें वित्त आयोग की सिफारिश संख्या 9.55 व 9.56 में राशि के उपयोग करने के संबंध में विस्तृत निर्देश उल्लेखित किये गये है जिसके अनुसार ''स्थानीय निकायों को आयोग द्वारा दिये गये अनुदान को केवल मूलभूत सेवाओं जो कि उन्हे संबंधित विधियों द्वारा सौपी गयी हों, पर खर्च करने के लिये निर्दिष्ट किया गया हैं।'' मूलभूत सेवायें यथा स्वच्छता जिसमें सेप्टैज प्रबंधन शामिल है, सीवरेज, जल निकासी एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाईट, स्थानीय निकायों की सड़को एवं फुटपाथों, पार्कों, मैदानों तथा कब्रिस्तान एवं श्मशान स्थलों का रख–रखाव जैसी मूलभूत सेवाओं के प्रदान को, सुद्ढ करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए।

3. पन्द्रहवें वित्त आयोग (केन्द्रीय वित्त आयोग) के तहत अनुदान –

पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा माह नवम्बर, 2019 में निकायो को वर्ष 2020–21 के अनुदान हेतु अपनी रिपोर्ट जारी की जा चुकी है। रिपोर्ट का अध्याय–5 स्थानीय निकायो के सशक्तिकरण से संबंधित है। आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के पैरा 5.3 के बिन्दु संख्या 10 द्वारा स्थानीय निकायो को दो श्रेणीयों में विभाजित किया गया है–

(क) मिलियन प्लस से अधिक आबादी वाले शहरी समुदायों/शहरों, और
(ख) नॉन मिलियन प्लस (दस लाख) से कम की आबादी वाले सभी अन्य शहर और नगर

पन्द्रहवें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु राजस्थान राज्य की शहरी स्थानीय निकायो के सशक्तिकरण हेतु कुल राशि रूपये 1859.00 करोड़ के अनुदान दिये जाने की सिफारिश की गई है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

राज्य का नाम	मिलियन प्लस श्रेणी की नगरीय निकाय हेतु राशि	नॉन मिलियन प्लस (दस लाख) से कम की आबादी वाले सभी अन्य शहर	राजस्थान राज्य को प्राप्त होने वाली कुल राशि
राजस्थान	562.00	1297.00	1859.00

पन्द्रहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत मिलियन प्लस शहरों हेतु वर्ष 2020–21 में निर्धारित अनुदान राशि रूपये 562.00 करोड़ में से अब तक रूपये 281.00 करोड़ की अनुदान राशि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा चयनित नोडल शहरी निकाय को किया जा चुका है तथा नॉन मिलियन प्लस

शहरों हेतु निर्धारित अनुदान राशि रूपये 1297.00 लाख में से अब तक रूपये 648.50 करोड़ का आवंटन नॉन मिलियन प्लस शहरों की निकाय को किया जा चुका है।

अनुदान का उपयोग–

15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली अनुदान राशि का उपयोग निम्नानुसार किया जावेगाः–

(क) **मिलियन प्लस से अधिक आबादी वाले शहरी समुदायों/शहरों के लिये** – मिलियन प्लस शहरो को सम्पूर्ण अनुदान राशि बाध्य अनुदान के रूप में देय है। अनुदान राशि का उपयोग वायु गुणवता में सुधार लाने तथा पेयजल एवं ठोस अपशिष्ठ प्रबन्ध हेतु किया जावेगा।

(ख) **नॉन मिलियन प्लस (दस लाख) से कम की आबादी वाले सभी अन्य शहर और नगर** के लिये पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा वितरित मूल अनुदान राशि का उपयोग नगरीय निकायो द्वारा जहां स्थानीय जरूरतों को महसूस किया जा सके वहां स्थानीय जरूरत के अनुसार वेतन एवं स्थापना व्यय को छोड कर किया जा सकता है तथा बाध्य अनुदान राशि का उपयोग निकाय क्षेत्र में पेयजल एवं ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन हेतु किया जावेगा।

4. चुंगी पुनर्भरण अनुदान –

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना 31 जुलाई, 1998 द्वारा राज्य की नगरीय निकायों द्वारा वसूल किये जा रहे चुंगी कर को समाप्त कर 01 अगस्त, 1998 से राज्य की सभी नगरीय निकायों को उनके द्वारा वर्ष 1997–98 में एकत्रित की जा रही चुंगी राशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ चुंगी पुनर्भरण अनुदान स्वीकृत किये जाने के आदेश 14 अगस्त, 1998 को जारी किये गये है। नगरीय निकायो के कर्मचारियों के वेतनभत्तो के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा चुंगी पुनर्भरण अनुदान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रूपये 172103.04 लाख एवं वर्ष 2019–20 में राशि रूपये 189741.21 लाख का हस्तांतरण किया गया है।

वर्ष 2020–21 हेतु चुंगी पुनर्भरण अनुदान में राशि रूपये 208400.40 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है। जिसमें से नगरीय निकायो को माह अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2020 तक राशि रूपये 156489.48 लाख का आवंटन किया जा चुका है।

5. दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना को वित्तीय वर्ष 2014–15 में पुर्नगठित (Restructured) कर इसका नाम दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DEENDAYAL ANTYODAYA YOJANA-NATIONAL URBAN LIVELIHOODS MISSION (DAY-NULM) कर दिया गया है। इस योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :–

- DAY-NULM में केन्द्र व राज्य का अंश क्रमशः 75 प्रतिशत व 25 प्रतिशत था, जो वित्तीय वर्ष 2015–16 से भारत सरकार द्वारा 60:40 कर दिया गया है।

- राज्य में DAY-NULM का क्रियान्वयन प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2014–15 से राज्य के सभी 33 जिला मुख्यालयों तथा जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 1 लाख या अधिक आबादी वाले सभी 7 शहरों (किशनगढ़, ब्यावर, भिवाड़ी, हिण्डोनसिटी, गंगापुरसिटी, सुजानगढ़ व मकराना) सहित कुल 40 नगर निकायों में किया जा रहा था। यह योजना वित्तीय वर्ष 2016–17 से राज्य की सभी नगर निकायो में प्रारम्भ कर दी गई है।

- DAY-NULM में भी SJSRY की भांति सिर्फ बीपीएल चयनित परिवारों को ही लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है, लेकिन DAY-NULM में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने परिपत्र 05 दिसम्बर, 2014 द्वारा बीपीएल सूची के अलावा स्टेट बीपीएल सूची व अन्त्योदय सूची में सम्मिलित परिवार तथा ऐसे शहरी गरीब परिवार जिनकी वार्षिक आय रू. 03.00 लाख तक है, को भी DAY-NULM कें अन्तर्गत लाभान्वित करने का निर्णय लिया है।

- वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंत में अर्थात 31 मार्च, 2014 को SJSRY / DAY-NULM अन्तर्गत राज्य में राशि रू. 2331.11 लाख केन्द्रीय अंश व राशि रू. 777.04 लाख राज्यांश अर्थात कुल राशि रू. 3108.15 लाख अवशेष थे, जिसका उपयोग अब DAY-NULM में किया जा रहा है। इसके साथ ही DAY-NULM अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में भारत सरकार से राशि रू. 4201.04 लाख व राज्य सरकार से राशि रू. 1400.35 लाख प्राप्त हुये थे। वित्तीय वर्ष 2015–16 में योजनान्तर्गत अब तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई थी, और वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि रू. 791.00 लाख, वित्तीय वर्ष 2017–18 में राशि रू. 2851.00 लाख, वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रू. 2145.61 लाख, वित्तीय वर्ष 2019–20 में राशि रू. 3810.75 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 में राशि रू. 3930.70 लाख केन्द्रांश के रूप में प्राप्त हुये है ।

DAY-NULM के घटकों का विवरण व उनके क्रियान्वयन की प्रगति निम्नानुसार हैः–

A. Capacity Building and Training (CB&T) :-

- राज्य स्तर पर DAY-NULM के क्रियान्वयन के प्रबंधन हेतु माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में एक शासकीय परिषद् (Governing Council) व अतिरिक्त मुख्य सचिव / शासन सचिव महोदय, स्वा. शा. वि. की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति (Executive Committee) तथा प्रत्येक जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय कार्यकारी समिति (District Executive Committee) का गठन किया जा चुका है।

- इसके साथ ही DAY-NULM के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर State Urban Development Agency - SUDA को State Urban Livelihoods Mission - SULM बनाया जा चुका है, जो राज्य मिशन निदेशक (State Mission Director -SMD) के अधीन कार्य कर रहा है।

- निदेशालय के परियोजना प्रकोष्ठ को अब DAY-NULM के लिए State Mission Management Unit - SMMU बनाया गया है। इसी प्रकार DAY-NULM के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर District

Mission Management Unit - DMMU का गठन किया जा चुका है, जो जिला परियोजना अधिकारी (District Project Officer-DPO) के अधीन कार्य कर रहा है।

- SMMU में राज्य स्तर पर 6 तकनीकी विशेषज्ञ तथा संभाग स्तर के जिलों पर 3 तकनीकी विशेषज्ञ एवं अन्य जिला मुख्यालय पर 2 तकनीकी विशेषज्ञ व नगरीय निकाय स्तर पर सामुदायिक संगठक (Community organizer - CO) की सेवाऐं संस्था M/S BSA Corporation Ltd., Pune के माध्यम से ली जा रही है। इन सभी का भुगतान DAY-NULM की राशि से किया जा रहा है।

B. Social Mobilisation and Institution Developmenta (SM & ID) :-

- DAY-NULM में स्वंय सहायता समूह (Self-Help Groups - SHGs) तथा उनके संगठन पर बल दिया गया है। जिसके अनुसार प्रत्येक शहरी गरीब परिवार का न्यूनतम एक सदस्य (जिसमें महिला को प्राथमिकता दी जाये) आवश्यक रूप से SHG का सदस्य बनाया जायेगा। स्वयं सहायता समूह में 10–20 सदस्य (पुरूष या महिला) एक ग्रुप के रूप में वस्तुओं का उत्पादन कर क्रय–विक्रय सम्बन्धी गतिविधियां की जा रही है, जिससे समूहो को आर्थिक संबल मिल रहा है। यह समूह एक साथ अपनी छोटी–छोटी बचत को इकट्ठा कर आपस में लेनदेन करते है तथा ग्रुप के सदस्य अपनी नियमित बैठके करते है। DAY-NULM के अन्तर्गत शहरी बीपीएल परिवारों के SHG बनाये जाते है। विशेष परिस्थितियों में गैर बीपीएल को भी सदस्य बनाया जा सकता है, फिर भी न्यूनतम 70 प्रतिशत सदस्य शहरी बीपीएल परिवार से होने अनिवार्य है। योजनान्तर्गत अब तक 22,063 SHGs का गठन किया जा चुका है।

- बस्ती/वार्ड स्तर पर 10–20 SHGs मिलकर अपना एक संगठन बनायेंगे, जिसे Area Level Federation-ALF कहा जायेगा तथा सभी ALFs मिलकर शहर स्तर पर City Level Federation-CLF का गठन करेंगे, बड़े शहरों में एक से अधिक CLFs भी गठित किये जा सकते है। प्रत्येक SHG से नामित दो सदस्य ALF के सदस्य होगे तथा प्रत्येक ALF का एक नामित सदस्य CLF का सदस्य होगा। ALF तथा CLF का पंजीयन कराना अनिवार्य है। राज्य में अब तक 752 ALFs तथा 31 CLF का गठन किया जा चुका है।

- SJSRY के UCDN घटक के तहत गठित SHGs व Thrift and credit Societies यथावत NULM में भी कार्य करते रहेगें तथा SJSRY में गठित NHG, NHC & CDS को भी क्रमशः SHG, ALF & CLFs में परिवर्तित किया जा सकता है।

- **ROs का चयन** – SHG, ALF & CLF आदि के गठन, उनके विकास, बैंक लिंकेज तथा इससे सम्बंधित अन्य समस्त गतिविधियों के लिए Resource Organisations-ROs का सहयोग लिया जा सकता है, जिसके लिए ROs को प्रति SHG अधिकतम रू. 10,000 तक का भुगतान एनयूएलएम की राशि से सम्बंधित नगरीय निकायों द्वारा किया जायेगा। RO के चयन के लिए जारी Expression of INTEREST (EoI) के आधार पर सभी नगर निकायों में 113 ROs का चयन किया जा चुका है, जिनमें से 92 ROs कार्य कर रहे है।

- **रिवोल्विंग फण्ड** – SHG द्वारा न्यूनतम 3 माह तक कार्य करने पर उसे सहयोग हेतु DAY-NULM की राशि में से रू. 10,000 प्रति SHG रिवोल्विंग फण्ड के रूप में उपलब्ध कराये जाते है, इसके लिए SHG के सदस्यों में न्यूनतम 70 प्रतिशत सदस्य बी.पी.एल चयनित होने अनिवार्य है। SJSRY के तहत गठित SHG जिन्होनें पहले रिवोल्विंग फण्ड नही लिया है, उन्हे भी यह रिवोल्विंग फण्ड उपलब्ध कराया जा सकता है। प्रत्येक रजिस्ट्रर्ड ALF को सहयोग हेतु रू. 50,000 रिवॉल्विंग फण्ड के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। अब तक 16425 SHGs तथा 590 ALFs को रिवॉल्विंग फण्ड जारी किया जा चुका है।

- **Universal Financial Inclusion (UFI)** – DAY-NULM का उद्‌देश्य सभी शहरी बी.पी.एल परिवारों का बैकिंग सेवाओं के अतिरिक्त अन्य वित्तीय मामलों में समावेश करना भी है। इसके लिए नगरीय निकाय द्वारा सभी शहरी बीपीएल परिवारों को वित्तीय साक्षरता (Financial literacy) के तहत व्यक्ति को बचत करना, ऋण प्राप्त करना, राशि हस्तांतरण व बीमा आदि करने की जानकारी देना सम्मिलित है। इसके लिए बैंको के माध्यम से नगरीय निकाय द्वारा Financial Literary Camps का आयोजन किया जाना है।

- **शहरी आजीविका केन्द्रः–** DAY-NULM के तहत प्रत्येक शहर में न्यूनतम एक शहरी आजीविका केन्द्र (City Livelihoods Center-CLC) स्थापित किया जायेगा, जहां शहरी गरीबों द्वारा अपनी सेवायें तथा उत्पादन बेचने व बैकिंग तथा प्रशिक्षण आदि से सम्बंधित अन्य कार्यवाहियां सम्पादित होंगी। नगर निकायों में CLCs की स्थापना शहर की जनसंख्या अनुसार निम्नानुसार की जा सकेंगी :–

1. जनसंख्या 03 लाख तक CLC की संख्या	–	01
2. जनसंख्या 03 लाख से 05 लाख तक CLC की संख्या	–	02
3. जनसंख्या 05 लाख से 10 लाख तक CLC की संख्या	–	03
4. जनसंख्या 10 लाख से अधिक CLC की संख्या	–	अधिकतम 08

एक CLC की स्थापना हेतु DAY-NULM के तहत तीन किस्तो में राशि रूपये 10.00 लाख की आर्थिक सहायता देय होगी, जो भौतिक आधारभूत ढांचे के निर्माण व रिनोवेशन में उपयोग नही की जा सकेगी। चालू वित्तीय वर्ष के नगर निकायवार लक्ष्य आवंटित किये जा चुके है। इनके प्रस्ताव नगर निकाय द्वारा निदेशालय को भिजवाने है, जिनकी स्वीकृति निदेशालय से जारी की जायेगी। नगर निगम, जयपुर सहित 23 शहरो में शहरी आजीविका केन्द्र प्रारम्भ हो चुके है तथा अन्य शहरों में प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

C. Employment through Skill Training and Placement (EST&P) :-

DAY-NULM के इस घटक के तहत शहरी गरीबों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण तथा लाभकारी रोजगार में प्लेसमेन्ट कराने का प्रावधान है, जिसमें प्रशिक्षण हेतु कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नही है। वर्ष 2015–16 तक योजनान्तर्गत प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम रू. 15,000 व्यय करने का प्रावधान था। अब भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षण अवधि अनुसार प्रति घण्टा निर्धारित कर दी गई है। इस भुगतान का एक अंश (20 प्रतिशत) लाभार्थी के स्वरोजगार/ प्लेसमेन्ट की गुणवत्ता 12 माह तक देखने से जोड़ा जायेगा। योजनान्तर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों

में से न्यूनतम 70 प्रतिशत लाभार्थियों का प्लेसमेन्ट/स्वरोजगार हेतु उद्यम स्थापित कराया जाना अनिवार्य है।

इस घटक का क्रियान्वयन विभाग द्वारा CIPET, ATDC, FICSI, ILD, MSME, CLC, GMCDC, Bunkar Sangh तथा Green Jobs संस्थाओं से प्रशिक्षण करवाया जा रहा है। अब तक 33,212 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा वर्तमान में लगभग 10,300 युवा प्रशिक्षणरत है। गत वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार निदेशालय में एक राज्य स्तरीय काल सेन्टर की स्थापना की गई है। अब तक लाभान्वित युवक–युवतियों से फोन के माध्यम से प्रशिक्षण सम्बन्धी अनुभव, सुझाव अथवा शिकायत सम्बन्धी फीड–बैक लिया जा रहा है।

D. Self-Employment Programme (SEP) :-

DAY-NULM के इस घटक के तहत शहरी गरीबों को व्यक्तिगत रूप से तथा समूह में बैंको के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है, जिससे बी.पी.एल चयनित परिवार के सदस्यों द्वारा लाभकारी स्वरोजगार/उद्यम स्थापित किये जा सकें। इस घटक के तहत बी.पी.एल चयनित परिवार के सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए मुख्य रूप से निम्न नियम/शर्तें है :–

- लाभार्थी की आवेदन करते समय न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी आवश्यक है।
- ऋण हेतु किसी प्रकार की बैंक गारण्टी/जमानत (Collateral Security) की आवश्यकता नही है।

व्यक्तिगत व समूह में लाभार्थियों को निम्न सुविधाऐं/लाभ उपलब्ध कराये जा रहे है :–

I. **व्यक्तिगत उद्यम स्थापित करने हेतु ऋण व अनुदान** – इसके तहत् शहरी गरीब व्यक्ति को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु अधिकतम परियोजना लागत राशि रू. 02.00 लाख के लिए बैंक ऋण दिया जायेगा तथा इस ऋण पर 07 प्रतिशत से अधिक ब्याज की राशि अनुदान के रूप में योजना से उपलब्ध कराई जायेगी अर्थात लाभार्थी को ऋण 07 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है। योजनान्तर्गत अब तक 21,640 परिवारों को बैक ऋण दिलाया जा चुका है।

II. **समूह द्वारा उद्यम स्थापित करने हेतु ऋण व अनुदान -** इसके तहत् SJSRY या DAY-NULM के तहत् गठित स्वयं सहायता समूह (SHG) या शहरी गरीबों के न्यूनतम 5 सदस्यों के एक ग्रुप (जिसमें न्यूनतम 70 प्रतिशत शहरी गरीब अनिवार्य है) को स्वरोजगार हेतु उद्यम स्थापित करने के लिए अधिकतम परियोजना लागत राशि रू. 10.00 लाख के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस पर 07 प्रतिशत से अधिक ब्याज की राशि अनुदान के रूप में DAY-NULM से उपलब्ध कराई जायेगी अर्थात लाभार्थियों को ऋण 07 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है। योजनान्तर्गत अब तक 2006 समूह ऋण दिये गये है।

III. **उद्यम विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम -** शहरी गरीबों द्वारा उद्यम स्थापित करने हेतु दक्षता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ ही 03 से 07 दिन की उद्यम विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (EDP

Training) दिया जाना अनिवार्य है। इस कार्यक्रम में उद्यम स्थापित/विकसित करने से संबंधित मूलभूत जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी, जिनमे उद्यम का प्रबंधन, बेसिक अकाउंटिंग, वित्तीय प्रबंधन, मार्केटिंग, बैकवार्ड व फोरवार्ड लिंकेजेज, कानूनी प्रक्रिया, लागत–आय, समूह गतिविधियां, कार्य का वितरण व लाभांश का बंटवारा आदि शामिल है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बैंको द्वारा ऋण भुगतान से पूर्व RSETI के माध्यम से कराया जाता है, जिसके लिए RSETI से विभाग द्वारा MoU किया गया है।

IV. **स्वयं सहायता समूहों को ब्याज अनुदान** (SHG-Bank Linkage)- घटक के तहत् बैंको द्वारा SHG के बचत खाते खोलना और उसके बाद SHG के असैसमेंट/ग्रेडिंग के उपरान्त उसकी बचत के 04 गुना तक Savings Linked Loan उपलब्ध कराया जायेगा। इस ऋण पर भी नियमानुसार ब्याज पर अनुदान देय होगा तथा महिलाओं के समूहों को इस ऋण पर अतिरिक्त 3% ब्याज अनुदान देय होगा अर्थात महिलाओं के समूहो को यह ऋण 04 (7–3) प्रतिशत ब्याज पर देय होता है। योजनान्तर्गत अब तक 2,541 स्वयं सहायता समूहो को ऋण दिया गया है।

V. **उद्यम विकास हेतु क्रेडिट कार्ड -** उद्यम संचालन हेतु प्रतिदिन नकद राशि (Working Capital) की आवश्यकता होती है इसके लिए बैंक द्वारा उद्यमियों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। DAY-NULM के तहत् SEP में ऋण लेने वाले एवं अन्य उद्यमियों को बैंक से यह सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

इस घटक के तहत समस्त कार्यवाही नगरीय निकाय द्वारा ही की जाती है, जो निम्नानुसार हैः–

- **आवेदन प्रक्रिया** :– व्यक्तिगत व ग्रुप में सभी प्रकार के ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन–पत्र सम्बंधित नगर निकाय द्वारा ही बैंको को भिजवाये जाते है। कोई भी पात्र व्यक्ति जो स्वंय का उद्यम स्थापित करना चाहता है, एक सादा कागज पर अपना प्रार्थना पत्र सम्बंधित नगरीय निकाय में प्रस्तुत कर सकता है/डाक से भिजवा सकता है। नगरीय निकाय को इस प्रकार के आवेदन–पत्र हमेशा (सम्पूर्ण वर्ष) स्वीकार करने होंगे तथा उनको इन्द्राज कर प्राथमिकता सूची भी बनाई जायेगी। दोनो प्रकार के ऋण हेतु आवेदन के प्रारूप SLBC से अनुमोदन उपरान्त नगरीय निकाय को उपलब्ध कराये जा चुके है।

- **टास्क फोर्स का गठन** :– नगरीय निकाय में व्यक्तिगत व ग्रुप में ऋण हेतु प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार करने/अग्रिम कार्यवाही हेतु जिला स्तर पर एक टास्क फोर्स का गठन सम्बन्धित आयुक्त, नगरीय निकाय की अध्यक्षता में किया गया है, जिसका प्रावधान योजना की गाईड लाईन में दिया गया है। जिले की नगरीय निकाय द्वारा समस्त ऋण आवेदन–पत्रों को टास्क फोर्स की बैठक में प्रस्तुत करना होता है। टास्क फोर्स द्वारा आवेदन–पत्रों का परीक्षण (Scrutiny) किया जाता है तथा लाभार्थी को इन्टरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद टास्क फोर्स द्वारा आवेदन–पत्र को अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वीकार या निरस्त किया जाता है या अतिरिक्त सूचना मांग कर आगामी बैठक में पुर्नविचार हेतु लम्बित रखा जाता है। टास्क फोर्स द्वारा आवेदन–पत्र को बैंक को भिजवाने की सिफारिश पर नगरीय निकाय द्वारा आवेदन–पत्र

बैंको को भिजवा दिया जाता है, जिसका बैंक द्वारा 15 दिवस में निस्तारण करना आवश्यक होता है तथा ऐसे आवेदन–पत्रों को विशेष परिस्थितियों में ही अस्वीकृत किया जा सकता है।

- **ब्याज अनुदान की प्रक्रिया** :– सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व सहकारी बैंक योजनान्तर्गत ब्याज अनुदान प्राप्त करने के पात्र है। गत वित्तीय वर्ष से भारत सरकार द्वारा इलाहाबाद बैंक को नोडल बैंक नियुक्त कर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ब्याज अनुदान की राशि सीधे ही लाभार्थियों के खाते में स्थानान्तरित की जा रही है। ब्याज अनुदान से सम्बंधित राशि के भुगतान एक तिमाही से अधिक समय तक नगर निकाय में लम्बित नही रहने चाहिए।

E. Support to Urban Street Vendors (SUSV) :-

घटक के तहत स्ट्रीट वेण्डर्स का सर्वे एवं क्षमतावर्द्वन, माइक्रोएन्टरप्राईजेज के विकास में सहयोग, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना तथा अन्य कार्य सम्मिलित है। इसके तहत समयबद्व कार्यक्रम के अनुसार स्ट्रीट वेण्डर्स का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराना, उन्हे पंजीकृत करना तथा उन्हे पहचान पत्र जारी करना आदि सम्मिलित है। जिन नगरीय निकाय में स्ट्रीट वेण्डर्स की अनुमानित संख्या 1000 से कम है वहां निकाय अपने संसाधनों से सर्वे कर रही है तथा जहां स्ट्रीट वेण्डर्स की अनुमानित संख्या 1000 से अधिक है वहॉ संसाधनों का चयन किया जा चुका है तथा सर्वे जारी है। इनमें से 188 शहरो में सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है। सभी शहरो में टाउन वेन्डिंग कमेटियों (TVC) का गठन किया जा रहा है, अब तक 189 शहरो में TVC का गठन हो चुका है।

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर आत्मनिर्भर निधि (स्वनिधि योजना)

पथ विक्रेताओं के प्रभावित व्यवसाय को पुनः प्रारम्भ करने के लिए किफायती कार्यशील पूंजी के रूप में विशेष अल्पावधि ऋण उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 जून, 2020 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि (**PMSVANIDHI**) योजना प्रारम्भ करने की घोषणा की गई।

योजना की मुख्य विशेषताएं :–

- पथ विक्रेता 1 वर्ष की अवधि के लिए 10000/– तक के सम्पाश्रविक–मुक्त (**Collateral-free**) कार्यशील पूंजी ऋण को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। ऋण के समय पर/शीघ्र चुकाने पर 07% वार्षिक सब्सिडी **DBT** के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जावेगी।
- पथ विक्रेताओं द्वारा समय पर ऋण की अदायगी करने पर ऋण की सीमा बढ़ाये जाने के पात्र होंगे। इस योजना के तहत ऋण देने वाले संस्थानों अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, आर.आर.बी.एस, एन.एफ.बी.एस, सहकारी बैंक, एन.बी.एफ.सी एवं एस.एच.जी शामिल है। इस योजना में पथ विक्रेताओं द्वारा डिजीटल लेन–देन करने पर प्रोत्साहन के रूप में मासिक कैशबैक दिया जाएगा।

राज्य की प्रगति – राज्य में कुल चिन्हित (**Identified**) 2,14,059 स्ट्रीट वेण्डर्स में से 73,915 पथ विक्रेताओं को आईडी कार्ड वितरित किए जा चुके है तथा अब तक 1,24,885 ऋण आवेदन ऑनलाईन हो चुके है, जिसमें से 44,531 स्वीकृत होकर 26,276 को ऋण वितरित किया गया।

F. Scheme of Shelter for Urban Homeless (SUH) :-

DAY-NULM के इस घटक के तहत शहरी गरीबों में सबसे गरीब को आश्रय स्थल तथा उससे सम्बंधित अन्य सुविधाए उपलब्ध कराना है। यह आश्रय स्थल हमेशा अर्थात 24 घण्टे सभी 07 दिवस संचालित होगा। प्रति 01 लाख की आबादी पर स्थाई सामुदायिक आश्रय स्थल जो न्यूनतम 100 व्यक्तियों के लिए हो संचालित किया जायेगा। प्रत्येक व्यक्ति को 50 वर्ग फीट अर्थात 4.645 वर्गमीटर का स्थान उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। इस आश्रय स्थल पर सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाए जैसे पानी, शौचालय, बिजली, रसोई आदि उपलब्ध कराई जानी आवश्यक है, साथ ही इस आश्रय स्थल में रहने वालों को विभिन्न राजकीय योजनाओ से लाभान्वित करवाया जायेगा। आश्रय स्थल के निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग की दरों के अनुरूप राशि परियोजना के आश्रय स्थल घटक के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जायेगी। इन आश्रय स्थलों का संचालन योजनान्तर्गत प्राप्त राशि से 05 वर्ष तक किया जायेगा। 50 व्यक्तियों के आश्रय स्थल हेतु प्रतिवर्ष राशि रू. 06 लाख उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके तहत अब तक नगर निकायों में 210 आश्रय स्थलों के संचालन योजना के दिशा–निर्देशानुसार किया जा रहा है।

G. Inovative and Special Projects :-

DAY-NULM के इस घटक पर कुल आवंटन की 05 प्रतिशत राशि व्यय की जा सकती है, जो केन्द्रांश से ही व्यय की जायेगी, इसके लिए राज्यांश की आवश्यकता नही है। स्पेशल प्रोजेक्ट उपरोक्त किसी भी घटक से सम्बंधित हो सकते है। इस घटक के तहत Public Private Community Partnership - PPCP मोड को प्राथमिकता दी जायेगी, अर्थात इस प्रकार के प्राजेक्ट NGOs, CBOs, Semi-Govt. Organisations, Private Sector, Individual Association, Govt. Deptt./Agencies, ULBs, Resource Centres, International Organisations etc. द्वारा हाथ में लिये जा सकते है। इस तरह के प्रस्ताव किसी वर्ग/क्षेत्र/गतिविधि विशेष से सम्बंधित तथा निर्धारित समय अवधि (Time Bound) के होने चाहिए। ऐसे प्रस्ताव सम्बंधित एजेन्सी द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत करते हुए एक अग्रिम प्राप्ति भारत सरकार को भिजवाई जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव के परीक्षण उपरान्त प्रस्ताव उपयुक्त पाये जाने पर अपनी सहमति सहित भारत सरकार को भिजवाया जायेगा। भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव को Project Approval Committee को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें इसकी स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। इस तरह के प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक Format निर्धारित किया हुआ है, उसी Format में प्रस्ताव तैयार किया जाना है।

6. शहरी जनसहभागी योजना

शहरी विकास में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं जन सहयोग प्राप्त कर शहरों में

विकास कार्य करवाये जाने के उद्देश्य से शहरी जन सहभागी योजना, राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर, 2004 में आरम्भ की गई। वर्ष 2004–05 में संभाग मुख्यालय की 06 नगर निकायों में इस योजना को प्रारम्भ किया गया व वर्ष 2005–06 में राज्य की समस्त नगरीय निकायों में इसका क्रियान्वयन आरम्भ किया गया। इस योजना के दो प्रमुख भाग निम्न हैः–

1. **जन चेतना** :– इसके तहत गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सेवी संस्थायें एवं राजकीय विभागों द्वारा आपसी सहयोग एवं समन्वय से शहरी क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन किया जाकर शहरों के सौन्दर्यकरण, सफाई व्यवस्था, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार एवं टीकाकरण के बारे में जन–समुदाय में जन चेतना जागृत की जाकर उनकी सहभागिता प्राप्त की जाती है।

2. **विकास कार्य** :–योजना के इस भाग में राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत ढॉचा सुदृढ़ करने हेतु आवश्यकतानुसार विभिन्न विकास कार्य यथा राजकीय विद्यालय/महाविद्यालय/ चिकित्सालय/पशु चिकित्सालय/कार्यालय के लिए भवन व सुविधाओ हेतु समस्त स्थाई निर्माण, छात्रों हेतु शैक्षिक/सहशैक्षिक व खेल–कूद सामग्री, चिकित्सालयों हेतु आवश्यक उपकरणों का क्रय, पानी की निकासी हेतु नाली एवं पुलिया निर्माण, हैण्डपम्प व अन्य पेयजल व्यवस्था तथा जल संग्रहण से जुड़े कार्य, समस्त प्रकार की सार्वजनिक सुविधाओं हेतु सार्वजनिक सम्पत्तियों का निर्माण, नगर पालिका सीमा में सड़क, उद्यानों, चौराहों इत्यादि का सौन्दर्यकरण कार्य कराये जाते है। अन्य किसी योजना में अधूरे निर्माण कार्य पूर्ण करवाने (मरम्मत, रंगाई, पुताई नहीं) हेतु शेष कार्य का सक्षम अभियंता स्तर से विस्तृत तकमीना बनाया जाकर कार्य कराया जा सकता है।

3. **वित्तीय व्यवस्था एवं प्रगति** – योजनान्तर्गत कार्य की कुल लागत का 50 प्रतिशत राज्यांश के रूप में, 30 प्रतिशत जनसहयोग एवं 20 प्रतिशत राशि सम्बन्धित नगर निकाय, यू.आई.टी या पेरास्टेटल विभाग का अंशदान होता है, किन्तु इसमें एम.पी. या एम.एल.ए. फण्ड की राशि शामिल नहीं की जा सकती है। श्मशान घाट व कब्रिस्तान की बाउण्ड्रीवाल निर्माण में 10 प्रतिशत राशि जन सहयोग से तथा शेष 90 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2019–2020 में राशि रूपये 372.89 लाख की स्वीकृतियां जारी हुई है। वर्ष 2020–2021 में राशि रूपये 200.00 लाख का प्रावधान राज्यांश हेतु किया गया था। जिसके विरूद्ध दिसम्बर 2020 तक 65.92 लाख रूपये राज्यांश रिलीज किया जा चुका है।

7. शहरी क्षेत्र में विभाग द्वारा आर.ओ.बी./आर.यू.बी. का निर्माण :–

राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में कुल 57 आर.ओ.बी./आर.यू.बी. के कार्य स्वीकृत किये गये है। इस परियोजना की कुल लागत रू. 1750.59 करोड़ है जिसमें राज्यांश रू. 1082.34 करोड़ एवं रेलवे अंशदान रू. 668.25 करोड़ है।

- **वर्तमान में 10 आर.ओ.बी. /आर.यू.बी.का कार्य प्रगति पर है :–**
  आर.ओ.बी. (10) : किशनगढ़ (1), अजमेर (2), आबू रोड़ (1), पिण्डवाडा (1), फालना (1), बीकानेर (1), झुंझुनूं (1), रानी (1), फुलेरा (1) **आर.यू.बी. (1)** : सादुलशहर (1)

- **07 आर.ओ.बी / आर.यू.बी का कार्य प्रारम्भ अवस्था में है** (जी.ए.डी. व एस्टीमेट निर्माणाधीन है):–
  आर.ओ.बी. (4): अजमेर (1), हिण्डौन (1), बारां (1), एवं राजगढ (1)
  आर.यू.बी. (3): सांगरिया (1), निम्बाहेड़ा (1), गंगापुरसिटी (1)
- **मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2019–20 में 2 नवीन आर.ओ.बी:–**
  आर.ओ.बी. (2) : बाड़मेर (1), जोधपुर (1)

8. लघु एवं मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढ़ांचा विकास योजना (UIDSSMT):-

11 शहरों की सीवरेज परियोजनाओं का क्रियान्वयन यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी के ट्रांजीशन फेज के तहत किया जाना है। इसके अन्तर्गत MOUD ने RUIDP की SOR 2011 के आधार पर स्वीकृत की थीं। इनकी कार्यकारी एजेन्सी सम्बन्धित निकाय व जन–स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग है। योजना की क्रियान्वन्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा स्वयं के अंशदान की प्रथम एवं द्वितीय (अन्तिम किश्त) 60% जारी कर दी गई है। प्रारम्भ में ट्रांजीशन फेज की योजनाओं हेतु वित्तीय अंशदान राशि निम्न प्रकार से निर्धारित की गई थीः–

केन्द्र सरकार 80%	राज्य सरकार 10%	स्थानीय निकाय 10%

तत्पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा आदेश क्रमांक K-140207/4/NURM-2015 Dated 14-08-2015 अनुसार ट्रांजीशन फेज की योजनाओं हेतु वित्तीय अंशदान का पुनः निर्धारण कर केन्द्र सरकार का अंश 80% के स्थान पर 60% का प्रावधान रखा है। राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा 20% की क्षतिपूर्ति हेतु अमृत योजना के अनुसार पुनः निर्धारित अंश परिवर्तन की सिद्धान्ततः स्वीकृति दी गई, जो निम्न प्रकार हैः–

केन्द्र सरकार 60%	राज्य सरकार 20%	स्थानीय निकाय 20%

उक्त परियोजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, RUIDP SOR 2013 की दरों पर आधारित तकनीकों व 10 वर्ष की O&M को सम्मिलित करते हुए जारी की गई जो निम्न प्रकार हैः–

क्र.सं.	स्थानीय निकायो के नाम	कुल जनसंख्या (2011)	लाभान्वित जनसंख्या का प्रतिशत	राशि
1.	चिड़ावा	44999	61%	8222.00
2.	नवलगढ़	67798	76%	10514.00
3.	भादरा	42016	82%	11346.00
4.	सूरतगढ़	74496	49%	10060.00
5.	लक्ष्मणगढ़	47706	100%	9010.00
6.	जैतारण	22621	100%	4896.00
7.	रामगढ़ शेखावाटी	22943	100%	5763.00
8.	निम्बाहेड़ा	61949	100%	9668.00
9.	बड़ी सादड़ी	15723	100%	3361.00
10.	फतेहपुर सनवाड़	22812	37%	4600.00
11.	कुशलगढ़	10666	100%	5087.00
12.	केकड़ी	41890	75%	941.00

उक्त 12 परियोजनाओं से शहरो की कुल 4.80 लाख जनसंख्या लाभान्वित होगी और करीब 44,000 घरों को सीवरेज सुविधा का लाभ मिलेगा। योजना के अन्तर्गत कुल 797.79 किलोमीटर सीवरेज लाईनो का जाल बिछाया जायेगा एवं कुल 22 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (STP) कुल 42.00 एम. एल.डी की क्षमता के निर्मित किये जावेगे। साथ ही 3 सीवरेज पम्पिंग स्टेशन (SPS) कुल 8.78 एम. एल.डी. क्षमता के भी निर्मित किये जायेगे।

योजना के अन्तर्गत संवेदक द्वारा सीवरेज लाईन बिछाने के कार्य के साथ आगामी 10 वर्षो तक योजनाओं को संचालित एवं संधारित किया जावेगा। संवेदको द्वारा SBR टेक्नोलोजी के मापदण्ड़ो अनुरूप सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का निर्माण किया जावेगा व संशोधित सीवरेज की गुणवत्ता निम्न आयामों के अनुसार होगीः–

- BOD - 10PPM, COD – 50 PPM, Suspended Solids (SS) – 10 PPM.
- शोधित सीवरेज का सिचाई, मत्स्य पालन, उद्योगों आदि में उपयोग किया जावेगा।

उक्त परियोजनाओं की सीवरेज निविदा स्वीकृत कर राशि रू. 761.38 करोड के सीवरेज कार्यों जिसमें 10 वर्ष का O&M सम्मिलित करते हुऐ NTP जारी किया जा चुका है।

भारत सरकार से प्राप्त प्रथम एवं द्वितीय (अन्तिम किश्त) राशि रू 383.85 करोड़ का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र भिजवा दिया है। योजना को मार्च, 2021 तक पूर्ण करना लक्ष्य है, जिस हेतु कार्य प्रगति पर है।

9. राजस्थान शहरी विकास कोष (RUDF) :–

राज्य सरकार द्वारा जेएनएनयूआरएम के अन्तगर्त संचालित योजनाओं एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में शहरी नगरीय निकायों को वित्तीय मदद देने के उद्देश्य से आदेश क्रमांक एफ (02)/रूफडिको/आरयूडीएफ/2010–10/5762, 26 मार्च, 2010 के द्वारा राजस्थान शहरी विकास कोष की स्थापना की गयी। इस कोष से ऋण/अनुदान के वितरण का उद्देश्य परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करना है।

राजस्थान अरबन ड्रिंकिग वाटर सीवरेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रेक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RUDSICO) उक्त कोष के लिए प्रबन्धकीय प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहा है। यह कोष प्रारंभिक राशि रूपये 400.00 करोड़ के साथ स्थापित किया गया था, जिसमें रूपये 150.00 करोड राजस्थान सरकार द्वारा तथा रूपये 250.00 करोड शहरी स्थानीय निकायों/वित्तीय संस्थाओं/बैंको द्वारा उपलब्ध कराये जाने है। अब इस फण्ड का आकार बढ़ाकर रू. 1000.00 करोड़ कर दिया गया है, जिसमें राज्य सरकार की हिस्सा राशि रू. 375.00 करोड़ व शेष रूपये 625.00 करोड अन्य की हिस्सा राशि है।

वित्त विभाग के निर्देशानुसार भविष्य में कोई भी नया लोन आरयूडीएफ द्वारा नहीं दिया जायेगा। इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर द्वारा सभी नगर पालिकाओं/UITs को आदेश भी पारित किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि वर्तमान में आर. यू.डी.एफ. में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण नये लोन स्वीकृत नही किये जायेगें।

10. अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत):–

माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा माह जून, 2015 में अमृत योजना का शुभारंभ शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवाएं (अर्थात् जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन) मुहैया कराने और सुख–सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से अवसंरचना का सृजन करना है, जिससे विशेषतया गरीबों और वंचितों सभी के जीवन स्तर में सुधार होगा।

मिशन के स्वीकार्य अवयव

- जलापूर्ति
- सीवरेज सुविधाएं और सेप्टेज प्रबंधन
- बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल नाले
- पैदल मार्ग, गैर–मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग स्थल, और
- विशेषतः बच्चों के लिए हरित स्थलों और पार्कों और मनोरंजन केन्द्रों का निर्माण और उन्नयन करके शहरों की भव्यता बढाना।

कवरेज – अमृत योजना के अंतर्गत भारत के 500 शहरों में से राजस्थान के कुल 29 शहरों को चयनित किया गया है:– जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, पाली, हनुमानगढ़, अलवर, सीकर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, चुरू, बारां, चित्तौड़गढ़, नागौर, बूंदी, श्रीगंगानगर, टोंक, झुन्झुनू, भिवाड़ी, ब्यावर, गंगापुरसिटी, हिण्डौनसिटी, सुजानगढ़, किशनगढ़ व झालावाड़।

फण्डिंग पैटर्न – अमृत योजनान्तर्गत 10.00 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिये वित्तीय व्यवस्था केन्द्र–33 प्रतिशत, राज्य–33 प्रतिशत व नगरीय निकाय–33 प्रतिशत तथा 10.00 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिये वित्तीय व्यवस्था केन्द्र–50 प्रतिशत, राज्य–30 प्रतिशत व नगरीय निकाय–20 प्रतिशत निर्धारित है।

धनराशि प्रावधान –

- भारत सरकार ने राशि रू. 919.00 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना (SAAP-I) 2015-16, 21 अक्टुबर, 2015 को स्वीकृत कर दी है।
- भारत सरकार ने रू. 1072.80 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना (SAAP-II) 2016-17, 26 मई, 2016 को स्वीकृत कर दी है।
- भारत सरकार ने राशि रू. 1232.14 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना (SAAP-III) 2017-20, 18 नवम्बर, 2016 को स्वीकृत कर दी है।
- इस प्रकार परियोजना निधि में चयनित 29 शहरो के लिए 03 वार्षिक कार्य योजना से कुल रू. 3223.94 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

रिफॉर्म्स – मिशन के अन्तर्गत रिफॉर्म्स के सफल क्रियान्वन के फलस्वरूप राज्य को 2015–16 में रू. 20.80 करोड़ एवं 2017–18 में रू. 37.94 करोड़, वर्ष 2018–19 में रू. 14.29 करोड एवं वर्ष 2019–20 रू 16.12 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है।

कार्य निष्पादन – परियोजनाओं का निष्पादन नगरीय निकाय/जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग इत्यादि द्वारा किया जा रहा है।

बजट प्रावधान – राजस्थान के लिए योजना अवधि में भारत सरकार द्वारा रू. 3223.94 करोड़ का बजट प्रावधान स्वीकृत किया गया है। जिसके विपरीत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी की गई राशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:–

(राशि करोड़ में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	राज्य स्तरीय वार्षिक कार्य योजना की अनुमोदित राशि	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित दिनांक	केन्द्र सरकार का प्राप्त अंशदान			राज्य सरकार से प्राप्त अशंदान		
				प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	तृतीय किस्त	प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	तृतीय किस्त
1.	2015–16	919.00	21.10.2015	308.39	563.83	586.54	55.14	337.82	134.37
2.	2016–17	1072.80	26.05.2016				63.13		
3	2017–20	1232.14	18.11.2016				66.76		
	कुल	3223.94		308.39	563.83	586.54	185.03	337.82	134.37

- परियोजना पर दिसम्बर, 2020 तक 1800.00 करोड रू. व्यय किये जा चुके है व्यय राशि में निकाय अंशदान सम्मिलित है, एवं भौतिक प्रगति 80% प्राप्त कर ली गई है।
- ए.एण्ड.ओ.ई व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 मे रू. 07.00 करोड़, वर्ष 2016–17 में रू. 07.15 करोड़, वर्ष 2017–18 में रू. 09.20 करोड वर्ष, 2018–19 में रू 21.47 करोड एवं वर्ष, 2020–21 में रू 12.83 करोड प्राप्त हुए है। प्राप्त कुल राशि रू. 57.65 करोड़ में से रू. लगभग 42.00 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भिजवाया जा चुका है।

स्वीकृत कार्यों का सेक्टर वार विवरण–

सेक्टर	स्वीकृत कार्य एवं राशि	कार्यादेश एवं राशि	कार्यकारी एजेन्सी	भौतिक प्रगति
सीवरेज	**26 शहरों में 32 कार्य राशि रू. 2066.00 करोड (2369 किमी सीवर लाईन व 38 एसटीपी)**	• 32 कार्यादेश जारी– राशि रू. 2066.00 करोड • व्यय राशि रू. 1217.00 करोड • देनदारियां राशि रू. 260.00 करोड	अलवर– यू.आई.टी अलवर सवाईमाधोपुर, टोंक, पाली, भीलवाडा, श्रीगंगानगर, कोटा फेज़ I–आर.यू.आई.डी.पी, कोटा फेज़ II व III यू.आई.टी कोटा उदयपुर फेज द्वितीय– स्मार्ट सिटी शेष–सम्बंधित नगर निगम/परिषद	81%
जलापूर्ति	**23 शहरों में 24 कार्य राशि रू. 1023.00 करोड (3237 किमी लाईन, 28 CWR, 85 ESR व GLSR)**	• 24 कार्यादेश जारी– राशि रू. 1023.00 करोड • व्यय राशि रू. 521.00 करोड • देनदारियां राशि रू. 153.00 करोड	उदयपुर–स्मार्ट सिटी, कोटा फेज–द्वितीय, यू.आई.टी कोटा शेष–जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	79%

सेक्टर	स्वीकृत कार्य एवं राशि	कार्यादेश एवं राशि	कार्यकारी एजेन्सी	भौतिक प्रगति
ड्रेनेज	**05 शहरों में 06 कार्य राशि रू. 68.00 करोड (27.24 किमी नाला निर्माण)**	• 05 कार्यादेश जारी— राशि रू. 61.00 करोड • व्यय राशि रू. 27.00 करोड • देनदारियां राशि रू. 5.00 करोड	सम्बंधित नगर निगम / परिषद	64%
ग्रीन स्पेस	**29 शहरों में 31 कार्य (106 पार्क) राशि रू. 52.00 करोड**	• 31 कार्यादेश जारी— राशि रू. 52.00 करोड • व्यय राशि रू. 35.00 करोड • देनदारियां राशि रू. 2.00 करोड	भिवाडी—बीड़ा भिवाडी अलवर— यू.आई.टी अलवर जोधपुर—जोडा जोधपुर शेष—सम्बंधित नगर निगम / परिषद	92%
शहरी यातायात	**जयपुर में बस क्रय—रू. 15.41 करोड (परियोजना राशि से)**	• निविदा की जानी है • कुल रू. 25.00 करोड आवंटित (राशि रू. 9.59 करोड प्रोत्साहन राशि से दिये जाने हैं)	जे.सी.टी.एस.ल	—
कुल	**29 शहरों में 94 कार्य राशि रू. 3224.00 करोड**	• 92 कार्यादेश जारी—राशि रू. 3201.00 करोड • कार्यकारी एजेन्सियों को जारी राशि रू. 1800.00 करोड • व्यय (उपयोगिता प्रमाण पत्र) राशि रू. 1800.00 करोड • संपादित कार्यों की कुल लागत—रू. 2220.00 करोड • देनदारिया राशि रू. 420.00 करोड • कुल वित्तीय प्रगति : 70 प्रतिशत		80%

11. राजीव आवास योजनाः—

योजनान्तर्गत अजमेर शहर के स्लम फ्री सिटी प्लान ऑफ एक्शन (SFCPOA) को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है एवं जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, अलवर, प्रतापगढ़ एवं चित्तौड़गढ़ के स्लम फ्री सिटी प्लान ऑफ एक्शन (एस.एफ.सी.पी.ओ.ए.) का प्रारूप तैयार किया जा चुका है। योजनान्तर्गत भारत सरकार से 16 शहरों के लिए राशि रू. 903.15 करोड़ की परियोजना लागत की 19 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनमें कुल 16,132 आवासों का निर्माण करने के साथ—साथ आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। स्वीकृत 16,132 आवासों में से इस योजना के अन्तर्गत 7,065 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर 3,666 आवासों का आवंटन किया जा चुका है तथा 1,612 आवास निर्माणाधीन हैं। योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा ''सबके लिये आवास'' (एच.एफ.ए.) में सम्मिलित किया जा चुका है।

राजीव आवास योजना के सभी कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 31 मार्च, 2022 है।

12. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (सालाना आय 3.00 लाख तक) व अल्प आय वर्ग (03.00 लाख से 06.00 लाख तक) के परिवारों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाने हेतु निर्धारित लक्ष्य 06.14 लाख आवासों के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक ''अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP)'' घटक में 68,518 आवास तथा ''व्यक्तिगत आवास निर्माण एवं अभिवृद्धि (BLC)'' घटक के तहत 87,857 आवास कुल 1,56,375 आवास केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में स्वीकृत किये जा चुके है। इसके अतिरिक्त 74,645 आवास मुख्यमंत्री जन आवास योजना— 2015 के प्रावधान 2 एवं 3 के तहत निजी विकासकर्ता की निजी भूमि पर संबंधित विकास प्राधिकरण/विकास न्यास/नगरीय निकाय/आवासन मण्डल द्वारा **ऋण में अनुदान घटक** (CLSS) के तहत स्वीकृत किये गये है। इस प्रकार राज्य में कुल 2,31,020 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य में स्वीकृत किये गये है। स्वीकृत आवासों में से 49,824 आवास निर्माणाधीन है तथा 8,040 आवास पूर्ण किये जा चुके है।

13. स्मार्ट सिटीज मिशन

- माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा माह जून, 2015 में स्मार्ट सिटीज मिशन योजना का शुभारंभ किया गया।
- योजना में राजस्थान के 04 शहर जयपुर, उदयपुर, अजमेर एवं कोटा सम्मिलित। जयपुर व उदयपुर का चयन 28 जनवरी, 2016 तथा कोटा व अजमेर का चयन 3 अक्टूबर, 2016 में किया गया।
- स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन, किफायती आवास, ई—गवर्नेंस, नागरिकों की शिक्षा, जन—आवश्यकता के कार्य, चिकित्सा सुविधाओं एवं खेलकूद सुविधाओं के विस्तार तथा शहरी आधारभूत सुविधाओं के विकास कार्य सम्मिलित।
- केन्द्रांश 100 करोड रू प्रति वर्ष प्रति शहर पांच वर्ष तक

भारत सरकार	राज्य सरकार	नगरीय निकाय	यूआईटी/विकास प्राधिकरण
50%	30%	10%	10%

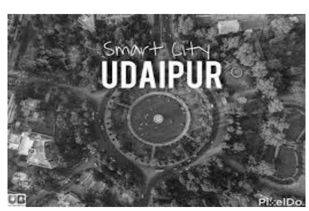

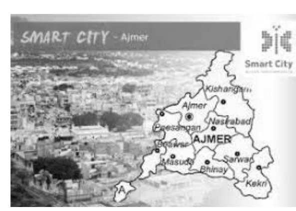

- कुल प्राप्त राशि रू 1744.00 करोड के विरूद्ध राशि रू 1237.00 करोड का व्यय
- वित्तीय स्थिति

(राशि करोड में)

शहर	निर्धारित फंडिंग					प्राप्त/जारी राशि					व्यय
	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	संबधित स्थानीय निकाय	संबधित नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण	कुल	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	संबधित स्थानीय निकाय	संबधित नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण	कुल प्राप्त	
उदयपुर	500.00	300.00	100.00	100.00	1000.00	350.00	120.00	68.43	50.00	588.43	512.00
जयपुर	500.00	300.00	100.00	100.00	1000	250.00	120.00	40.50	0.00	410.50	270.00
कोटा	500.00	300.00	100.00	100.00	1000	200.00	120.00	25.70	15.00	360.70	198.00
अजमेर	500.00	300.00	100.00	100.00	1000.00	250.00	120.00	10.06	4.00	384.16	257.00
कुल	**2000.00**	**1200.00**	**400.00**	**400.00**	**4000.00**	**1050.00**	**480.00**	**144.69**	**69.00**	**1743.69**	**1237.00**

- कार्य की वर्तमान स्थितिः—

शहर	कुल परियोजनाओं की संख्या	कुल राशि	पूर्ण परियोजनाए		चालू परियोजनाए		निविदाधीन परियोजनाए		डीपीआर बनाने के स्तर पर	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
उदयपुर	102	899.00	33	36.00	55	740.00	9	49.00	5	74.00
जयपुर	132	1254.00	21	97.00	43	424.00	13	146.00	55	587.00
कोटा	43	863.00	13	106.00	22	650.00	2	66.00	3	41.00
अजमेर	109	970.00	21	36.00	45	706.00	21	100.00	22	128.00
योग	**386**	**3986.00**	**88**	**275.00**	**165**	**2520.00**	**48**	**361.00**	**85**	**830.00**

14. राजस्थान अरबन इन्फास्ट्रक्चर रिन्यूवल प्रोजेक्ट फेज—1 (Rajasthan Urban Infrastructure Renewal Project (Phase-1)

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वित्त वर्ष 2017—18 के बजट में की गई घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में राज्य के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में सड़क निर्माण/सुधार कार्य करवाने की घोषणा की गई थी। इस क्रम में स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांकः एफ. 55 अभिया/सीई/डीएलबी/2017/सड़क निर्माण/2846—3076, 13 अक्टुबर, 2017 के अन्तर्गत नगरीय निकाय क्षेत्रों में सड़क सुधार/मरम्मत/पेच रिपेयर/पुनर्रूद्धार एवं सड़क निर्माण कार्यो का त्वरित रूप से क्रियान्वित करने के लिए रूडसिको को कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त किया गया था। जिसके अन्तर्गत कार्यों की प्राथमिकता का निर्धारण निकाय क्षेत्र के सम्बन्धित माननीय विधायक, जिला कलक्टर एवं निकाय के महापौर/सभापति/अध्यक्ष एवं आयुक्त एवं आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी के विचार विमर्श के उपरांत किया गया है।

उक्त प्रस्तावित कार्यों की राशि रू. 1200.64 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। 179 निकायों के द्वारा राशि रू. 1008.98 करोड़ के कार्यादेश जारी किये जा

चुके है तथा वर्तमान में 138 निकायों में कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 41 निकायों में कार्य प्रगतिरत है। RUIRP-I के तहत निकायों को राशि रूपये 800.43 करोड़ आवंटित किये जा चुके है।

15. राज. ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डवलपमेन्ट फण्ड (RTIDF) :–

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि के अंतर्गत वर्ष 2020–21 में राशि रूपये 60,290.26 लाख का बजट प्रावधान है। इस प्रकार राशि रूपये 60,290.26 लाख के विरूद्ध अभी तक राशि रूपये 49,716.78 लाख की स्वीकृति RSRTC, JCTSL, PWD, JBSL, Transport Dept. & Jaipur Metro, RUDSICO आदि को जारी की जा चुकी है। स्वीकृति हेतु अन्य प्रस्ताव वित्त विभाग में विचाराधीन चल रहे है।

16. इन्दिरा रसोई योजना :–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार ने ''कोई भूखा ना सोये'' के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और कदम बढाते हुए 20 अगस्त, 2020 से प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में इन्दिरा रसोई योजना की शुरूआत की है।

- योजना का प्रमुख उद्देश्य जरूरतमंद व्यक्तियों को सस्ती दरों पर सम्मानपूर्वक बिठाकर स्थानीय स्वादानुसार दो समय का शुद्ध व पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाना है।

- इन्दिरा रसोई की स्थापना हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा, नगर निकायों के सामुदायिक भवन, रेल्वे एवं बस स्टेशन, अस्पताल, मण्डी, चौकडी आदि अधिक जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों पर नगर निकायों के आश्रय स्थलों, अम्बेडकर भवनों, सामुदायिक भवनों एवं एनजीओ के रिक्त भवनों में निशुल्क की गई है।

- योजनान्तर्गत 213 नगर निकायों में 358 स्थायी रसोईयों के संचालन हेतु जिलास्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति द्वारा सेवाभावी संस्थाओं/एनजीओ का चयन किया गया है, जिनके माध्यम से दोपहर एवं रात्रि भोजन उपलब्ध करवाया जाकर योजना के दिशा निर्देशानुसार प्रतिदिन 01. 34 लाख (04.87 करोड़ प्रतिवर्ष) से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाएगा, जिस पर प्रथम वर्ष में 94.56 करोड रूपये तत्पश्चात आधारभूत व्यय की एकमुश्त राशि को कम करने के बाद प्रतिवर्ष लगभग रूपये 76.96 करोड का व्यय संभावित है।

- **रसोईयों का निर्धारण** – इन्दिरा रसोई योजनान्तर्गत 213 नगर निकायों में 358 स्थायी रसोईयों की स्थापना की गई है जिसमें नगर निगम क्षेत्रों में 87 रसोईयां (जयपुर–20, जोधपुर–16, कोटा–16, अजमेर–10, बीकानेर–10, उदयपुर–10 एवं भरतपुर–05), नगर परिषद क्षेत्रों में (कुल 34 नगर परिषद) में 03 रसोई प्रति नगर परिषद एवं प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र (कुल 169 नगर पालिका) में 01 रसोई प्रति नगर पालिका संचालित की जा रही है।

- **खाने की संख्या** – नगर निगम क्षेत्र में प्रति रसोई 300 थाली लंच एवं 300 थाली डिनर तथा नगर परिषद/नगर पालिका क्षेत्र में प्रति रसोई 150 थाली लंच एवं 150 थाली डिनर दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन राज्यस्तरीय समिति की अनुशंषा पर भोजन की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकेगी।

- **भोजन का मैन्यू** – इन्दिरा रसोई योजनान्तर्गत भोजन में चपाती, दाल, सब्जी एवं अचार सम्मिलित किया गया है तथा स्थानीय समिति द्वारा आवश्यकतानुसार मैन्यू में स्थानीय स्वादानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। भोजन में प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं अचार दिए जाने का प्रावधान है।
- **लाभार्थी अंशदान**–योजनान्तर्गत भोजन हेतु लाभार्थी से 08.00 रुपये प्रति थाली लिए जाने का प्रावधान है।
- **अनुदान राशि** – रसोई संचालक को भोजन वितरण पर राज्य सरकार द्वारा 12.00 रुपये प्रति थाली अनुदान के रूप में देय होगा।
- **भोजन का समय** – योजनान्तर्गत दोपहर का भोजन प्रातः 8:30 से दोपहर 2:00 एवं रात्रिंकालीन भोजन सायं 05:00 बजे से 08.00 बजे तक उपलब्ध कराने का प्रावधान है किन्तु जिलास्तरीय समिति द्वारा अपने स्तर पर अथवा सर्दी एवं गर्मी के मौसम में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।
- **डोनेशन**–योजनान्तर्गत कोई भी दानदाता अपने परिजनों की वर्षगांठ जन्मदिन या अन्य किसी उपलक्ष्य में दोपहर/रात्रि अथवा दोनों समय का भोजन प्रायोजित कर सकते हैं। भोजन की लागत मूल्य का भुगतान प्रायोजक सम्बन्धित रसोई में जमा करवाकर निशुल्क भोजन करा सकता है। इस हेतु प्रायोजक को ऑनलाईन पोर्टल से जमा राशि की रसीद प्राप्त होगी एवं कूपन पर प्रायोजक का नाम अंकित होगा। साथ ही कोई भी दानदाता जिलास्तरीय मॉनिटरिंग समिति को भी दान दे सकता है।
- योजनान्तर्गत जिलास्तरीय समन्वय समिति की पूर्वानुमति से एक्सटेन्शन काउन्टर बनाकर भी भोजन वितरण किए जाने का प्रावधान है।
- योजना की आईटी मॉनिटरिंग हेतु सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा आईटी आधारित मॉनिटरिंग से प्रत्येक रसोई को जोड़ा जाएगा, जिसके माध्यम से रसोई में स्थित सीसीटीवी कैमरे के लाईव फीड एवं वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग द्वारा रियल टाईम मॉनिटरिंग आदि का प्रावधान है।
- सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा योजना की ऑनलाईन मॉनिटरिंग एवं योजना से सम्बन्धित जानकारी आम आदमी को पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराने एवं योजना के विभिन्न पक्षों का प्रभावी ढंग से विश्लेषण कर योजना को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु इन्दिरा रसोई वेब पोर्टल, वेबसाईट एवं वेब पोर्टल विकसित किए गए हैं।
- प्रत्येक रसोई में डेस्कटॉप/कम्प्यूटर एवं कैमरा होगा, जिससे लाभार्थी के रसोई में आगमन के समय कैमरे की मदद से फोटो खींचकर उसके नाम से भोजन हेतु कूपन जारी किये जाने का प्रावधान है। योजना में लाभार्थी की सूचना पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध होगी।
- योजनान्तर्गत रसोईयों द्वारा तैयार भोजन की गुणवत्ता एवं हाईजीन की नियमित रूप से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिले की नगर निकाय में नियुक्त खाद्य निरीक्षक द्वारा जाँच किए जाने का प्रावधान।
- योजनान्तर्गत इन्दिरा रसोई योजना के संचालन 20 अगस्त, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक 1,31,03,549 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

(5) अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम / गतिविधियां

(I) स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) – परिचय

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का शुभारंभ 15 अगस्त 2014 को किया गया, जन सहभागिता व नागरिकों के सक्रिय सहयोग से 2 अक्टूबर 2019 तक सम्पूर्ण भारत में उच्च स्तर की स्वच्छता सुनिश्चित किये जाने का लक्ष्य व भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की अवधि 31 मार्च, 2021 तक बढाई जा चुकी है। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अन्तर्गत राशि रूपये 705.00 करोड़ का बजट प्रावधान है। केन्द्रांश राशि में राज्यांश राशि को सम्मिलित करते हुये नगरीय निकायों को राशि हस्तान्तरण किया जा रहा है।

- **स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के उदेश्य :–**
  - ➢ शहरी क्षेत्र मे खुले में शौच प्रतिबंधित करने एवं शौचालय विहीन मकानो में स्वच्छकारी शौचालयो का निर्माण
  - ➢ राज्य के शहरी क्षेत्रो में कच्ची बस्तियो अथवा घनी आबादी क्षेत्र मे भूमि अथवा स्थान की कमी के समाधान के लिये सामुदायिक शौचालयो का निर्माण
  - ➢ राज्य के शहरी क्षेत्रो में प्रमुख सार्वजनिक स्थलो, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन आदि स्थानो पर दैनिक आने–जाने वाली अस्थायी जनसंख्या के लिए सार्वजनिक शौचालयो का निर्माण।
  - ➢ भारत सरकार द्वारा जारी ठोस अपशिष्ठ नियम 2016 की पालना में वैज्ञानिक विधि से ठोस कचरे का प्रबंधन एवं निस्तारण।

- **स्वीकृति**
  - ➢ भारत सरकार द्वारा राशि रु 611.34 करोड़ तथा राज्यांश राशि रु 314.61 करोड़, कुल राशि रु 925.95 करोड़ निकायों को हस्तान्तरित किये जाकर मिशन के घटको की क्रियान्विति की जा रही है।

मिशन के घटक एवं उनकी कियान्विति

1. खुले में शौच से मुक्ति

- ➢ प्रदेश की 196 नगरीय निकायो को खुले मे शौचमुक्त घोषित किया जा चुका है। क्वालिटी कॉउन्सिल आफ इण्डिया (QCI) द्वारा 190 नगरीय निकायों को खुले मे शौचमुक्त घोषित किये जाने का प्रमाण–पत्र जारी, किया जा चुका है तथा शेष नगरीय निकायों की प्रक्रिया चल रही है।

- ➢ **घरेलू शौचालयों का निर्माणः–** निकायों द्वारा शौचालय विहीन घरो का सर्वे कर लाभार्थियों को रूपये 4,000/– भारत सरकार की और से तथा रूपये 4,000/– राज्य सरकार की और से एवं रूपये 4,000 संबंधित नगरीय निकाय की और से कुल राशि 12,000/– प्रति शौचालय अनुदान के रूप में दिये जा रहे है। अब तक कुल 3.65 लाख शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

- **सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माणः–** भारत सरकार द्वारा दिशा–निर्देशों के अनुरुप आवश्यकता अनुसार निकायों द्वारा सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। सामुदायिक शौचालयों/सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण हेतु प्रति सीट रूपये 39,200/– भारत सरकार द्वारा तथा रूपये 13,067/– राज्य सरकार द्वारा कुल रूपये 52,267/– अनुदान के रूप में दिये जा रहे है। अब तक कुल 2,792 सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

2. ठोस कचरा प्रबंधन

- ठोस कचरा प्रबंधन हेतु प्रति व्यक्ति राशि रूपये 420/– भारत सरकार द्वारा राशिरूपये 140/– राज्य सरकार द्वारा कुल राशि रूपये 560/– प्रति व्यक्ति अनुदान के रूप में दिये जा रहे है। शेष राशि निकायों द्वारा वहन की जा रही है।

- 196 निकायो के सभी 5,464 वार्डो में घर–घर से कचरा संग्रहण एवं कचरे का परिवहन किया जा रहा है।

- नगरीय निकायों द्वारा प्रतिदिन सड़कों/नालियों की सफाई, घरों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों से निकले कचरे का संग्रहण, परिवहन का कार्य करवाया जा रहा है।

- राज्य में 66 प्रोसेसिंग प्लांट एवं MRF Facility लगाया जाकर कचरे से खाद ,आरडीएफ एवं बायोगैस बनायी जा रही है। (हाल ही में पाली एवं भीलवाड़ा के प्लान्ट चालू हुये है)

- जयपुर (6 मेगा वाट) एवं जोधपुर (04 मेगा वाट) में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाये जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ फर्म को पॉवर परचेज एग्रीमेन्ट किया जाना है।

- 18 स्थानों पर कम्पोस्ट, आर.डी.एफ एवं बॉयो–मेथेनेशन प्लांट्स लगाये जाने के स्वीकृति जारी की जा चुकी है। (अलवर 129 TPD कम्पोस्ट एवं आर.डी.एफ प्लान्ट हेतु स्वीकृति दी जा चुकी है) जो पर्यावरण स्वीकृति मिलने के 18 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगें।

- जयपुर में 300 TPD C&D waste Recycling & Processing प्लान्ट लगाये जाने हेतु स्वीकृति जारी कर दी गई है। नगर निगम जयपुर को प्लान्ट लगवाये जाने की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

- पार्को में कम्पोस्ट पिट एवं कम्पोस्ट मशीनों के माध्यम से कचरे से खाद बनायी जा रही है। बल्क वेस्ट जनेटरो द्वारा स्वंय के स्तर पर अपने परिसर में गीले कचरे से खाद बनाये जाने का कार्य प्रारंभ किया गया है।

- निकायों द्वारा कम्पोस्ट मशीनों का क्रय कर गीले कचरे से खाद बनाये जाने का कार्य प्रारम्भ किया है। सूखे कचरे की छटनी हेतु मेटेरीयल रिकवरी फेसेलिटी बनाई जा रही है।

- नागरिकों का फीड–बैक सभी नगरीय निकाय में 1969, स्वच्छता ऐप व स्वच्छ सर्वेक्षण वैब साईट के माध्यम से दिया जा रहा है। राज्य स्तरीय कॉल सेन्टर (टोल फ्री नम्बर 18001806127) पर शिकायतों का निवारण किया जा रहा है।

3. आईईसी गतिविधियाः–

- आउटडोर प्रचार–प्रसार (होर्डिंग्स / यूनीपोल) / कियोस्क / बससेन्टर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों पर फ्लैक्स लगाकर जन जागृति, एफ.एम. रेडियो के माध्यम से जन जागृति, कठपुतली एवं नुक्कड़ / नाटक के कार्य करवाये जा रहे है। लगभग 3000 से अधिक राजकीय होर्डिंग्स / यूनीपोल तथा फ्रन्टलिट फ्रेम 2000 सामान्य बसों के बैक पैनल पर फ्लैक्स लगाकर जन जागृति का कार्य किया जा रहा है।

- एफ.एम. रेडियों एवं आकाशवाणी के माध्यम से आमजन के मध्य जन जागृति का कार्य किया जा रहा है।

4. क्षमता सवर्धनः–

- नगरीय निकायों के अधिकारियों / कर्मचारियों को राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोंजन कर स्वच्छता के प्रति सजगता एवं विषय वस्तु की जानकारी दी जाकर उनकी क्षमता का विकास किया गया है। साथ ही अच्छे कार्यो करने वाली निकाय का भ्रमण करवाकर नवाचारों को लागू किए जाने का प्रयास किया गया है।

- संभागीय स्तर पर समीक्षा बैठक कर नगरीय निकायों की क्षमता संवर्धन किया जा रहा है।

5. स्वच्छ सर्वेक्षण 2021:–

- स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 की तैयारी प्रगति पर है।

- MoHUA भारत सरकार द्वारा आयोजित Webinar एवं Workshop में राज्य के समस्त निकायों द्वारा भाग लिया गया।

- समस्त निकायों को SBM Portal पर स्वच्छता संबंधी प्रगति की MIS Update प्रत्येक माह की 05 तारीख तक करने हेतु निर्देशित किया गया है।

(2) 'हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिकों का प्रतिषेध एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत शहरी क्षेत्रों में अस्वास्थ्यकारी शौचालयों (Insanitary Latrines) को जलप्रवाही शौचालयों में परिवर्तित करना व स्वच्छकारों (Manual Scavengers) का पुनर्वास करना :–

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 19 सितम्बर, 2013 को भारत के राजपत्र में इस अधिनियम को प्रकाशन करते हुये, हाथ से मैला उठाने / साफ करने के कार्य को

प्रतिबंधित करने एवं इस कार्य में लगें हुये/कार्यरत स्वच्छकारों (मैन्यूअल स्केवेंजर्स) व उनके परिवार के पुनर्वास के लिये 6 दिसम्बर, 2013 से सम्पूर्ण देश में लागू किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा 'हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिकों का प्रतिषेध एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013' की प्रभावी क्रियान्विति हेतु शहरी क्षेत्रों में अस्वास्थ्यकारी शौचालयों (Insanitary Latrines)/शुष्क शौचालय व स्वच्छकारों (Manual Scavengers) के सर्वे का कार्य समस्त नगर निकायों में पूर्ण कर सूचना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भिजवा दी गई है। वर्तमान में नवीन सर्वे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है। राज्य की निकायों में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अन्तर्गत सभी अस्वच्छकारी शौचालयों को स्वच्छकारी शौचालयों में परिवर्तित किया जा चुका है। वर्तमान में राज्य के किसी भी शहर में हाथ से मैला ढ़ोने (Manual Scavenging) की सामाजिक कुप्रथा (Social Evils) में कोई व्यक्ति/कार्मिक संलिप्त नहीं है।

(3) जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन :–

राज्य में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से निस्तारण के अन्तर्गत 08 शहरों में स्थापित कॉमन बायो–मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसेलिटी संयत्रों से जोधपुर, पाली, बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अजमेर, भीलवाडा, अलवर, झालावाड़, बांरा, जयपुर, दौसा, उदयपुर, बून्दी, भरतपुर, कोटा सहित 17 जिलों से जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण किया जा रहा है।

नागौर एवं डूंगरपुर में प्लांट का कार्य पूर्ण कर दिया गया है एवं प्लांट को संचालित किये जाने हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में CTO हेतु आवेदन किया जा चुका है। सवाई माधोपुर में निविदायें स्वीकृत की जा चुकी है।

जयपुर (ग्रामीण) में प्लान्ट का कार्य पूर्ण कर दिया है एवं प्लांट को संचालित किये जाने हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में CTO हेतु आवेदन प्रक्रियाधीन है।

इसके अतिरिक्त 3 शहरों सवाईमाधोपुर, चित्तौडगढ़ एवं जालौर की निविदायें स्वीकृत की जा चुकी है। पर्यावरण विभाग से पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन कर दिया है स्वीकृति उपरान्त प्लान्ट का कार्य चालू किया जावेगा।

झुन्झुनू (झुन्झुनू + सीकर + चुरू) व कोटा (कोटा + बून्दी) में प्लान्ट हेतु जमीन आवंटन कर दिया गया है। लीज डीड प्रक्रियाधीन है। जैसलमेर (जैसलमेर + बाड़मेर) हेतु निविदा स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

(4) प्लास्टिक वेस्ट प्रबन्धन :–

सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 तथा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम–2009 की अनुच्छेद 258 के तहत् प्लास्टिक कैरी बैग्स को जब्त करने का कार्य नगरीय निकायों द्वारा किया जा रहा है।

राज्य की नगरीय निकायों में जब्त किया गया 255 टन प्लास्टिंग बैग्स/थैलियों को निस्तारण हेतु सीमेन्ट फैक्ट्रियों में भिजवाया गया है तथा राशि रूपये 02.98 करोड़ रूपये की शास्ति लगाई गई है। राज्य द्वारा समस्त नगरीय निकायों में मैटेरियल रिकवरी फेसिलिटी का निर्माण करवाया जा रहा हैं। वर्तमान में 66 नगरीय निकायों में मैटेरियल रिकवरी फेसिलिटी संचालित हैं तथा नगरीय निकायों द्वारा लगभग 1782 रेगपिकर को चिन्हित किया जाकर पहचान पत्र आवंटित किये गये है। जो कि मैटेरियल रिकवरी फेसिलिटी पर ठोस कचरे से प्लास्टिक व अन्य रिसाईकलेबल मैटेरियल को पृथक्कीकरण का कार्य कर रहे है, जिसका रिसाइकलर्स/सीमेन्ट प्लांट को भिजवाया जा रहा है।

(5) बजट वर्ष 2018–19 में की गई घोषणाओं अन्तर्गत वर्ष 2019–20 की प्रगति

Rajasthan Urban Infrastructure Renewal Project-2018 (RUIRP-II)

बजट वर्ष 2018–19 में सभी नगरीय निकायों क्षेत्रों में सड़कों एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं के सुदृढीकरण के अन्तर्गत सड़को–नालियों की Maintanance एवं Renewal सहित अम्बेडकर भवनों के निर्माण, बरसाती पानी के निकास की व्यवस्था, श्मशान एवं कब्रिस्तान के विकास तथा सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण कार्य हेतु RUIRP-Phase-II में राशि रूपये 1000.00 करोड़ के प्रावधान की घोषणा अन्तर्गत निम्नानुसार राशि आवंटन का प्रावधान किया गया है :–

1. अम्बेडकर भवन निर्माण कार्य : (राशि रूपये 102.00 करोड़)

नगर पालिकाओं में कम से कम 500 वर्गमीटर, नगर परिषदों मे कम से कम 750 वर्ग मीटर एवं नगर निगमों मे कम से कम 1100 वर्ग मीटर के भूखण्ड़ (अनुमानित क्षेत्रफल) में नगर निकाय के स्वयं के स्वामित्व की भूमि का चिन्हीकरण करते हुये आवश्यक सुविधाओं से युक्त **अम्बेडकर भवनों का निर्माण** हेतु नगरीय निकायों को निम्नानुसार राशि आवंटन का प्रावधान किया है :–

(राशि रूपये करोड़ में)

क्रम सं.	नगर निकाय श्रेणी	नगरीय निकाय की संख्या	निर्मित क्षेत्रफल लगभग (वर्गफीट)	प्रत्येक भवन के निर्माण की अनुमानित लागत राशि	कुल देय राशि
1.	नगर निगम	7	6000	0.96	06.72
2.	नगर परिषद	34	4200	0.67	22.78
3.	नगर पालिका	150	3000	0.48	72.00
		191		**कुल योग**	**101.50 (say 102.00)**

अम्बेड़कर भवन निर्माण कार्य हेतु कुल 190 नगर निकायों द्वारा 190 कार्यो हेतु निविदायें आमंत्रित की गई, जिनमें से 190 नगर निकायों द्वारा कार्यो के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। समस्त 190 नगर निकायों में अम्बेड़कर भवनों के निर्माण हेतु 14 अप्रैल, 2018 (अम्बेड़कर जयन्ती) को शिलान्यास/भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया है। माह दिसम्बर, 2020 तक 152 नगरीय निकायों में निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। 30 नगरीय निकायों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष नगरीय निकायों में भूमि सम्बन्धी विवाद/कोर्ट स्टे/स्थान परिवर्तन के कारण कार्य बन्द है। राज्य

की सभी नगरीय निकायों को कार्यादेश राशि के अनुसार उपरोक्त कार्य हेतु शत्–प्रतिशत राशि का आवंटन किया जा चुका है।

2. श्मशान एवं कब्रिस्तान के विकास कार्य : (राशि रूपये 55.00 करोड़)

बजट वर्ष 2018–19 RUIRP- II अन्तर्गत समस्त नगर पालिका क्षेत्रों में **श्मशान व कब्रिस्तानों में विकास कार्य** करवाये जा रहे है, जिसके तहत दाह संस्कार टीन शेड़, बैठने हेतु बेंचेज व टीन शेड़, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय व स्नानागार, वृक्षारोपण, रोशनी की व्यवस्था, पाथ–वे, फेंसिंग/बाउण्ड्रीवॉल आदि कार्य करवाये जा रहे है। नगरीय निकायों को निम्नानुसार राशि आवंटन का प्रावधान किया गया है :–

(राशि रूपये करोड़ में)

क्रम सं.	नगर निकाय श्रेणी	संख्या	प्रत्येक के निर्माण की अनुमानित लागत राशि	कुल देय राशि
1.	नगर निगम	7	0.50	03.50
2.	नगर परिषद	34	0.40	13.60
3.	नगर पालिका	150	0.25	37.50
			कुल योग	**54.60 (say 55.00)**

श्मशानों/कब्रिस्तानों के विकास/निर्माण कार्य हेतु कुल 190 नगर निकायों में निविदायें आमंत्रित की गई, जिनमें से 186 नगर निकायों द्वारा कार्यो के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। जिनमें से माह दिसम्बर, 2020 तक 161 नगरीय निकायों कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 22 नगरीय निकायों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। राज्य की सभी नगरीय निकायों को कार्यादेश राशि के अनुसार उपरोक्त कार्य हेतु शत् प्रतिशत राशि का आवंटन किया जा चुका है।

3. नगर पालिका क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण : (राशि रूपये 205.00 करोड़)

बजट वर्ष 2018–19 RUIRP- II अन्तर्गत समस्त नगर पालिका क्षेत्रों में **आधुनिक सार्वजनिक शौचालयों में** पुरूष व महिलाओं के लिये अलग–अलग का निर्माण निम्नानुसार करवाया जा रहा है। इन शौचालयों मे Air Curtain, एयर कंडीशनर, सेनेटरी नेपकिन पैड वेण्डर मशीन, टिश्यू पेपर वेण्डर मशीन आदि सभी सुविधायें उपलब्ध करवाई जानी है। नगरीय निकायों को निम्नानुसार राशि आवंटन का प्रावधान किया गया है :–

(राशि रूपये करोड़ों में)

क्रम सं.	नगर निकाय श्रेणी	नगर निकाय की संख्या	प्रत्येक नगर निकाय में शौचालयों की संख्या			प्रत्येक के निर्माण की अनुमानित लागत राशि	कुल देय राशि
			पुरूष व महिला	केवल महिला	कुल		
1.	नगर निगम	7	6	4	10	0.50	35.00
2.	नगर परिषद	34	3	2	5	0.50	85.00
3.	नगर पालिका	150	2	–	2	0.30	90.00
						कुल योग	**210.00**

नगरीय निकायों द्वारा इन शौचालयों के निर्माण उपरांत 05 वर्ष के लिये संचालन एवं रखरखाव (O&M) शामिल है।

आधुनिक शौचालयों के निर्माण कार्य हेतु कुल 190 नगर निकायों में निविदायें आमंत्रित की गई, जिनमें से 184 नगर निकायों द्वारा कार्यो के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। जिनमें से माह दिसम्बर, 2020 तक 94 नगरीय निकायों कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 83 नगरीय निकायों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। राज्य की सभी नगरीय निकायों को कार्यादेश राशि के अनुसार उपरोक्त कार्य हेतु शत् प्रतिशत राशि का आवंटन किया जा चुका है।

4. **सड़क–नाली की मरम्मत एवं पुनर्रूद्धार कार्य : (राशि रूपये 385.00 करोड़)**

RUIRP Phase-I में आवंटित की गई राशि रूपये 1000.00 करोड़ के अतिरिक्त Phase-II में समस्त नगर पालिका क्षेत्रों में सड़कों एवं नालियों की मरम्मत एवं पुनर्रूद्धार के लिये राशि रूपये 385.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। Phase-II में उन क्षतिग्रस्त सड़कों व नालियों की मरम्मत के कार्य को प्राथमिकता से करवाया जावेगा, जो Phase-I में छूट गई थी। इसके साथ–साथ क्षतिग्रस्त नालियों की मरम्मत, रोड़ क्रासिंग पर फेरोकवर मरम्मत आदि के कार्य करवाये जाने हैं, जिसमें नगरीय निकायों को राशि रूपये 385.00 करोड़ का निम्नानुसार आवंटन का प्रावधान किया गया है :–

(राशि रूपये करोड़ में)

क्र सं.	नगर निकाय श्रेणी	नगर निकाय की सं.	प्रत्येक नगर निकाय को देय राशि	कुल राशि
1.	नगर निगम जयपुर	1	100.00	100.00
2.	नगर निगम, जोधपुर व कोटा	2	20.00	40.00
3.	अन्य नगर निगम	4	5.00	20.00
4.	नगर परिषद	34	2.00	68.00
5.	नगर पालिका (द्वितीय श्रेणी)	13	1.50	19.50
6.	नगर पालिका (तृतीय श्रेणी)	58	1.00	58.00
7.	नगर पालिका (चतुर्थ श्रेणी)	79	1.00	79.00
			कुल योग	384.50 (**say 385.00**)

Phase-II में सड़क मरम्मत/पुनर्रूद्धार के कार्यो को Phase-I के सड़क निर्माण/मरम्मत कार्यो के कार्यादेश जारी होने/कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त कार्यो को चिन्हित किया है। इस लिये राज्य की समस्त 190 नगर निकायों मे से 167 नगरीय निकायों में कार्यादेश जारी किये जा चुके है। जिनमें से माह दिसम्बर, 2020 तक 98 नगरीय निकायों मे कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 67 नगरीय निकायों में कार्य प्रगति पर है। सड़क मरम्मत/पुनर्रूद्धार के कार्यो हेतु नगरीय निकायों को आवंटित राशि का 68 प्रतिशत राशि जारी की गई है।

(6) ऊर्जा बचत योजना (Energy Saving Project) :

(राजस्थान मे –स्ट्रीट लाईटस को LED लाईटो मे परिर्वतन करने की योजना)

राजस्थान मे स्ट्रीट लाईट के क्षेत्र मे ऊर्जा बचत करने के लिये ''एनर्जी सेविगं प्रोजेक्ट" तैयार किया गया। जिसके तहत पुरानी ट्युबलाईट/सोडियम लाईट के स्थान पर नवीनतम तकनीक युक्त एल.ई.डी. लाईट का उपयोग किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सड़को पर प्रकाश की मात्रा मे वृद्धि करना व विद्युत उपभोग मे कमी करना है।

इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिये 23 जनवरी 2015 को भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ''एनर्जी एफीसियन्सी सर्विसेज लिमिटेड (EESL), नई दिल्ली'' से अनुबन्ध पत्र (MOU) हस्ताक्षरित किया गया।

राष्ट्रीय स्ट्रीट लाईट कार्यक्रम "डैशबोर्ड" –

भारत के सभी राज्यो मे एल.ई.डी.स्ट्रीट लाईट प्रगति को "डैशबोर्ड" पर दर्शाया जाता है। "डैशबोर्ड" स्थिति 31 दिसम्बर, 2020 के अनुसार सम्पूर्ण भारत मे अभी तक 1,14,76,306 एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट लगायी गयी है, जिसमे से 11,55,103 एल.ई.डी. लाईट केवल राजस्थान प्रदेश मे लगायी गयी है।

वर्तमान में राजस्थान सम्पूर्ण भारत मे सर्वाधिक एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट लगाने मे पॉचवें स्थान पर है, जैसा की दैनिक "डैशबोर्ड" दर्शाता है। इससे पूर्व वर्ष 2016 एवं 2017 मे राजस्थान देश मे सर्वाधिक एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट लगाकर देश मे प्रथम स्थान पर रहा।

योजना की प्रगति :–

राजस्थान, मे इस योजना को पूर्णतयाः लागू करने के लिए सभी 191 निकायों तथा ई.ई.एस.एल. के मध्य MOU सम्पादन की कार्यवाही की गयी। प्रदेश में अभी तक 11.55 लाख एल.ई.डी. लाईटे लगाई जा चुकी है। 190 नगरीय निकाय (जयपुर के अतिरिक्त) में कार्य पूर्ण हो चुका है। जयपुर जिले के जयपुर नगर निगम क्षेत्र मे कार्य प्रगति पर है।

निम्नांकित जिलो के निकायों में कार्य पूर्ण हो चुके है :– (32 जिले)

अजमेर, अलवर, बांसवाडा, बारा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालोर, झालावाड, झुंझुनू, हनुमानगढ, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, श्री गंगानगर, टोंक, उदयपुर।

ऊर्जा व राजस्व मे बचतः–

190 नगरीय निकाय में सोडियम एवं ट्युबलाईट के स्थान पर एल.ई.डी. लाईट लगाने से 61 प्रतिशत की विद्युत बचत हुई, वर्ष 2015–16 मे एल.ई.डी. लाईट लगने के पश्चात 247.205 लाख युनिट एवं राजस्व में 1977.00 लाख रुपये की बचत हुई है। वर्ष 2016–17 मे एल.ई.डी. लाईट लगने के पश्चात 732.30 लाख युनिट एवं राजस्व में 5859.00 लाख रुपये की बचत हुई है। वर्ष 2017–18

मे एल.ई.डी. लाईट लगने के पश्चात 1550.90 लाख युनिट एवं राजस्व में 12407.00 लाख रुपये की बचत हुई है।

प्रोजेक्ट, सम्पूर्ण राजस्थान में पूरा होने पर प्रतिवर्ष 3402.15 लाख यूनिट बिजली की बचत होगी व जिसकी राशि रुपये 27217.00 लाख है (रु. 272.17 करोड़)। विभिन्न निकायो मे एल.ई.डी. लाईट लगाई जा रही है इसके साथ ही Centrally Control Monitoring System (CCMS) Panel स्थापित करने का कार्य भी प्रारम्भ किया जा चुका है। अभी तक 8569 सी.सी.एम.एस. लगायी जा चुके है।

प्रोजेक्ट की अन्य विशेषताये :–

प्रोजेक्ट के भुगतान के लिए सरकार द्वारा पृथक से कोई बजट आंवटित नही किया गया है । कम्पनी को प्रोजेक्ट की लागत का भुगतान बिजली के बिलो की बचत राशि मे से किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत ई.ई.एस.एल. द्वारा प्रोजेक्ट की लागत वहन की जावेगी। कार्य पूर्ण होने के पश्चात, प्रोजेक्ट अवधि–7 वर्ष तक फर्म द्वारा ही रख रखाव का कार्य किये जावेंगें। इसके पश्चात सभी एल.ई.डी लाईट व उपकरण सम्बन्धित निकाय को संभला दिये जावेंगें। नगरीय निकायो को बिना किसी लागत के नई एल.ई.डी. लाईट प्राप्त होगी। सड़को पर वर्तमान से अधिक रोशनी प्राप्त होगी। बिजली के बिलो में कम से कम 50 प्रतिशत की कमी होगी।

(7) राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना

(राजस्थान नगरीय पेयजल सीवरेज एवं आधारभूत निगम लिमिटेड (रूडसीको) की ईकाई)

राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना एशियन विकास बैंक से वित्त पोषित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना है।

परियोजना के मूल उद्देश्य

परियोजना का मूल उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों का समग्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना है। उक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आर्थिक विकास प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाया जायेगा। साथ ही जीवन स्तर में सुधार लाने एवं मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वांछित शहरी आधारभूत सुविधाओं एवं सेवाओं के प्रबन्धन को सुदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के माध्यम से एक ऐसा मॉडल तैयार किया जा सकेगा जिसे भविष्य में राज्य के अन्य शहरों द्वारा भी आधारभूत सुविधाओं की मांगों के लिए अपनाया जा सकेगा।

प्रशासनिक संरचना प्रबन्धन एवं क्रियान्वयन –

किसी भी परियोजना के कुशल संचालन के लिए विभिन्न स्तर पर निर्णय लेने की आवश्यकता रहती है, जिससे उसके कार्य सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए परियोजना का प्रबन्धन व क्रियान्वयन निम्न स्तरों पर होता है:

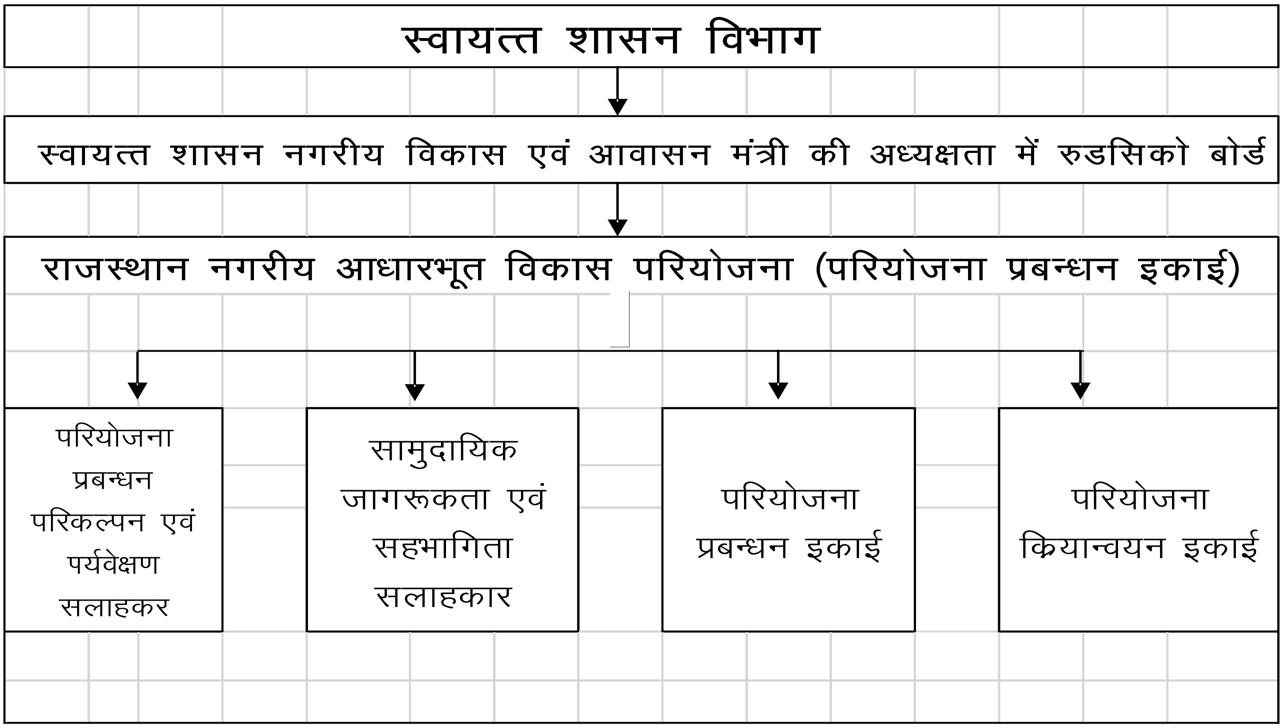

परियोजना की कार्यकारी ऐजेन्सी (Executive Agency) स्वायत्त शासन विभाग है।

परियोजना की समितियां

- **रुडसिको बोर्ड (RUDSICO BOARD)**

राज्य स्तर पर माननीय मंत्री, नगरीय एवं स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति के स्थान पर रुडसिको बोर्ड का गठन किया गया है। यह बोर्ड परियोजना के समन्वय व निर्देशन के लिए जिम्मेदार होगा। साथ ही परियोजना से संबंधित विभिन्न नीतिगत निर्णय लेगा। इसके अन्तर्गत समस्त कार्यों को स्वीकृत करने, सेक्टर तथा शहरवार कार्यों का आवंटन करने, वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत करने, परियोजना की वार्षिक आयोजना सीमा में परियोजना हेतु व्यय स्वीकृत करने के साथ परियोजना अवधि के भीतर अस्थाई पदों तथा अनुबंध पर सेवा की स्वीकृति देने संबंधी राज्य सरकार को अधिकार प्रदत्त किये गये है। उक्त बोर्ड को परियोजना के भीतर परियोजना क्रियान्वयन संबंधी कोई भी निर्णय लेने का अधिकार प्रदत्त किया गया है, जो परियोजना के समय पर पूरा करने हेतु आवश्यक हो। बोर्ड अपने कुछ अधिकार एक उपसमिति अथवा परियोजना प्रबन्धन इकाई को प्रत्यायोजित (Delegate) करने के लिए अधिकृत होगा। स्वायत्त शासन विभाग उपरोक्त उप समिति हेतु प्रशासनिक विभाग होगा।

- **कार्य चयन समिति (Work Finalization Committee)**

शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में कार्य चयन समिति (Work Finalization Committee) का गठन किया गया। सर्वप्रथम प्रत्येक शहर में संबंधित विभागों की चिन्हित

आवश्यकताओं के अनुसार व्यापक विचार—विमर्श के पश्चात् प्रस्तावों की रूपरेखा बनाई गई। ऋण स्वीकृति से पूर्व एशियन डवलपमेंट बैंक द्वारा नियुक्त सलाहकारों ने विस्तृत विश्लेषण व विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श के उपरान्त फिजीबिलिटी रिपोर्ट में कार्यों को चिन्हित किया। परियोजना की औपचारिक स्वीकृति के पश्चात् विभिन्न प्रस्तावों का अनुमोदन प्रत्येक शहर हेतु आयोजित बैठक में किया गया, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि/विभागीय अधिकारी सम्मिलित हुए। वर्तमान में कार्यों की प्राथमिकता जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित सिटी लेवल कमेटी, जिसमें स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि एवं राजकीय अधिकारी सदस्य हैं, के द्वारा तय की जाती है। अन्तिम निर्णय माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के द्वारा किये जाते हैं। परियोजना में दीर्घकालीन परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए जनसाधारण के लिए आवश्यक व उपयोगी कार्यों को ही चिन्हित किया गया है।

- **शहर स्तरीय समिति (City Level Committee - CLC)**

परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन एवं स्थानीय दिशा—निर्देशों के समन्वय के लिए सभी नगरीय निकाय में सिटी लेवल समिति का गठन किया गया। परियोजना शहरों में योजना को शीघ्र सम्पादित करने के लिए निर्देश देने व संबंधित विभागों में समन्वय स्थापित करने हेतु शहर स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में इन समितियों का गठन किया गया। इस समिति में स्थानीय सांसद, विधायक, स्थानीय निकायों के अध्यक्ष व अन्य राजकीय अधिकारी सदस्य है।

- **बिड मूल्यांकन एवं अनुमोदन समिति (Bid Approval & Evaluation Committee)**

परियोजना के क्रियान्वयन एवं विभिन्न स्तर पर कार्यों की देख—रेख के लिए बिड मूल्यांकन एवं अनुमोदन समिति (Bid Approval & Evaluation Committee) का गठन किया गया है।

- **परियोजना प्रबन्धन ईकाई (Project Management Unit-PMU)**

परियोजना के क्रियान्वयन, समन्वय, प्रबन्धन एवं पर्यवेक्षण का कार्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई का है जो परियोजना निदेशक के नेतृत्व में स्वायत्त शासन विभाग के अधीन कार्य करती है। परियोजना में कार्यों का चिन्हीकरण, डिजाइन, बिड प्रपत्र बनाने व बिड प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यादेश जारी करने के निर्देश तथा कार्यों के भौतिक क्रियान्वयन की मोनिटरिंग का उत्तरदायित्व इस इकाई का है। परियोजना से संबंधित विभिन्न विकास कार्य, राज्य सरकार के दिशा—निर्देशों के अनुसार ऋण समझौते के अनुरूप करवाये जाने का दायित्व भी यह इकाई करती है।

- **परियोजना क्रियान्वयन ईकाई (Project Implementation Units, PIU)**

परियोजना नगरीय निकाय की योजना में सम्मिलित कार्यों के सुचारू क्रियान्वयन तथा निष्पादन हेतु प्रत्येक शहर में अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियंता के नेतृत्व में परियोजना क्रियान्वयन

ईकाई कार्यालय स्थापित किये गये है जो परियोजना निदेशक, आर.यू.आई.डी.पी के अधीन है। यह ईकाई परियोजना के कार्यों का भौतिक क्रियान्वयन करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है।

आर.यू.आई.डी.पी तृतीय चरण

परियोजना के सलाहकार

- **परियोजना प्रबंधन परिकल्पन एवं पर्यवेक्षण सलाहकार**

  (**Project Management Design & Supervision Consultant, PMDSC**)

आरयूआईडीपी के तृतीय चरण के अन्तर्गत परियोजना प्रबंध एवं परिकल्पन इकाई की सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन, सर्वे, विस्तृत परियोजना रिर्पोट तैयार करने, निविदाओं का प्रारूप तैयार करने एवं ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्यों का सत्यापन आदि कार्यों के लिए परियोजना प्रबंध परिकल्पन एवं पर्यवेक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर के सलाहकारों को नियुक्त करने का परियोजना में प्रावधान है। पी.एम.ड़ी. एस.सी. का चयन ए.डी.बी. के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है। इनका कार्यक्षेत्र 6 परियोजना शहर हैं।

- **कार्यक्रम सहायता सलाहकार**

  (**Project Support Consultants, PSC**)

प्रोग्राम ऋण से वित्त पोषित 07 शहरों के लिए परियोजना प्रबन्धन एवं परिकल्पन ईकाई की सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन, बिड का प्रारूप तैयार करने एवं ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्यों आदि का सत्यापन करने के लिए परियोजना प्रबंधन परिकल्पन एवं पर्यवेक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर के सलाहकारों को नियुक्त करने का परियोजना में प्रावधान है। पी.एस.सी. का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है।

- **शहरी सेवाओं के मानदण्ड सलाहकार (Urban Services Bench Marking Consultants, USBC)**

शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक शहरी सुधार कार्यक्रम है। इसके माध्यम से नीतिगत सुधारों को लागू करने के लिए आवश्यक है कि शहरों में पेयजल व सीवरेज योजनाओं के लिए न्यूनतम मानदण्ड़ बनाये जाये। न्यूनतम मानदण्ड़ तय करने के लिए राजस्थान के एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले 31 शहरों के आंकड़े इकट्ठा करने हेतु यूएसबीसी की नियुक्ति कि गई है।

- **सामुदायिक जागरूकता एवं सहभागिता सलाहकार (Community Awareness & Participation Consultant, CAPC)**

परियोजना के अन्तर्गत आमजन की अपेक्षाओं से जुड़े मुद्दों जैसे–सीवरतंत्र का विकास, ठोस कचरा प्रबन्धन, पेयजल का समुचित उपयोग आदि में सक्रिय जनसहभागिता के बिना इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति सम्भव नहीं है। फलस्वरूप नागरिकों तक वास्तविक लाभ पहुंचाने एवं कार्यों की सुनिश्चितता के लिए जनसहभागिता को परियोजना के महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा जाता है। इसी को ध्यान

में रख कर परियोजना ने जन सहभागिता कार्यक्रम इकाई का गठन किया गया हैं जो परियोजना के 06 जिला स्तरीय नगरीय निकाय में क्रियान्वित किया जा रहा है।

- **बिल एण्ड़ मेलिंडा गेट्स फाउन्डेशन सलाहकार (Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF)**

एशियन विकास बैंक के Water Financing Partnership Facility (WFPF) कार्यक्रम के अन्तर्गत Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) के सहयोग से 2 मिलियन डालर की अनुदान राशि स्वीकृत हुई है, जिसके तहत परियोजना शहरों के ऐसे क्षेत्र जो तकनीकी कारणों से सीवरेज नेटवर्क में नहीं जोड़े जा सकते हैं, में विकेंद्रित मल–जल शोधन संयत्र (Decentralized Wastewater Treatment) पर आधारित कार्य करवाये गये है। अनुदान की राशि के अन्तर्गत, परियोजना शहरों (फुलेरा, सांभर, लालसोट व खण्डेला) में उक्त कार्य परीक्षण/प्रायोगिक (Pilot) आधार पर, सलाहकार के माध्यम से करवाये गये है, जिसके अनुभव के आधार पर राज्य के अन्य नगरीय निकाय में भविष्य में समान प्रकार के कार्य करवाये जाएंगे।

आर.यू.आई.डी.पी चतुर्थ चरण

- **परियोजना प्रबंधन एवं क्षमता सवंर्धन सलाहकार (Project Management and Capacity Building Consultant, PMCBC)**

आर.यू.आई.डी.पी के चतुर्थ चरण के अन्तर्गत परियोजना प्रबंधन एवं क्षमता सवंर्धन सलाहकार ईकाई की सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन, सर्वे, विस्तृत परियोजना रिर्पोट तैयार करने, बिड का प्रारूप तैयार करने आदि कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर के सलाहकारों को नियुक्त करने का परियोजना में प्रावधान है। पी.एम.सी.बी.सी. का चयन एडीबी के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है। इनका कार्यक्षेत्र चतुर्थ चरण के परियोजना शहर हैं।

- **परियोजना प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण सलाहकार–1 (Project Management and Supervision Consultant - PMSC-1)**

आरयूआईडीपी के चतुर्थ चरण के अन्तर्गत वर्तमान में 7 शहरों यथा कुचामन, लाडनू, डीडवाना, मकराना, खेतडी एवं मण्डावा आदि के लिए परियोजना प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण एवं ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्यों आदि का सत्यापन करने के लिए परियोजना प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर के सलाहकारों को नियुक्त करने का परियोजना में प्रावधान है। सी.एम..एस.सी. का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है।

- **अनुबंध प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण सलाहकार–2 (Contract Management and Supervision Consultant - CMSC-2)**

आरयूआईडीपी के चतुर्थ चरण के अन्तर्गत वर्तमान में 7 शहरों यथा आबुरोड, सिरोही, सरदारशहर, रतनगढ, लक्ष्मणगढ, फतेहपुर, प्रतापगढ एवं बासवाडा आदि के लिए अनुबंध प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण एवं ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्यों आदि का सत्यापन करने के लिए अनुबंध प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर के सलाहकारों को नियुक्त करने का परियोजना में प्रावधान है। सी.एम..एस.सी. का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है।

<u>आर.यू.आई.डी.पी –प्रथम चरण</u> **(वर्ष 2000–2008)**

राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से वित्तीय सहयोग प्राप्त कर राशि रूपये 1854.00 करोड़ रुपये के नगरीय आधारभूत सुविधाओं के विकास के उल्लेखनीय कार्य राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना (आर.यू.आई.डी.पी) के माध्यम से राज्य के 06 शहरों जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में कराये गये। उक्त परियोजना के अन्तर्गत प्रमुखतः पेयजल, सीवर व्यवस्था, सड़क, फ्लाई ओवर तथा रेलवे क्रासिंग पर पुल का निर्माण, सुनियोजित ड्रेनेज व्यवस्था, ठोस कचरा प्रबन्धन, स्थानीय निकाय का कम्प्यूटरीकरण व क्षमता संवर्द्धन को प्राथमिकता प्रदान करते हुए विकास कार्यों को नवीन ऊर्जा प्रदान कर तीव्र गति से कार्य योजना का निष्पादन किया है। परियोजना में विभिन्न क्षेत्रों के समस्त 209 पैकेज के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

<u>आर.यू.आई.डी.पी –द्वितीय चरण</u> (वर्ष 2008–2019) **<u>राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम ;RUSDIP)</u>**

आरयूआईडीपी के द्वितीय चरण के अन्तर्गत राज्य सरकार के 15 शहरों यथा **अलवर, बांरा, बाड़मेर, भरतपुर, बूंदी, चित्तोड़गढ़, चूरू, धौलपुर, जैसलमेर, झालावाड़, करौली, नागौर, राजसमंद, सवाई माधौपुर और सीकर** में राशि रुपये 1780.00 करोड़ के कार्य कराये गये। इस परियोजना हेतु 70% राशि ए.डी.बी से बैक टू बैक आधार पर ऋण सहायता के रूप में प्राप्त की गयी तथा शेष 30% राशि राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गयी। यह ऋण 'बहुचरणीय ऋण सुविधा' (मल्टीट्रेंच फेसिलिटी) के तहत 03 ट्रेन्च में प्राप्त हुआ है। प्रत्येक चरण का ऋण की 25 वर्ष की पुनर्भुगतान (पांच वर्ष की छूट अवधि सहित) अवधि है।

सम्पादित किये गये कार्य : विनियोजन कार्यक्रम में मुख्यतया जलप्रदाय योजनाओं के पुनर्वासन एवं क्षमताओं में अभिवृद्धि, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल–मल प्रबन्धन (सीवेज), ड्रेनेज, शहरी परिवहन एवं यातायात व्यवस्था में सुधार, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक विरासत हेतु संरचनात्मक कार्य सम्मिलित किये गये हैं।

स्वीकृत सभी 109 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। परियोजना में 1788.51 करोड रूपये का सकल व्यय हो चुका है।

<u>आर.यू.आई.डी.पी तृतीय चरण (प्रोजेक्ट एवं प्रोग्राम लोन)</u>

- राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आर.यू.एस.डी.पी–आर.यू.आई.डी.पी तृतीय चरण) के माध्यम से राज्य के चयनित शहरों के नागरिकों को पेयजल वितरण, सीवरेज मय पूर्ण सेनिटेशन की सेवा प्रदान की जावेगी।

- आर.यू.एस.डी.पी के अन्तर्गत प्रोजेक्ट ऋण राशि यू.एस. डॉलर 250 मिलियन एवं प्रोग्राम ऋण राशि यू.एस. डालर 250 मिलियन (प्रोजेक्ट कम प्रोग्राम लोन राशि यू.एस. डॉलर 500 मिलियन) की मंजूरी दी गई है। प्रोजेक्ट एवं प्रोग्राम ऋण के तहत कुल राशि यू.एस. डालर 610 मिलियन (अनुमानित लागत राशि रुपये 3660.00 करोड है, जिसमें 660.00 करोड स्टेट शेयर सम्मिलित है)।

- दोनो ऋण अनुबन्ध भारत सरकार, राज्य सरकार एवं एडीबी के मध्य 11 सितम्बर 2015 को हस्ताक्षर किये गये है एव 25 नवम्बर 2015 से लागू किये गये है।

- आर.यू.आई.डी.पी तृतीय चरण के अन्तर्गत जलप्रदाय, सीवरेज कार्यो मय रोड रेस्टोरेशन कार्य एक ही अनुबन्ध (एक शहर–एक अनुबन्ध) के तहत किये जाने हैं। इन अनुबन्धो में दीर्घ अवधि (10 वर्ष) तक के अनुरक्षण, मरम्मत एवं परिचालन का प्रावधान किया गया है एवं परफोरमेंस आधारित भुगतान का प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

- परियोजना में मुख्य रूप सें जलप्रदाय, सीवरेज, सम्पूर्ण स्वच्छता एवं अपशिष्ठ जल का पुर्नचक्रण तथा डिजिटल नेटवर्क के संबंधित कार्य किये जाने हैं। परियोजना पूर्ण होने की संभावित अवधि जून, 2022 है।

- ए.डी.बी द्वारा प्रोजेक्ट ऋण अवधि सितम्बर, 2020 तक ही स्वीकृत किया गया है। ए.डी.बी से सितम्बर, 2020 तक 109.60 मिलियन डॉलर प्राप्त किये गये है। शेष कार्य राज्य सरकार के बजट से पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

- **प्रोजेक्ट ऋण** के अन्तर्गत 5 शहर क्रमशः **श्री गंगानगर, झुंझनू, पाली, भीलवाड़ा एवं टोंक** को शामिल किया गया है। कुल स्वीकृत 06 पैकेज (पाली में 02 एवं अन्य शहरों में 01–01 कार्य) लगभग राशि रूपये 1896.00 करोड़ के कार्य आवंटित किये जा चुके हैं। कार्यों पर माह दिसम्बर, 2020 तक लगभग 1101.00 करोड़ रूपये का सकल व्यय किया जा चुका है।

- **शहरवार कार्यो का विवरण निम्न प्रकार हैः–**

टोंक – कार्य की लागत राशि रूपये 392.31 करोड़ है। कार्य को 15 दिसम्बर, 2022 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। अब तक कार्य पर राशि रूपये 80.70 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। लगभग 37.16 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है। इस कार्य के तहत् जल प्रदाय सैक्टर में लगभग 442 कि.मी. पानी की लाईन, 4 पानी की टंकियाँ एवं 28280 हाउस सर्विस कनेक्शन किया जाना प्रस्तावित है जिसके विरूद्व अब तक 179.50 कि.मी. पानी की लाईन का कार्य पूर्ण हुआ है तथा अन्य शेष कार्य प्रगति पर है। सीवरेज योजना के तहत् 250 कि.मी. सीवर लाईन, 20 एमएलडी क्षमता के 02 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 01 सीवरेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसके विरूद्व अभी तक 83.74 किमी सीवर लाईन का कार्य पूर्ण हुआ है। पूर्व में संवेदक की धीमी गति के कारण अनुबन्ध 26 जुन, 2019 को निरस्त कर दिया गया था। शेष कार्य की पुनः निविदा आमंत्रित कर 17 दिसम्बर, 2020 को आवंटित किया गया है।

पाली पैकेज 1 – कार्य की लागत राशि रूपये 414.98 करोड़ है। कार्य को 30 जुन, 2021 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। अब तक कार्य पर राशि रूपये 280.67 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। लगभग 92.78 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इस कार्य के तहत् जल प्रदाय सैक्टर में लगभग 698 कि.मी. पानी की लाईन, एवं 57105 हाउस सर्विस कनेक्शन किया जाना प्रस्तावित है, जिसके विरूद्व अब तक 608.27 कि.मी. पानी की लाईन एवं 39388 हाउस सर्विस कनेक्शन का कार्य पूर्ण हुआ है तथा अन्य शेष कार्य प्रगति पर है। सीवरेज योजना के तहत् 358 किमी सीवर लाईन, 15 एमएलडी

क्षमता के 01 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 02 पम्पिंग स्टेशन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसके विरूद्व अभी तक 314.12 कि.मी. सीवर लाईन, 01 पम्पिंग स्टेशन तथा 01 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य पूर्ण हुआ है अन्य कार्य प्रगति पर है।

पाली पैकेज 2 – कार्य की लागत राशि रूपये 71.04 करोड़ है। कार्य को 28.02.2021 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। अब तक कार्य पर राशि रूपये 62.45 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। लगभग 96.50 प्रतिशत कार्य पूर्ण। इस कार्य के तहत् जल प्रदाय सैक्टर में लगभग 41 कि.मी. पानी की लाईन, 07 उच्च जलाशय, 03 पम्पिंग स्टेशन, 01 जल शोधन यंत्र एवं 01 स्वच्छ जलाशय आदि निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसके विरूद्व अब तक 40.43 कि.मी. पानी की लाईन, 07 उच्च जलाशय, 03 पम्पिंग स्टेशन, 01 जल शोधन यंत्र एवं 01 स्वच्छ जलाशय का कार्य पूर्ण हुआ है तथा अन्य शेष कार्य प्रगति पर है।

श्रीगंगानगर – कार्य की लागत राशि रूपये 473.39 करोड़ है। कार्य को 30 सितम्बर, 2019 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। अब तक कार्य पर राशि रूपये 212.25 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। लगभग 51.50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इस कार्य के तहत् जल प्रदाय सैक्टर में लगभग 450 कि.मी. पानी की लाईन, 03 पम्पिंग स्टेशन, 01 जल शोधन यंत्र एवं 03 स्वच्छ जलाशय, 02 रॉ वाटर जलाशय एवं 54408 हाउस सर्विस कनेक्शन किया जाना प्रस्तावित है, जिसके विरूद्व अब तक 202.63 कि.मी. पानी की लाईन एवं 11488 हाउस सर्विस कनेक्शन का कार्य पूर्ण हुआ है तथा अन्य शेष कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार सीवरेज योजना के तहत् 423 कि.मी. सीवर लाईन, 01 पम्पिंग स्टेशन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसके विरूद्व अभी तक 199.93 कि.मी. सीवर लाईन का कार्य पूर्ण हुआ है। अन्य कार्य प्रगति पर है।

झुंझुनू – कार्य की लागत राशि रूपये 207.82 करोड़ है। कार्य को 31.03.2021 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। अब तक कार्य पर 183.94 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं। लगभग 96.60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इस कार्य के तहत् जल प्रदाय सैक्टर में लगभग 504 कि.मी. पानी की लाईन, 01 उच्च जलाशय, 06 पम्पिंग स्टेशन, एवं 05 स्वच्छ जलाशय एवं 19500 हाउस सर्विस कनेक्शन किया जाना प्रस्तावित है, जिसके विरूद्व अब तक 502.97 कि.मी. पानी की लाईन, 01 उच्च जलाशय, 03 पम्पिंग स्टेशन, 05 स्वच्छ जलाशयँ एवं 19067 हाउस सर्विस कनेक्शन का कार्य पूर्ण हुआ है तथा अन्य शेष कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार सीवरेज योजना के तहत् 131 कि.मी. सीवर लाईन, 07 एमएलडी क्षमता के 01 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 02 पम्पिंग स्टेशन का निर्माण किया जाना है, जिसके विरूद्व अभी तक 130.61 कि.मी. सीवर लाईन, 01 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 01 पम्पिंग स्टेशन का कार्य पूर्ण हुआ है। अन्य कार्य प्रगति पर है।

भीलवाड़ा (सीवरेज कार्य) – कार्य की लागत राशि रूपये 336.58 करोड़ है। कार्य को पूर्ण करने की तिथि 31 दिसम्बर, 2021 है। लगभग 46.12 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। अब तक कार्य पर राशि रूपये 149.72 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। इसी प्रकार सीवरेज योजना के तहत् 411 कि.मी. सीवर लाईन, 01 पम्पिंग स्टेशन, 30 एमएलडी क्षमता के 01 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसके विरूद्व अभी तक 204.85 कि.मी. सीवर लाईन का कार्य पूर्ण हुआ है अन्य कार्य प्रगति पर है।

<u>प्रोग्राम लोन</u> :–

सभी 9 पॉलिसी रिफार्म अनुपालना पूर्ण – ऋण राशि रूपये 1713.66 करोड़ (यू.एस. डालर 250 मिलियन) जारी। प्रोग्राम लोन के तहत 07 शहरों सवाई माधोपुर, उदयपुर, बीकानेर, माउंट आबू, झालावाड़, कोटा (सीवरेज) एवं बांसवाड़ा (ड्रेनेज) में कार्य राशि रूपये 1513.76 करोड के आवंटित किये जा चुके है। प्रोग्राम लोन के तहत माह दिसम्बर, 2020 तक लगभग राशि रूपये 536.90 करोड़ का सकल व्यय किया जा चुका है।

<u>शहरवार कार्यो का विवरण निम्न प्रकार हैः</u>–

सवाई माधोपुर (सीवरेज)– कार्य की लागत राशि रूपये 102.65 करोड़ है। कार्य को 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। कार्य पर राशि रूपये 45.30 करोड का व्यय किया जा चुका है। लगभग 86 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। कार्य के तहत् 118 कि.मी. सीवर लाईन, 10 एमएलडी क्षमता के 01 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का अपग्रेडेशन तथा 25000 हाउस सीवर कनेक्शन किया जाना प्रस्तावित है, जिसके विरूद्व अभी तक 101.30 कि.मी. सीवर लाईन का कार्य पूर्ण हुआ है। शेष कार्य प्रगति पर है।

उदयपुर (सीवरेज)– कार्य की लागत राशि रूपये 115 करोड़ है। कार्य को 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। कार्य पर राशि रूपये 33.54 करोड का व्यय किया जा चुका है। लगभग 55.74 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। कार्य के तहत् 54.26 कि.मी. सीवर लाईन, 1.68 कि.मी. नाला तथा 4227 हाउस सीवर कनेक्शन किया जाना प्रस्तावित है जिसके विरूद्व अभी तक 45.50 कि.मी. सीवर लाईन एवं नाला निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ है शेष कार्य प्रगति पर है।

झालावाड़ (सीवरेज)– कार्य की लागत राशि रूपये 118.06 करोड़ है। कार्य को 30 जुन, 2021 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। कार्य पर राशि रूपये 40.84 करोड का व्यय किया जा चुका है। लगभग 38.57 प्रतिशत कार्य पूर्ण। कार्य के तहत् 144 कि.मी. सीवर लाईन, 09 एमएलडी क्षमता के 02 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का अपग्रेडेशन तथा 17600 हाउस सीवर कनेक्शन किया जाना प्रस्तावित है, जिसके विरूद्व अभी तक 65.84 कि.मी. सीवर लाईन का कार्य पूर्ण हुआ है। शेष कार्य प्रगति पर है।

बीकानेर (सीवरेज) – कार्य की लागत राशि रूपये 207.24 करोड़ है। कार्य को 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। कार्य पर राशि रूपये 132.35 करोड का व्यय किया जा चुका है। लगभग 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण। कार्य के तहत् 301 कि.मी. सीवर लाईन, 20 एमएलडी क्षमता के 01 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कार्य तथा 34000 हाउस सीवर कनेक्शन किया जाना प्रस्तावित है, जिसके विरूद्व अभी तक 291.98 कि.मी. सीवर लाईन का कार्य पूर्ण हुआ है। शेष कार्य प्रगति पर है।

माउंट आबू (सीवरेज)– कार्य की लागत राशि रूपये 60.00 करोड़ है। कार्य को 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। कार्य पर राशि रूपये 29.19 करोड का व्यय किया जा चुका है। लगभग 77 प्रतिशत कार्य पूर्ण। कार्य के तहत् 36 कि.मी. सीवर लाईन, 615 केएलडी क्षमता के 04 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 06 एमएलडी क्षमता के 01 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा 3000 हाउस सीवर

कनेक्शन किया जाना प्रस्तावित है, जिसके विरूद्व अभी तक 32.14 कि.मी. सीवर लाईन का कार्य पूर्ण हुआ है। शेष कार्य प्रगति पर है।

कोटा–1 (सीवरेज)– कार्य की लागत राशि रूपये 525.00 करोड़ है। कार्य को पूर्ण करने की तिथि 19 जुन, 2022 है। कार्य पर राशि रूपये 85.84 करोड का व्यय किया जा चुका है। इसी प्रकार सीवरेज योजना के तहत् 376 कि.मी. सीवर लाईन, 02 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 02 सीवरेज पम्पिंग स्टेशन किया जाना प्रस्तावित है, जिसके विरूद्व अभी तक 113.16 कि.मी.सीवर लाईन का कार्य पूर्ण हुआ है। शेष कार्य प्रगति पर है।

बांसवाड़ा (ड्रेनेज–15 करोड़ रूपये) – 11 नालो का नवीनीकरण कार्य हेतु कार्यादेश जारी किया जा कर कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

कोटा–2 (सीवरेज)– कार्य की लागत राशि रूपये 126.60 करोड़ है। कार्य को पूर्ण करने की तिथि 12 अक्टूबर 2022 है। योजना के तहत् 76.68 कि.मी. सीवर लाईन, 02 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 03 सीवरेज पम्पिंग स्टेशन किया जाना प्रस्तावित है, जिसके विरूद्व अभी तक 3.13 कि.मी. सीवर लाईन का कार्य पूर्ण हुआ है। शेष कार्य प्रगति पर है।

हनुमानगढ़ (जलप्रदाय, सीवरेज) – राशि रूपये 281.00 करोड का कार्यादेश जारी किया जा चुका है। कार्य को 26 अप्रेल 2020 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था लेकिन संवेदक को कार्यो में धीमी गति के कारण कार्य 09 अक्टुबर 2020 को निरस्त कर दिया गया है।

आरयूआईडीपी चतुर्थ चरण

- लगभग राशि रूपये 5000.00 करोड़ की कार्य योजना राज्य के 42 शहरो में, जिसमें 32 शहर (50 हजार से 1 लाख आबादी) एवं हैरिटेज महत्व के 10 शहरो में पेयजल वितरण, सीवरेज, ड्रेनेज, हैरिटेज संरक्षण आदि आधारभूत सुविधाओ के विकास कार्य सम्मिलित किये गये है।
- हैरिटेज महत्व के 10 शहर– बांदीकुई, डीग, डूॅगरपुंर, जोबनेर, खेतडी, कामा, मण्डावा, नवलगढ, पीलीबंगा एवं सांभर–फुलेरा में पेयजल वितरण, सीवरेज, ड्रेनेज, हैरिटेज संरक्षण आदि के कार्य सम्मिलित है।
- अन्य श्रेणी के 32 शहर – आबूरोड, बाडी, बालोतरा, बाडमेंर, बांसवाडा, चौमू, दौसा, शाहपुरा (जयपुर), डीडवाना, फतेहपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, करौली, कुचामन, लाडनू, लक्ष्मणगढ, मकराना, निम्बाहेडा, नोखा, प्रतापगढ, राजगढ(चूरु), राजसमंद, रतनगढ, सरदारशहर, शाहपुरा (भीलवाड़ा), श्रीडूॅगरगढ, सूरतगढ, सिरोही, तिजारा, नीम का थाना एवं भवानी मण्डी में पेयजल वितरण एवं सीवरेज के कार्य।
- चतुर्थ चरण का कार्य दो ट्रेंच में किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें प्रथम ट्रेंच (लगभग राशि रूपये 3000.00 करोड) को एडीबी द्वारा स्वीकृति जारी की गई है।

प्रथम ट्रेंच :

- 14 शहरों में राशि रूपये 3076.63 करोड़ रूपये के कार्य

- एडीबी ऋण– राशि रूपये 2154 करोड (300 मिलियन डालर), राज्यांश– राशि रूपये 922.63 करोड (128.5 मिलियन डालर)
- व्यय – राशि रूपये 50.61 करोड़

कार्यों का शहरवार विवरण

कार्यादेश जारी :

राशि करोड रू में

क स.	शहर का नाम	कार्य की लागत	कार्य लागत ओएण्डएम सहित (10 वर्ष)	डिजाईन व बिल्ड लागत (incl. PS)	कार्य आदेश जारी दिनांक	कार्य प्रारंभ होने की तिथि	व्यय राशि करोड में	वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण करने की अवधि	लाभान्वित जनसख्यां (2011)
1	सरदार शहर	सीवरेज (144.03) जलप्रदाय (52.67)	196.70	176.99	15.06.20	22.06.20	8.63	कार्य प्रगतिरत	3 वर्ष	98911
2	सिरोही	सीवरेज (137.92) जलप्रदाय (76.00)	213.92	201.64	18.06.20	22.06.20	9.79		4 वर्ष	39229
3	आबू रोड	सीवरेज (179.63) जलप्रदाय (84.35)	263.78	247.50	18.06.20	22.06.20	12.18		4 वर्ष	55599
4	रतनगढ	सीवरेज	182.44	173.60	15.06.20	22.06.20	8.50		3 वर्ष	71124
5	फतेहपुर	सीवरेज	114.90	107.99	15.06.20	22.06.20	5.25		3 वर्ष	92595
6	लक्ष्मणगढ	जलप्रदाय	49.46	43.04	15.06.20	22.06.20	2.07		3 वर्ष	53392
7	प्रतापगढ	सीवरेज	190.60	176.44	02.11.20	02.11.20	0.00	सर्वे कार्य प्रगतिरत	4 वर्ष	42079
	योग		**1211.80**	**1127.20**			**46.42**			

बिड प्रक्रियाधीन :

क्र. स.	शहर का नाम	कार्य की लागत	कार्य की लागत ओएण्डएम सहित (10 वर्ष)	डिजाईन व बिल्ड लागत (incl. PS)	वर्तमान स्थिति	कार्य प्रारंभ की संभावित तिथि	कार्य को पूर्ण करने की अवधि	लाभान्वित जनसख्यां (2011)
8	कुचामन	सीवरेज (201.10) जलप्रदाय (66.90)	313.94	294.80	स्वीकृति की प्रक्रिया में।	जनवरी 21	4 वर्ष	61969
9	लाडनूं	सीवरेज	174.41	162.78		जनवरी 21	3 वर्ष	65575
10	डीडवाना	सीवरेज	87.40	81.54		जनवरी 21	3 वर्ष	53749
11	मकराना	सीवरेज	142.98	131.82		जनवरी 21	3 वर्ष	94987
12	खेतडी	सीवरेज (49.25) जलप्रदाय (23.48)	79.64	71.69	स्वीकृति की प्रक्रिया में।	फरवरी 21	3 वर्ष	18209
13	मण्डावा	सीवरेज (71.85) जलप्रदाय (21.53)	106.12	93.98	स्वीकृति की प्रक्रिया में।	फरवरी 21	3 वर्ष	23335
14	बांसवाड़ा	सीवरेज (159.16) जलप्रदाय (122.20)	320.75	289.46	स्वीकृति की प्रक्रिया में।	फरवरी 21	4 वर्ष	101017
योग			**1225.24**	**1126.07**				
कुल योग			**2437.04**	**2253.27**				

(7.) राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एन.एल.सी.पी.)

देश की झीलों की महत्ता को बनाये रखने के लिये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम (एन. एल.सी.पी) वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है।

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन एवं धार्मिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुये पॉच झीलो क्रमशः आनासागर झील (अजमेर), पुष्कर सरोवर (पुष्कर), फतेहसागर झील एवं पिछोला झील (उदयपुर), नक्की झील (माउंट आबू) के पुनरुद्वार एव संरक्षण हेतु परियोजना स्वीकृत की गई है। पत्र दिनांक 17 अगस्त, 2016 द्वारा 60 : 40 का (60 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा अनुदान एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार का हिस्सा) 01 अप्रेल 2016 से लागू किया गया है।

अनुमोदित झीलो की राशि एवं कार्यकारी संस्था का विवरण

राशि करोड रूपये में

झील का नाम	स्वीकृत राशि (बिना सेन्टेज राशि)	स्वीकृति दिनांक	कार्यकारी संस्था	व्यय	केन्द्र व राज्य सरकार से प्राप्त राशि	कार्यों की वर्तमान स्थिति
आनासागर झील, अजमेर	18.27 / 16.80	23.11.07	यू.आई.टी, अजमेर	9.12	8.70	वेटलेण्ड कार्य के अतिरिक्त सभी कार्य पूर्ण। कार्य पूर्णता रिपोर्ट वन एवं पर्यावरण मंत्रालय विभाग को भेजते हुए निवेदन किया गया है कि केन्द्र की बकाया राशि 0.42 करोड़ का भुगतान दिनांक 10.05.2017 के संशोधित नियम से करावें।
पुष्कर सरोवर, पुष्कर	48.37 / 44.50	26.02.08	यू.आई.टी, अजमेर	48.37	39.60	वित्तीय पूर्णता के अतिरिक्त सभी कार्य पूर्ण। कार्य पूर्णता रिपोर्ट वन एवं पर्यावरण मंत्रालय विभाग को भेजते हुए निवेदन किया गया है कि केन्द्र की बकाया राशि 8.76 करोड़ का भुगतान दिनांक 14.07.2017 के संशोधित प्रारूप में करावें। मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के अ.शा. पत्र दिनांक 20.07.2020 एंव सचिव, भारत सरकार को भेजा गया है किंतु राशि का भुगतान नहीं किया गया।
पिछोला झील, उदयपुर	84.75 / 78.47	04.02.09	यू.आई.टी, उदयपुर नगर परिषद, उदयपुर	83.18	83.18	सभी कार्य पूर्ण। कार्य पूर्णता रिपोर्ट वन एवं पर्यावरण मंत्रालय विभाग को भेज दी गई है।
फतेहसागर, उदयपुर	41.86 / 38.75	14.08.08	यू.आई.टी, उदयपुर	40.93	40.93	सभी कार्य पूर्ण। कार्य पूर्णता रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेज दी गई है।
नक्की झील, माउंट आबू	7.33 / 6.74	24.06.10	यू.आई.टी, माउंटआबू	4.01	3.97	सभी स्वीकृत कार्य पूर्ण।
कुल योग	**200.58**			**185.61**	**176.38**	

(8) निकाय बोर्ड व प्रमुखों को अधिक सशक्त बनाना।

शक्तियों के विकेन्द्रीकरण एवं नगरीय निकायो को सशक्त बनाने की दृष्टि से राजस्थान नगर पालिका (सामग्री का क्रय और संविदा) नियम, 1974 के नियम 14 में संशोधन कर अधिसूचना दिनांक 23 फरवरी, 2015 द्वारा नगरीय निकायों को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने हेतु पूर्ण अधिकार प्रदत्त किये गये है। नगर निगम के मामले में आयुक्त को एक करोड रूपये, महापौर को दो करोड रूपये, वित्त समिति को पांच करोड रूपये एवं निगम बोर्ड को पूर्ण शक्तियां दी गई है। इसी प्रकार नगर परिषद के मामले में आयुक्त को दो लाख रूपये, सभापति को पचास लाख रूपये, वित्त समिति को एक करोड रूपये एवं नगर परिषद बोर्ड को पूर्ण शक्तियां दी गई है। नगर पालिका के मामले में अधिशाषी अधिकारी को एक लाख रूपये, अध्यक्ष को पच्चीस लाख रूपये, वित्त समिति को पचास लाख रूपये एवं नगर पालिका मण्डल को पूर्ण शक्तियां प्रदत्त की गई है। इसी प्रकार पॉवर ऑफ शिड्यूल (S.O.P.) 08 जनवरी 2015 को जारी की गई, जिसमें तकनीकी स्वीकृति निविदाओं को खोलने की प्रक्रिया, वर्क ऑडर जारी करने की प्रक्रिया व वित्तीय अधिकारिता दी गई है।

(9) राज्य स्तरीय नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी व अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा) चयन आयोग द्वारा की जाने वाली भर्ती के संबंध में प्रगति :–

सेवा चयन आयोग द्वारा राज्य की नगरीय निकायों के 1947 रिक्त पदों के लिये संपादित चयन प्रक्रिया एवं नवीन भर्ती संबंधी विवरण निम्नानुसार हैः–

<u>चयन संबधी विवरण</u>

राज्य स्तरीय नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी व अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा) चयन आयोग द्वारा 17 विभिन्न संवर्ग के कुल 1947 रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिये चयन प्रक्रिया संपादन हेतु संक्षिप्त विज्ञप्ति 29 दिसम्बर, 2015 को जारी की गई एवं विस्तृत विज्ञप्ति संख्या–01, 02 व 03 दिनांक 30 दिसम्बर, 2015 को जारी की जा कर पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये गयें। इन सभी पदों की ऑनलाईन परीक्षाऐं माह मार्च–अप्रेल, 2016 (05 मार्च से 30 अप्रेल) में पूर्ण कराकर 15 पदों की चयन सूची माह सितम्बर, 2016 व दिसम्बर, 2016 में जारी की गयी तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा याचिका संख्या 16517/2016 में पारित आदेश 10 अक्टूबर, 2017 दिये गये निर्देशों के अनुसार सफाई निरीक्षक ग्रेड–।। पद के 73 पात्र अभ्यर्थियों का 14 सितम्बर 2018 को चयन करने के उपरान्त विभाग द्वारा नियुक्ति प्रदान की चुकी है। इसी प्रकार राज्य की नगरीय निकायों में ड्राईवर (फायर) पद के 193 रिक्त पदों के विरूद्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न याचिकाओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार 155 पात्र अभ्यर्थियों का चयन कर विभाग द्वारा 22 अगस्त, 2020 को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। 30 दिसम्बर, 2015 को विज्ञापित 17 संवर्ग के 1947 रिक्त पदों के विरूद्व पात्र पाये गये 1741 अभ्यर्थियों को चयन उपरान्त नियुक्ति विभाग द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

<u>नवीन भर्ती प्रस्ताव</u>

1. सहायक अग्निशमन अधिकारी के 29 पद, कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 181 पद, कनिष्ठ अभियंता (विधुत) के 55 पदों एवं फायरमैन के 600 रिक्त पदों सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हेतु

पदवार अर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को भिजवाई जा चुकी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा विज्ञप्ति जारी किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

2. अधिशाषी अधिकारी (चतुर्थ) के 37 पद एवं राजस्व अधिकारी (द्वितीय) के 14 पद पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हेतु पदवार अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भिजवाई जा चुकी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा विज्ञप्ति जारी किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त सहायक अभियंता (सिविल) के 41 पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के क्रम में विभाग के प्रस्तावानुसार दिव्यांग आरक्षण के रोस्टर में शिथिलन/छूट दिये जाने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के स्तर पर बैठक आयोजित करायी जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आयोजित होने वाली बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार सहायक अभियंता (सिविल) के 41 पदों पर सीधी भर्ती हेतु अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भिजवाई जानी है।

3. स्वायत्त शासन विभाग के अधीन नगरीय निकायों में कुल 296 पद (उप नगर नियोजक के 32 पद पदोन्नति द्वारा एवं सहायक नगर नियोजक के 21 पद, कनिष्ठ नगर नियोजक के 78 पद एवं वरिष्ठ प्रारूपकार के 78 पद सीधी भर्ती द्वारा) सृजित किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति, सक्षम स्तर से प्राप्त हो चुकी है। इन पदों को भरे जाने की वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग के स्तर पर विचाराधीन है। वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त उक्त पदों में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों यथा सहायक नगर नियोजक के 21 पद, कनिष्ठ नगर नियोजक के 78 पद एवं वरिष्ठ प्रारूपकार के 78 पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही राजस्थान नगरपालिका सेवा चयन आयोग के माध्यम से संपादित की जानी है।

(9) अग्निशमन सेवा संबंधित समस्त कार्य :– राज्य में कुल 213 नगर निकाय हैं, जिसमें से वर्तमान में 198 अग्निशमन केन्द्रों पर कुल 487 अग्निशमन वाहन संचालित हैं। अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण एवं सुचारू संचालन हेतु वर्ष 2017–18 में अग्निशमन बेडे में कुल 20 सहायक अग्निशमन अधिकारी, 634 फायरमैनों एवं वर्ष 2020–21 में 155 वाहन चालक फायर को नियुक्ति प्रदान की गई हैं। राज्य 52 नगरीय निकायों में अग्निशमन सेवा संचालित नहीं थी। इन्हे पंचम राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि से नवीन अग्निशमन वाहन उपलब्ध करा दिये गये हैं।

राज्य की 95 नगरीय निकायों में अग्निशमन केन्द्र स्थापित नहीं है। इन नगरीय निकायों में से 92 नगरीय निकायों में पंचम राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि से नवीन अग्निशमन केन्द्रों का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है तथा शेष 03 नगरीय निकायों में अग्निशमन केन्द्रों के निर्माण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसमें 19 नगरीय निकाय नवीन स्थापित की गई है, इनमें अग्निशमन सेवा का संचालन शीघ्र किया जावेगा।

पंचम राज्य वित्त आयोग एवं आपदा प्रबन्धक, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर से प्राप्त राशि से नगर निगम जयपुर के लिए 70 मीटर ऊँचाई का एरियल हाईड्रोलिक प्लेटफार्म क्रय हेतु फर्म को आपूर्ति आदेश दिया जा चुका है तथा नगर निगम, जोधपुर, उदयपुर, कोटा एवं नगर परिषद्, भिवाडी के लिये 60 मीटर ऊँचाई के एरियल हाईड्रोलिक लेडर प्लेटफार्म क्रय हेतु फर्म LOA (Letter of Accept) जारी किया जा चुका है। शीघ्र ही कार्यादेश जारी किया जा रहा है।

(10) नगर स्तरीय यातायात कम्पनियों का गठन

SPV का गठन

JnNURM योजना के अन्तर्गत जयपुर शहर में नगरीय बस के माध्यम से परिवहन व्यवस्था के सुचारु संचालन तथा नियंत्रण की दृष्टि से कम्पनीज एक्ट–1956 के अन्तर्गत फरवरी, 2008 में एक विशेष संवाहक Special Purpose Vehicle के रुप में जे.सी.टी.एस.एल. की स्थापना की गई है।

संगठनात्मक संरचना

राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग द्वारा 23 फरवरी, 2015 के द्वारा जयपुर शहर में नगरीय परिवहन सेवा (सिटी बस सर्विस) के लिये गठित जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (जे.सी.टी.एस.एल) के निदेशक मण्डल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) निम्नानुसार हैः–

1	महापौर, नगर निगम, जयपुर	अध्यक्ष
2	प्रबन्ध निदेशक, जे.सी.टी.एस.एल, जयपुर जेसीटीएसएल	निदेशक
3	आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर	निदेशक
4	सचिव, वित्त (व्यय) विभाग या उनका प्रतिनिधि संयुक्त सचिव स्तर का	निदेशक
5	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर	निदेशक
6	निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग या उनका प्रतिनिधि (अतिरिक्त निदेशक स्तर का)	निदेशक
7	उपायुक्त पुलिस (यातायात), जयपुर	निदेशक
8	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर	निदेशक
9	कार्यकारी निदेशक (यातायात) R.S.R.T.C जयपुर	निदेशक
10	अतिरिक्त नगर नियोजक, नगर निगम, जयपुर	निदेशक

स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	परिचालक	1026	587	439
2.	चालक	1026	539	487

बस की उपलब्धता

फेज़ प्रथमः– JnNURM योजना के अन्तर्गत जयपुर शहर हेतु 408 बसें उपलब्ध कराये जाने हेतु राशि रुपये 142.82 करोड़ की सहायता उपलब्ध करायी गई, जिससे 408 बसें क्रय की गई। उक्त 408 बसों में वर्तमान में निम्न श्रेणी की बसें विभिन्न मार्गो पर संचालित हैंः–

क्र.सं.	बस की श्रेणी	बस की संख्या
1.	सेमी लो फ्लोर नॉन ए.सी. बस (650 एम.एम.)	65
2.	लो फ्लोर ए.सी. बस (400 एम.एम.)	55
3.	नॉन ए.सी. मिनी बस (900 एम.एम.)	05
4.	स्टेण्डर्ड फ्रंट इंजिन बस (900 एम.एम.)	60
5.	टाटा ए.सी. मिनी बस	08
योग		**193**

- फेज़ प्रथम के अन्तर्गत उपलब्ध 408 बसों में से 214 बस को निर्धारित मापदण्ड पूरे किये जाने से नकारा घोषित किया जा चुका है तथा एक बस जल गई है। अब फेज़ प्रथम की आवंटित बसों में से संचालित बस की संख्या 193 है।

- फेज़ प्रथम के लिये केन्द्रीय सरकार के नगरीय विकास मंत्रालय द्वारा 408 बस की खरीद हेतु केन्द्र सरकार से 50 प्रतिशत अनुदान प्राप्त हुआ, शेष 20 प्रतिशत राज्य सरकार तथा 30 प्रतिशत नगरीय निकाय (JCTSL) द्वारा वहन किया गया है।

फेज़ द्वितीयः– JnNURM फेज द्वितीय के अन्तर्गत 15 दिसम्बर, 2015 को राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 200 बस के क्रय की स्वीकृति पर्याप्त चालक/परिचालक की उपलब्धता के अनुरुप दी गई थी। वित्त विभाग ने पर्याप्त चालक/परिचालक की उपलब्धता के अनुरुप 100 बस की क्रय की स्वीकृति ही दी गई। जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

S.	Type of Buses	Make	Number of Buses	Cost of Buses (in Rs.)	
				Per Bus	Total
1	650 m.m. Front Engine fitted Diesel AC Buses BS-IV (UBS-II)	Ashok Leyland (New Buses)	10	61,57,450	6,15,74,500
2	650 m.m. Front Engine fitted Non AC Midi Buses BS-IV		30	27,46,322	8,23,89,660
3	650 m.m. Front Engine fitted Non AC Buses BS-IV		60	53,06,419	31,83,85,140
Total			**100**	**--**	**46,23,49,300**

- बस संचालन हेतु ग्रास कॉस्ट मॉडल पर पी.पी.पी ऑपरेटर का चयन कर संचालन हेतु 08 वर्षो के लिए अनुबन्ध कर संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

<u>बस संचालन</u>

- J.C.T.S.L द्वारा जुलाई, 2010 से नगरीय बस सेवा का वाणिज्यिक संचालन आरंभ किया गया।

- माह अक्टूबर, 2013 तक बस का संचालन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के साथ समझौते के अन्तर्गत करने के पश्चात् जे.सी.टी.एस.एल द्वारा स्वयं के भर्ती किये गये 661 चालक और 980 परिचालकों से किया गया है। बाद में 207 बसें पी.पी.पी नेट कॉस्ट मॉडल पर ऑपरेटर द्वारा संचालित करने के कारण जे.सी.टी.एस.एल के 337 चालकों को अन्य विभागों में विपरीत प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया हैं।

- इन बस का संचालन पी.पी.पी (नेट कॉस्ट) मॉडल पर करने हेतु 31 मार्च, 2016 से 04 वर्ष के लिए कम्पनी से अनुबन्ध किया गया था। जिसे निजी पी.पी.पी ऑपरेटर द्वारा फरवरी 2018 में समाप्त कर दिया गया। अनुबन्ध समाप्त करने के फलस्वरुप इन बस में से 70 बस का संचालन जे.सी.टी.एस.एल द्वारा अपने स्तर पर उपलब्ध चालक, परिचालकों के द्वारा सांगानेर आगार से 21 मार्च, 2020 तक किया गया।

- जेसीटीएसएल द्वारा 24 नगरीय एवं 09 उपनगरीय मार्गो (कुल 33) पर बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण वर्तमान में 10 नगरीय एवं 08 उपनगरीय मार्गो (कुल 18) पर बसों का संचालन किया जा रहा है।
- इन बसों के स्थान पर तथा जयपुर शहर की परिवहन आवश्यकता को देखते हुए 600 नई बस (300 डीजल, 300 ई–बस) पी.पी.पी ग्रास कॉस्ट हाइरिंग मॉडल पर संचालन किये जाने हेतु कम्पनी मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया है।
- भारत सरकार की FAME India Scheme-II के तहत् पी.पी.पी ग्रोस कॉस्ट हाइरिंग मॉडल पर 100 Electric Buses के GCC पर बस संचालन हेतु 13 दिसम्बर, 2019 को कार्यादेश जारी किया गया है। जयपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जयपुर शहरी सार्वजनिक परिवहन हेतु 100 डीजल BS-VI मिडी बसों को उपापन GCC पर किये जाने का कार्यादेश 16 जुलाई, 2020 को जारी कर दिया गया है। उक्त बसों का संचालन किया जाना है।

पी.पी.पी. मॉडल पर बस संचालन

- विद्याधर नगर 'ब' आगार के माध्यम से 120 बस (60 लो–फ्लोर ए.सी. बस तथा 60 स्टेण्डर्ड फ्लोर नॉन ए.सी. बस का संचालन निजी बस संचालक द्वारा पी.पी.पी (Gross Cost) मॉडल पर किया जा रहा है।
- टोडी आगार के माध्यम से 108 बस का संचालन एवं रख–रखाव पीपीपी (Gross Cost) मॉडल पर किया जा रहा है।
- पीपीपी (Gross Cost) मॉडल के अन्तर्गत जे.सी.टी.एस.एल द्वारा शिड्यूल, मार्ग किराया, राजस्व संग्रहण तथा डीजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

यात्री सुविधाओं का विकास

- जयपुर शहर में जे.सी.टी.एस.एल द्वारा यात्री सुविधाओं में सुधार व विकास हेतु 145 Bus-Q-Shelter का निर्माण कराया गया हैं। जिन पर विज्ञापन प्रदर्शन तथा रख रखाव का दायित्व निजी कम्पनी को दिया जाता हैं।
- जे.सी.टी.एस.एल बस में समाज की विभिन्न श्रेंणियो के नागरिकों को राजस्थान परिवहन निगम की भॉति रियायती यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही हैं।
- जे.सी.टी.एस.एल की बसों में प्रतिदिन औसतन 1.5 लाख यात्रा कर रहे थे, परन्तु वर्तमान में कोरोना संक्रमण के कारण यात्रियों की संख्या घटकर 50 हजार रह गयी है।

ITMS

- नवीनतम व आधुनिक आई.टी. के प्रयोग के क्रम में जे.सी.टी.एस.एल द्वारा अनुमोदित फर्म द्वारा संचालित बसों में यात्रियों को ETIM मशीन द्वारा टिकिट जारी किये जा रहे हैं।

गैर संचालन आय

- जे.सी.टी.एस.एल द्वारा बस–क्यू–शैल्टर्स के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शन किये जा रहे थे, जिससे प्रतिवर्ष राशि रूपये 04.00 करोड की औसत गैर संचालन आय प्राप्त हो रही हैं। लेकिन अनुबन्धित फर्म के साथ हुए अनुबन्ध की अवधि 10 मई, 2020 को समाप्त हो चुकी है। इसके बाद आमंत्रित की गई बोलियों में किसी बोलीदाता द्वारा बोली प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम 25 जनवरी, 2021 की गयी है।

GEF-5 Project of World Bank

- विश्व बैंक व नगरीय विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा JCTSL का Efficient and Sustainable City Bus Service Project Global Environmental Facility (GEF) हेतु चयन किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत् रु. 10.00 करोड़ के अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

- प्रोजेक्ट का उद्देश्य आगारों की प्लानिंग, निर्माण, अपग्रेडेशन, आधुनिकीकरण व नवीनतम तकनीकी की मशीनरी, इक्यूपमेन्ट्स आदि आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। उक्त योजना में आधुनिकीकरण हेतु उपकरणों का उपापन किया गया है।

- BQS पर Passenger Information System (PIS) स्थापित करने की कार्यवाही Jaipur Smart City Limited (JSCL) द्वारा की जा रही है।

- MIS/ ERP के अन्तर्गत बस के संचालन की सम्पूर्ण अद्यतन Real Time सूचना यात्रियों को उपलब्ध हो सकेगी एवं सभी बस में ETIM से टिकिट जारी किये जा सकेंगे।

दो अतिरिक्त बस डिपो का निर्माण

- जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर, सीकर रोड, टोडी में आरक्षित भूमि पर केन्द्रीय सहायता व RTIDF से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के माध्यम से डिपोजिट वर्क के तहत् डिपो निर्माण किया गया है। जहॉ से 108 बस का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

- इसी प्रकार आगरा रोड, बगराना में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई 10 बीघा भूमि पर RUDSICO के माध्यम से आगार का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी स्वीकृत राशि रु. 16.75 करोड है। आगार से जयपुर स्मार्ट सिटी परियोजन के तहत प्राप्त होने वाली बसों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है।

अवार्ड

- बस की संचालन व्यवस्था, रुट डिजाईन, एकवर्ती किराया पद्धति आदि के लिए श्रदछन्त्ड के अन्तर्गत जे.सी.टी.एस.एल को "Best Emerging Initiative Award प्रदान किया है।

- ASRTU द्वारा "Minimum Operational Cost – Urban Services हेतु वर्ष 2014–15 एवं 2016–17 के लिए "ASRTU Productivity Award प्रदान किया है।

- ASRTU द्वारा वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में Fuel Efficiency तुलनात्मक Improvement श्रेणी में Best STU (1000) KMPL Award प्रदान किया है।

(11) पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (N.S.A.P) के अन्तर्गत संचालित केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के स्थान पर केन्द्र सरकार के मापदण्डों के अनुरूप चयनित बीपीएल परिवारों तथा आस्था कार्ड–धारी परिवारों को बीमा लाभ दिये जाने हेतु पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना) संचालित की जा रही थी। भारत सरकार के पत्र 11 मई, 2017 एवं मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 14 अगस्त, 2017 से 18 वर्ष से 50 वर्ष के आयु वर्ग के बीमा किये जाने वाले सदस्यों का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत एवं 51 से 59 वर्ष आयु–वर्ग के बीमा किये जाने वाले सदस्यो को पूर्व की भांति पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना) के तहत सम्मिलित किये जाने का निर्णय किया गया है। इसका नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है तथा शहरी क्षेत्रों में क्रियान्वयन राज्य की सभी नगर निकायों द्वारा किया जा रहा है।

	(अ)प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)	(ब)प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)	(स)पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना)
पात्रता	ग्रामीण क्षेत्र के बी.पी.एल सर्वे 2002 एवं शहरी क्षेत्र के बी.पी.एल सर्वे 2003 में चयनित बी.पी.एल व आस्था कार्ड–धारी	ग्रामीण क्षेत्र के बी.पी.एल सर्वे 2002 एवं शहरी क्षेत्र के बी.पी.एल सर्वे 2003 में चयनित बी.पी.एल परिवार तथा आस्था कार्ड–धारी परिवार	ग्रामीण क्षेत्र के बी.पी.एल सर्वे 2002 एवं शहरी क्षेत्र के बी.पी.एल सर्वे 2003 में चयनित बी.पी.एल परिवार तथा आस्था कार्ड–धारी परिवार
आयु	18–50 वर्ष	18–50 एवं 51से 59 वर्ष	51–59 वर्ष
प्रिमियम	330 रू. प्रतिवर्ष	12 रू. प्रतिवर्ष	200 रू. प्रतिवर्ष
हित लाभ	किसी भी बीमित सदस्य की मृत्यु होने पर — 2 लाख रू.	क — दुर्घटना मृत्यु — 2 लाख रू ख — दोनो आंखो की कुल तथा अपूर्णनीय क्षति या दोनो हाथो अथवा पैरों का काम करने में अक्षम होना या एक आंख की नजर खो जाना और एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम होना। — 2 लाख रू ग — एक आंख की नजर की कुल तथा अपूर्णनीय क्षति या एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम होना। — 1 लाख रू.	(अ) सामान्य मृत्यु होने की दशा में — 30000 / –रू (ब) दुर्घटना मेंः–(क) मृत्यु होने पर — 75000 / – रू (ख) स्थायी पूर्ण शारीरिक अपंगता होने पर — 75000 / –रू (ग) 2 आंखे या 2 हाथ / पैर(LIMB) या एक आंख व एक हाथ / पैर(LIMB) की क्षति होने पर — 75000 / –रू (घ) एक आंख या एक हाथ / पैर(LIMB) की क्षति होने पर — 37500 / –रू

(12) **गौरव–पथ निर्माण :–**

- वर्ष 2016–2017 में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों की पालना में राज्य की नगरीय निकायों में गौरवपथ विकसित करना स्वीकृत हुये है। गौरवपथ निर्माण कार्य हेतु शहर की एक मुख्य महत्वपूर्ण सड़क (1 से 3 किमी लम्बाई) को गौरवपथ के रूप में विकसित किया जाना है, जो कि मुख्य आबादी से जुड़ी हुई है।

- राज्य की 194 नगरीय निकायों मे से 181 नगरीय निकायों का कार्य राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (आरटीआईडीएफ) से शहरी गौरव–पथ निर्माण कार्य हेतु राशि रूपये 45137.00 लाख रूपये की स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त कार्यो पर अब तक राशि रूपये 336.02 करोड़ का भुगतान एवं 303.04 किलोमीटर लम्बी सड़क का निर्माण हुआ है।

- अन्य 11 नगरीय निकायो (जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, अलवर, भिवाड़ी व श्रीगंगानगर) में गौरवपथ का निर्माण नगरीय निकायों द्वारा स्वय के राजस्व स्त्रोत से करवाया जाना है। 181 नगरीय निकायों में गौरवपथ का निर्माण कार्य आर.टी.आई.डी. एफ में स्वीकृत राशि से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। दो नवीनतः घोषित (खाटूश्यामजी व परतापुरगढी) नगर पालिकाओं को गौरव पथ से लाभान्वित करने के लिये फंड आवंटन प्रक्रियाधीन है।

- 181 नगरीय निकायों में से 175 निकायों में शहरी गौरव पथ का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। शेष 06 निकायों में कार्य प्रगति पर है।

(13) बजट घोषणा 2019–20

वर्तमान सरकार की मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2019–2020 के अंतर्गत राज्य में दौसा, धौलपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, करौली, सिरोही, बासवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं बून्दी जिला मुख्यालयों पर टाउन हॉल बनाये जायेगें। इस वर्ष में सिरोही एवं जैसलमेर में टाउन हॉल के कार्य को हाथ में लिया जायेगा। इसी क्रम में वर्ष 2020–21 में धौलपुर एवं करौली में कुल राशि रू. 30.00 करोड़ की लागत से टाउन हॉल बनाये जायेगे।

टाउन हॉल जैसलमेर :– बजट घोषणा 2019–20 अन्तर्गत नगर परिषद जैसलमेर द्वारा राशि रूपये 16.00 करोड़ लागत से, पहले से निर्मित अपूर्ण टाउन हॉल के कार्य को पूर्ण करने हेतु डी.पी.आर बनवाई जा चुकी है, जिसका एवं पूर्व में किये गये कार्य का अन्तिम मूल्यांकन किये जाने हेतु निदेशालय से गठित कमेटी द्वारा तकनीकी परीक्षण किया जा रहा है।

टाउन हॉल सिरोही :– बजट घोषणा 2019–20 के अन्तर्गत गोयली चौराहे पर टाउन हॉल निर्माण कार्य हेतु राशि रूपये 1747.73 लाख डीपीआर बनाई जाकर निदेशालय स्तर से राशि रूपये 1747.73 लाख की 13 फरवरी, 2020 को तकनीकी स्वीकृति जारी की जा चुकी है, कार्य की वित्तीय बिड खोली जाकर प्रक्रियाधीन है, किन्तु वर्तमान में माननीय न्यायालय से कोर्ट स्टे के कारण लम्बित है।

<u>चौहटन रोड़, बाड़मेर (एलसी–328) पर ROB निर्माण</u>:–बजट घोषणा 2019–20 संख्या 296.0.0 –चोहटन रोड़ रेलवे फाटक, बाड़मेर में नवीन आरओबी निर्माण करवाये जाने के संबंध में रूडसिकों के माध्यम से राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम को कार्यकारी ऐजेन्सी नियुक्त किया जाकर प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 21851 09 जनवरी, 2020 से जारी की जाकर उक्त बजट घोषणा को क्रियान्वित करवाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस हेतु अवाप्त होने वाली भूमि की व्यय राशि का प्रकरण स्वीकृति हेतु वित्त विभाग में लम्बित है।

<u>जोधपुर</u> :– ''बजट घोषणा 289.0.0(2019–2020 (Modified Budget) (Hon'ble CM Reply on 29 July, 2019) जोधपुर स्थित नया तालाब के पुनरूद्धार कार्य हेतु 07 करोड़ 84 लाख रूपये और बाईजी के तालाब तथा गांगेलाव तालाब के पुनरूद्धार एवं मरम्मत के 20 लाख रूपये का प्रावधान किया जाएगा'' के क्रियान्वयन हेतु नया तालाब के कार्य में नगरीय विकास विभाग को कार्यकारी ऐजेन्सी बनाया गया है एवं शेष कार्यो जिनकी लागत नगर निगम जोधपुर द्वारा राशि रूपये 20.53 करोड़ आंकलित की गई है, के लिये भी नगरीय विकास विभाग को कार्यकारी ऐजेन्सी बनाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

<u>जयपुर</u> :– डेलावास स्थित दो एस.टी.पी (62.50 MLD क्षमता प्रत्येक) का अपग्रेडेशन एवं 90 MLD क्षमता का एक नया STP लगाये जाने का कार्यादेश फर्म को 19 अगस्त, 2020 को दिया जा चुका है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है, जो आगामी दो वर्ष में पूर्ण हो जावेगा।

<u>माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा –148 (20 फरवरी, 2020) :–</u> सीवर की सफाई करते हुये कई बार जनहानि होने की घटनायें सामने आती है। एक सभ्य समाज के लिये यह कतई स्वीकार योग्य नही है। सीवर सफाई कार्य में मानवीय उपयोग निषेध मानते हुये यह कार्य एवं मशीनों द्वारा किये जाने के लिये सभी निकायों द्वारा सीवर सफाई कार्य एवं ठोस कचरा प्रबंधन और निस्तारण के लिये आवश्यक यंत्र एवं उपकरण खरीदे जायेगे। इस पर कुल राशि रूपये 176.00 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है। संबंधित जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेगें कि किसी भी मानव को सीवरेज के मशीनहॉल में नही उतारा जावे। सभी नगरीय निकायों को सीवरेज सफाई का कार्य आधुनिक मशीनों एवं सुरक्षा उपकरणों के साथ करवाये जाने के निर्देश 24 नवम्बर, 2020 को प्रदान किये गये है।

सीवरेज एवं सैप्टिक टैंक सफाई के कार्यो में काम आने वाले आधुनिक मशीनों के साथ सुरक्षा उपकरणों के क्रय किये जाने हेतु बजट घोषणा की क्रियान्विति के लिए नगरीय निकायों को आधुनिक मशीनों के साथ सुरक्षा उपकरणों के क्रय हेतु बिड आमंत्रित कर, कार्यादेश जारी किया जा चुका है। बजट हेतु पत्रावली वित्त विभाग को राशि की व्यवस्था हेतु भिजवाया जा चुका है।

सीवर लाईन मशीनहॉल एवं सैप्टिक टैंक सफाई के दौरान सावधानियॉ/सुरक्षा के सभी मापदण्डों को पूर्ण करते हुये सफाई कार्य नगरीय निकायों द्वारा करवाया जाना है। सीवर लाईन मशीनहॉल एवं सैप्टिक टैंक सफाई में लगे कार्मिको को प्रशिक्षण दिय जाने का कार्य किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक एवं उपकरणों को उपयोग में लेते हुये Manual Scavengers and their Rehabilitation Act-2013 की पालना में कार्य किया जा रहा है।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए घर–घर कचरा संग्रहण, संग्रहित कचरे का परिवहन एवं वायू प्रदूषण को रोकने हेतु वेक्यूम रोड स्वीपर से सड़क सफाई हेतु राशि रू. 88.00 करोड़ के लागत के स्वीकृत कर उपकरण उपलब्ध करवाये जाने के कार्यादेश दिये जा चुके है। बजट हेतु पत्रावली वित्त विभाग को राशि की व्यवस्था हेतु पुनः भिजवाया जा रहा है।

(14) स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दुः–

- राज्य सरकार द्वारा नगर पालिकाओं के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में **शैक्षणिक योग्यता संबंधी अवरोध** हटाये।
- प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में **वार्डो की संख्या का पुनर्निर्धारण** किया।
- प्रदेश के 3 बड़े शहरों **जयपुर, जोधपुर एवं कोटा** में जनसंख्या में वृद्धि एवं बढ़ते कार्यभार व हैरिटेज महत्व को देखते हुये **02–02 नगर निगमों का गठन।**
- दिव्यांगजनों, स्वतंत्रता सेनानियों, विधवाओं, सैन्य पदक विजेताओं, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों, कला एवं साहित्य में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त साहित्यकारों को **रियायती दरों पर भूमि आवंटन** का निर्णय।
- नगरीय निकायों में सीवरेज व्यवस्था स्थापित कर अपशिष्ट **जल का पुनः उपयोग योजना–2019** बनायी जाकर अपशिष्ट पानी का खेती एवं उद्योगों में उपयोग का निर्णय।
- राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में रूफटॉप रेस्टोरेंट संचालन के लिये राज्य सरकार द्वारा तकनीकी एवं मापदण्डो अनुसार **रूफटॉप बॉयलॉज** बनाये जाने का निर्णय।
- सीवरेज मेनहोल सफाई के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगभग **राशि रूपये 88.00 करोड़ लागत के आधुनिक मशीनें/उपकरण** उपलब्ध कराने की क्रय की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु कार्यादेश जारी किया जा चुका है।
- 20 अगस्त, 2020 को प्रदेश के 213 नगरीय निकायों में **इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ** किया गया। योजना में 358 रसोइयों के माध्यम से 31 दिसम्बर, 2020 तक 1.31 करोड़ व्यक्ति लाभान्वित हुये।

- **अग्निशमन व्यवस्थाओं का सुदृढीकरण** के लिए 155 फायर ड्राइवरों की भर्ती तथा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भिवाड़ी के लिए एरियल हाइड्रोलीक लेडर क्रय किए जाने के कार्यादेश जारी, जयपुर हेतु मशीन मार्च 2021 तक एवं शेष दिसम्बर 2021 तक सप्लाई कर दी जावेगी।

- मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 29 सितंबर व 5 अक्टूबर, 2020 को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा व भरतपुर संभागो में जलापूर्ति, सीवरेज, उद्यान, हेरिटेज संरक्षण व पार्किंग की **61 परियोजनाओं राशि रुपये 442.72 करोड़ का शिलान्यास एवं राशि रुपये 442.72 करोड़ के 25 कार्यों जलापूर्ति, सीवरेज, उद्यान, हेरिटेज संरक्षण व आरओबी का लोकार्पण** किया।

- **कोविड–19 के दौरान मुख्यमंत्री भोजन योजना के तहत 04 करोड़ फूड पैकेट जरूरतमंदों को वितरण, सफाई एवं अग्निशमन कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए राशि रूपये 1000 प्रति कर्मचारी, 1.10 लाख स्ट्रीट वेण्डर्स एवं श्रमिकों को राशि रूपये 3500 प्रति लाभार्थी उपलब्ध कराये गए, निकायों को राशि रूपये 25.60 करोड़ उपलब्ध कराये गए एवं 43.80 लाख लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया।**

- **2 अक्टूबर 2020 को प्रदेश में कोविड–19 के विरुद्ध प्रारंभ किये गये जनआन्दोलन में अब तक 1.5 करोड़ से अधिक मास्क का वितरण, 80 लाख घरों के बाहर जागरूकता पोस्टर लगाये, 50 लाख पोस्टरों का वितरण, 25,126 जागरूकता रैलियों का आयोजन, 50,884 जागरूकता होडिंग्स लगाये एवं 38 हजार वाहनों से जागरूकता संदेश प्रसारित किए गए।**

- **06 जुलाई, 2019 को अजर बेजान बाकू शहर में यूनेस्को के 43वें सम्मेलन में जयपुर शहर (परकोटा) को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया।**

- राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 29 नवम्बर, 2019 को राजस्थान **विधानसभा डिजीटल म्यूजियम के निर्माण कार्य का शुभारम्भ** किया।

- डिजीटल म्यूजियम का निर्माण राजस्थान विधानसभा भवन के प्रथम एवं द्वितीय तल पर 21 हजार स्कवायर फीट क्षेत्र में किया जायेगा। इस पर करीब **राशि रूपये 14.00 करोड़ की लागत** आयेगी एवं आगामी वर्ष में कार्य पूर्ण होगा। यह कार्य स्मार्ट सिटी जयपुर के माध्यम से किया जा रहा है।

- आर.यू.आई.डी.पी द्वारा **द्वितीय चरण में राशि रूपये 1722.00 करोड़ से 15 शहरों में आधारभूत विकास कार्य पूर्ण** किये गये, जिसमें से गत 02 वर्षो में राशि रूपये 39.21 करोड़ व्यय कर भरतपुर, धौलपुर एवं बाड़मेर में सीवरेज कार्य किये जाकर सितम्बर, 2019 में संपूर्ण परियोजना पूर्ण की गई। शहरों में 63.43 कि.मी. सीवर लाईन, 02 मल–जल शोधन संयंत्र (एसटीपी–11 एमएलडी क्षमता) के कार्य करवाये गये है।

- **अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)** के अर्न्तगत राज्य के 29 शहरों का चयन किया गया है। **पार्कों का विकास** – 29 शहरों में 52 करोड़ की लागत से 106 पार्कों में कार्य। 88 पार्को का कार्य पूर्ण, शेष 18 पार्को में वानिकीकरण कार्य, सोलर लाईट, बच्चों के खेल उपकरण, जिमकरण एवं कच्चे फुटपाथ का निर्माण प्रगतिरत। **जल निकासी** – 05 शहरों में 68.42 करोड़ की लागत से 06 कार्य। बारां, चुरू, झुंझुनूं व उदयपुर में कार्य पूर्ण। शेष में प्रगतिरत। **जलापूर्ति** – राशि रू. 1023.00 करोड़ की लागत से 23 शहरों में 24 जलापूर्ति के कार्य। ब्यावर, सुजानगढ़, चुरू, भरतपुर एवं सीकर में कार्य पूर्ण। शेष प्रगतिरत। लगभग 04 लाख घरों को पेयजल लाईन से जोड़ना, 3237 कि.मी. पेयजल लाईन, 28 स्वच्छ पेयजल टैंक एवं 85 पानी की टंकीयों का निर्माण। **सीवरेज** – राशि रू. 2066.00 करोड़ की लागत से 26 शहरों में 2369 किलोमीटर सीवरलाईन व 38 एस.टी.पी कुल क्षमता 128.95 एम.एल.डी का कार्य। 1924.47 कि.मी. सीवर लाईन डालने का कार्य व 14 एस.टी.पी का कार्य पूर्ण। शेष प्रगतिरत।

- **स्मार्ट सिटी मिशन** के तहत प्रदेश में 4 शहरों का चयन किया गया। जिसमें **स्मार्ट सिटी जयपुर** में राशि रू. 1254.00 करोड़ की 132 परियोजनाओं के तहत कार्य किया जाना है, जिसमें से वर्तमान में राशि रू. 264.00 करोड़ व्यय किये जा चुके है, जिसमें राशि रू. 97.00 करोड़ व्यय कर 21 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है तथा राशि रू. 424.00 करोड़ की 43 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। राशि रू. 587.00 करोड़ की 55 परियोजनाएं निविदा प्रक्रिया में है तथा राशि रू. 732.00 करोड़ की 29 परियोजनाओं की कार्य योजना बनायी जा रही है।

- **स्मार्ट सिटी कोटा** में राशि रू. 863.00 करोड़ की 43 परियोजनाओं के तहत कार्य किया जाना है, जिसमें से वर्तमान में राशि रू. 167.00 करोड़ व्यय किये जा चुके है, जिसमें राशि रू. 106.00 करोड़ व्यय कर 13 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है तथा राशि रू. 650.00 करोड़ की 22 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। राशि रू. 66.00 करोड़ की 05 परियोजनाएं निविदा प्रक्रिया में है तथा राशि रू. 41.00 करोड़ की 03 परियोजनाओं की कार्य योजना बनायी जा रही है।

- **स्मार्ट सिटी अजमेर** में राशि रू. 970.00 करोड़ की 109 परियोजनाओं के तहत कार्य किया जाना है। जिसमें से वर्तमान में राशि रू. 246.00 करोड़ व्यय किये जा चुके है, जिसमें राशि रू. 36.00 करोड़ व्यय कर 21 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है तथा राशि रू. 706.00 करोड़ की 45 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। राशि रू. 100.00 करोड़ की 21 परियोजनाएं निविदा प्रक्रिया में है तथा राशि रू. 128.00 करोड़ की 22 परियोजनाओं की कार्य योजना बनायी जा रही है।

- **स्मार्ट सिटी उदयपुर** में राशि रू. 899.00 करोड़ की 102 परियोजनाओं के तहत कार्य किया जाना है। जिसमें से वर्तमान में राशि रू. 494.00 करोड़ व्यय किये जा चुके है, जिसमें राशि रू. 36.00 करोड़ व्यय कर 33 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है तथा राशि रू. 740.00 करोड़ की 55 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। राशि रू. 49.00 करोड़ की 09 परियोजनाएं निविदा प्रक्रिया में है तथा राशि रू. 74.00 करोड़ की 05 परियोजनाओं की कार्य योजना बनायी जा रही है।

- **उदयपुर स्मार्ट सिटी** लि. को 14वीं ग्लोबल फोरम ऑन ह्यूमन सैटलमेंट 2019 के अंतर्गत 5–6 सितंबर, 2019 को यू.एन. कॉफ्रेंस सेंटर, अदीस अबाबा ईथोपिया में ससटेनेबल सिटीज एंड ह्यूमन सैटलमेंट अवॉर्ड प्राप्त हुआ।

- स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य की सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों कों खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों में 3.46 लाख घरेलू शौचालयों का निर्माण तथा 2774 सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों को निर्माण किया जा चुका है। प्रदेश में 5389 वार्डो सें घर–घर कचरा संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। शौचालयों की सफाई के लिए ऑनलाईन सिस्टम प्रारंभ तथा सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों के फीकल स्लज के ट्रीटमेंट की व्यवस्था प्रारंभ, एमआरएफ सेन्टर बनाकर सूखे कचरे की छटनी प्रारंभ, नागरिकों का फीडबैक सभी नगरीय निकायों में 1969 स्वच्छता ऐप व स्वच्छ सर्वेक्षण वेबसाईट के माध्यम से दिया जा रहा है।

परिशिष्ट – I

राजस्थान के नगर निकायों का सम्भागवार, जिलेवार एवं श्रेणीवार वर्गीकरण

क. स.	जिला	प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	योग
		नगर निगम	नगर परिषद	नगर पालिका मंडल	नगर पालिका मंडल	नगर पालिका मंडल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. अजमेर सम्भाग							
1.	अजमेर	अजमेर	1 ब्यावर 2 किशनगढ़		1. केकडी 2. पुष्कर 3. सरवाड 4. विजयनगर	1. नसीराबाद	8
2.	भीलवाडा		1. भीलवाडा		1. शाहपुरा 2. गुलाबपुरा	1. गंगापुर 2. जहाजपुर 3. मांडलगढ 4. आसीन्द	7
3.	नागौर		1. नागौर 2. मकराना	1. लाडनूं 2. मेडतासिटी	1. डीडवाना 2. कुचामनसिटी 3. परबतसर	1. नावां 2. कुचेरा 3. मूण्डवा 4. डेगाना	11
4.	टोंक		1. टोंक	1. देवली	1. निवाई	1. मालपुरा 2. टोडारायसिंह 3. उनियारा	6
2. बीकानेर सम्भाग							
5.	बीकानेर	बीकानेर			1. नोखा 2. श्री डूंगरगढ	1. देशनोक	4
6.	चूरू		1. चुरू 2. सुजानगढ	1 रतनगढ 2.सरदारशहर	1. राजगढ	1. छापर 2. बीदासर 3. राजलदेसर 4. रतननगर 5. तारानगर	10
7.	श्रीगंगानगर		1. श्रीगंगानगर	1. रायसिंहनगर	1. अनूपगढ 2. गजसिंहपुर 3. पदमपुर 4. केसरीसिंहपुर 5. सादुलशहर 6. श्रीकरणपुर 7. सूरतगढ 8. श्रीविजयनगर	1. लालगढ–जाटान	11
8.	हनुमानगढ		हनुमानगढ		1. नोहर 2. संगरिया 3. भादरा 4. पीलीबंगा	1. रावतसर	6
3. जयपुर सम्भाग							
9.	जयपुर	1. जयपुर हैरिटेज 2. ग्रेटर जयपुर			1. चौमूं 2. सांभर 3. चाकसू 4. कोटपूतली	1. जोबनेर 2. फुलेरा 3. विराटनगर 4. शाहपुरा 5. किशनगढरेनवाल 6. बगरू 7. बस्सी 8. पावटा–प्रागपुरा	14
10.	अलवर		1. अलवर 2.भिवाडी		1. खेरथल 2. खेरली 3. राजगढ	1. तिजारा 2. बहरोड 3. किशनगढ़बांस 4. थानागाजी 5. लक्ष्मणगढ 6. रामगढ 7. बानसूर	12

11.	दौसा		1. दौसा		1. बांदीकुई	1. लालसोट 2. महुवा 3. मण्डावरी	5
12.	झुंझुंनू		1 झुंझुंनू	1. नवलगढ	1. चिडावा	1. बिसाऊ 2. बग्गड 3. खेतडी 4. मण्डावा 5. मुकुन्दगढ 6. पिलानी 7. सूरजगढ 8. उदयपुरवाटी 9. विद्याविहार	12
13.	सीकर		1. सीकर	1. फतेहपुर	1. लक्ष्मणगढ 2. रामगढशेखावटी 3. श्रीमाधोपुर	1. खण्डेला 2. नीमकाथाना 3. रींगस 4. लोसल 5. खाटूश्यामजी	10
4. भरतपुर सम्भाग							
14.	भरतपुर	1. भरतपुर			1. बयाना 2. डीग 3. कामां 4. नदबई	1. वैर 2. कुम्हैर 3. भुसावर 4. नगर 5. रूपवास 6. उच्चैन 7. सीकरी	12
15.	धौलपुर		1. धौलपुर		1. बाड़ी	1. राजाखेडा 2. सरमथुरा 3. बसेडी	5
16.	करौली		1. करौली 2. हिंडौनसिटी			1. टोडाभीम 2.सपोटरा	4
17.	स.माधोपुर		1.स.माधोपुर 2. गंगापुरसिटी			1.बामणवास	3
5. जोधपुर सम्भाग							
18.	जोधपुर	1. जोधपुर–उत्तर 2. जोधपुर–दक्षिण			1. फलोदी 2. पीपाडसिटी 3. बिलाडा	1. भोपालगढ़	6
19.	बाडमेर		1. बाड़मेर 2.. बालोतरा				2
20.	जैसलमेर		1.जैसलमेर			1. पोकरण	2
21.	जालौर		1. जालौर		1. भीनमाल	1. सांचोर	3
22.	पाली		1. पाली	1. सुमेरपुर	1. सोजतसिटी	1. जैतारण 2. बाली 3. तख्तगढ 4. सादडी 5. खुडलाफालना 6. रानीखुर्द	9
23.	सिरोही		1. सिरोही	1.आबूरोड 2. माउंटआबू	1. शिवगज	1. पिण्डवाडा 2. जावाल	6
6. उदयपुर सम्भाग							
24.	उदयपुर	उदयपुर			1. फतेहनगर	1. सलूम्बर 2. भीण्डर 3. कानोड	5
25.	बांसवाडा		1. बांसवाडा		1. कुशलगढ	1.परतापपुरगढी	3
26.	चित्तौडगढ		1.चित्तौडगढ	1. निम्बाहेडा		1. बडी सादडी 2. कपासन 3. बेगू 4. रावतभाटा	6

27.	डूंगरपुर		1. डूंगरपुर			1. सागवाडा	2
28.	राजसमन्द		1. राजसमंद		1. आमेट 2. नाथद्वारा	1. देवगढ	4
29.	प्रतापगढ़		1. प्रतापगढ		1. छोटा सादडी		2
7. कोटा सम्भाग							
30.	कोटा	1.कोटा–उत्तर 2.कोटा–दक्षिण			1. रामगंजमंडी	1. कैथून 2. सांगोद 3. ईटावा 4. सुल्तानपुर	7
31.	बारां		1. बारां	1. अन्ता		1. छबड़ा 2. मांगरोल 3. अटरू	5
32.	बूंदी		1. बूंदी		1. लाखेरी 2. केशवरायपाटन	1. नैनवां 2. कापरेन 3. इन्द्रगढ	6
33.	झालावाड		1. झालावाड		1. भवानीमंडी 2. झालरापाटन	1. पिडावा 2. अकलेरा	5
	योग	10	34	13	58	98	213

नोटः–विभागीय अधिसूचना 19 जून, 2020 एवं 25 जून, 2020 के द्वारा 17 चतुर्थ श्रेणी नगर पालिकाओं की घोषणा की गई , जो निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	जिले का नाम	नवगठित नगर पालिका का नाम
1.	श्रीगंगानगर	1.लालगढ–जाटान
2.	जयपुर	1.बस्सी 2.पावटा–प्रागपुरा
3.	अलवर	1.लक्ष्मणगढ 2.रामगढ 3.बानसूर
4.	दौसा	1.मण्डावरी
5.	भरतपुर	1.उच्चैन 2.सीकरी
6.	धौलपुर	1.सरमथुरा 2.बसेडी
7.	करौली	1.सपोटरा
8.	सवाईमाधोपुर	1.बामणवास
9.	जोधपुर	1.भोपालगढ
10.	सिरोही	1.जावाल
11.	कोटा	1.सुल्तानपुर
12.	बारां	1.अटरू

उक्त नवगठित नगर पालिकाओं की अधिसूचना पर माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा स्थगन आदेश दिये गये है।

परिशिष्ट – II

वर्ष 2019–2020 में विभाग में स्वीकृत पदों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है

क.सं.	नाम पद	स्वीकृत पदों की संख्या	
		आयोजना भिन्न	आयोजना
1.	**(अ) राजपत्रित अधिकारी**		
2.	निदेशक	1	–
3.	अतिरिक्त निदेशक	1	–
4.	मुख्य अभियन्ता	–	1
5.	अधीक्षण अभियंता	1	–
6.	वित्तीय सलाहकार	1	–
7.	परियोजना निदेशक	–	1
8.	संयुक्त निदेशक (प्लानं)	–	1
9.	सचिव, सेवा चयन आयोग (रा.न.पा.)	–	1
10.	उप निदेशक	3	1
11.	उप निदेशक (सां.)	–	1
12.	क्षेत्रीय उप निदेशक	7	–
13.	सहायक निदेशक	3	–
14.	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी	1	–
15.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	1
16.	लेखाधिकारी	2	–
17.	सहायक अभियंता	1	–
18.	सहायक लेखाधिकारी प्रथम	1	–
19.	सहायक विधि परामर्शी	1	–
20.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	2	–
21.	वरिष्ठ नगर नियोजक	–	1
22.	उप नगर नियोजक	–	–
23.	भूमि एवं भवन कर अधिकारी	1	–
24.	निजी सचिव	1	–
25.	सिस्टम एनालिसिस्ट (संयुक्त निदेशक)	1	–
26.	एनालिसिस्ट कम प्रोग्रामर	1	–
27.	प्रोग्रामर	2	–
28.	अतिरिक्त निजी सचिव	1	1
29.	प्रशासनिक अधिकारी	1	–
30.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	7	1
	योग– अ	**41**	**10**

	(ब) अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी		
31.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	2	—
32.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	5
33.	अन्वेषण सहायक	—	1
34.	लेखाकार / सहायक लेखाधिकारी द्वितीय	14	1
35.	कनिष्ठ लेखाकार	—	3
36.	संगणक	2	—
37.	सहायक प्रोग्रामर	1	—
38.	सूचना सहायक	5	—
	योग–ब	**25**	**10**
	(स) मंत्रालयिक सेवा कर्मचारी		
39.	शीघ्र लिपिक	1	1
40.	निजी सहायक	2	—
41.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	16	—
42.	वरिष्ठ सहायक	26	1
43.	कनिष्ठ सहायक	18	3
44.	वाहन चालक	1	2
45.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / चौकीदार	11	1
46.	मशीन मैन	1	—
47.	जमादार	1	—
	योग–स	**77**	**8**
	महायोग अ+ब+स	**143**	**28**

विभाग में एक्स–केडर के स्वीकृत पदों का विवरण :–

क.स.	नाम पद	स्वीकृत पदों की संख्या	
		आयोजना भिन्न	आयोजना
1	अतिरिक्त मुख्य अभियंता	1	—
2	अधीक्षण अभियंता	1	—
3	अधिशाषी अभियंता (सिविल)	4	—
4	उप निदेशक (एसआईपीएफएनपीएस)	1	—
5	सहायक अभियंता	5	—
6	सहायक लेखाधिकारी II	1	—
7	कनिष्ठ सहायक	2	—

परिशिष्ट **III**

निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग में कार्यरत अधिकारियों के नाम व कार्यालय के दूरभाष नम्बर

क.सं.	पद	अधिकारी का नाम	दूरभाष न.
			कार्यालय
1.	मा.मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन व स्वायत्त शासन विभाग	माननीय श्री शान्ति कुमार धारीवाल	2227384
2.	शासन सचिव, LSG	श्री भवानी सिंह देथा (I.A.S.)	2227200
3.	निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव	श्री दीपक नन्दी (I.A.S.)	2222403
4.	अतिरिक्त निदेशक	श्री संजीव कुमार पाण्डेय (R.A.S.)	2229314
5.	परियोजना निदेशक	श्री सुरेश चन्द गुप्ता	2223239
6.	स्टेट नोडल अधिकारी (इन्दिरा रसोई योजना)	श्री नरेश कुमार गोयल	9413377889
7.	उप निदेशक (प्रशासन)	श्रीमती कविता चौधरी	2222032
8.	वरिष्ठ नगर नियोजक	श्री शशिकान्त शर्मा	2226748
9.	मुख्य अभियंता	श्री भूपेन्द्र कुमार माथुर	2222469
10.	वित्तीय सलाहकार	श्री बलवीर सिंह	2226750
11.	सहायक निदेशक (सतर्कता)	श्रीमती रक्षा पारीक (R.A.S.)	2226738
12.	वरिष्ठ सयुंक्त विधि परामर्शी	श्री संजय माथुर	2226717
13.	सयुंक्त निदेशक (प्लान)	श्री वी.डी.सक्करवाल	2226753
14.	संयुक्त निदेशक मॉनिटरिंग	श्री शाहिद अहमद	2226712
15.	सचिव, सेवा चयन बोर्ड	श्रीमती कविता चौधरी	2226707
16.	मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा संरक्षण प्रकोष्ठ)	श्री महेन्द्र कुमार बैरवा	2226739
17.	उप नगर नियोजक	श्री राजपाल चौधरी	2226748
18.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	श्री सत्यनारायण गुप्ता	2223045 /2226715
19.	उप निदेशक (सां.)	श्री दिनेश चन्द गुप्ता	2226718
20.	लेखाधिकारी	श्री शीशराम बोरान	9887562089
21.	सहायक विधि परामर्शी	–	–
22.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	श्री अजय अग्रवाल	2226716
23.	उपनिदेशक (जनसम्पर्क)	श्री बृजेश पारीक	2226706
24.	समन्वयक CMAR	श्रीमती डॉ. हिमानी तिवाड़ी	2229966

विभाग से सम्बद्व कार्यकारी संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों के नाम व कार्यालय के दूरभाष न0

क. सं.	पद	अधिकारी का नाम	दूरभाष न.
			कार्यालय
1	परियोजना निदेशक आरयूआईडीपी (RUIDP)	श्री कुमार पाल गौतम (I.A.S.)	2721966
2	कार्यकारी निदेशक रूडसिको, (RUDSICO)	श्री दीपक नन्दी (I.A.S.)	2742538

परिशिष्ट IV

क्षेत्रीय उप निदेशक स्थानीय निकाय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों के नाम व कार्यालय एवं निवास के दूरभाष नम्बर

क. सं.	पद	अधिकारी का नाम	दूरभाष न. कार्यालय	इ.पी.बी.एक्स एक्सटेंशन नं.
1.	उप निदेशक (क्षेत्रीयं) बीकानेर (कार्यवाहक)	श्री गोपाल राम बिरदा	0151—2546539	0151—2226906
2	उप निदेशक (क्षेत्रीयं) जयपुर	श्रीमती रेणु खण्डेलवाल	0141—2361366	0141—2361366
3.	उप निदेशक (क्षेत्रीयं) जोधपुर	श्री दलवीर सिंह ढ़द्ढा	0291—2651461	0291—2651461
4.	उप निदेशक (क्षेत्रीयं) कोटा	श्रीमती दिप्ती रामचन्द्र मीणा	0744—2382207	0744—2381661
5.	उप निदेशक (क्षेत्रीयं) उदयपुर	श्री विनय पाठक	0294—2421362	0294—2421362
6.	उप निदेशक (क्षेत्रीयं) अजमेर	डॉ. अनुपमा टेलर	0145—2426716	0145—2624716
7.	उप निदेशक (क्षेत्रीयं) भरतपुर	श्री राजू लाल गुर्जर	05644—231336	—

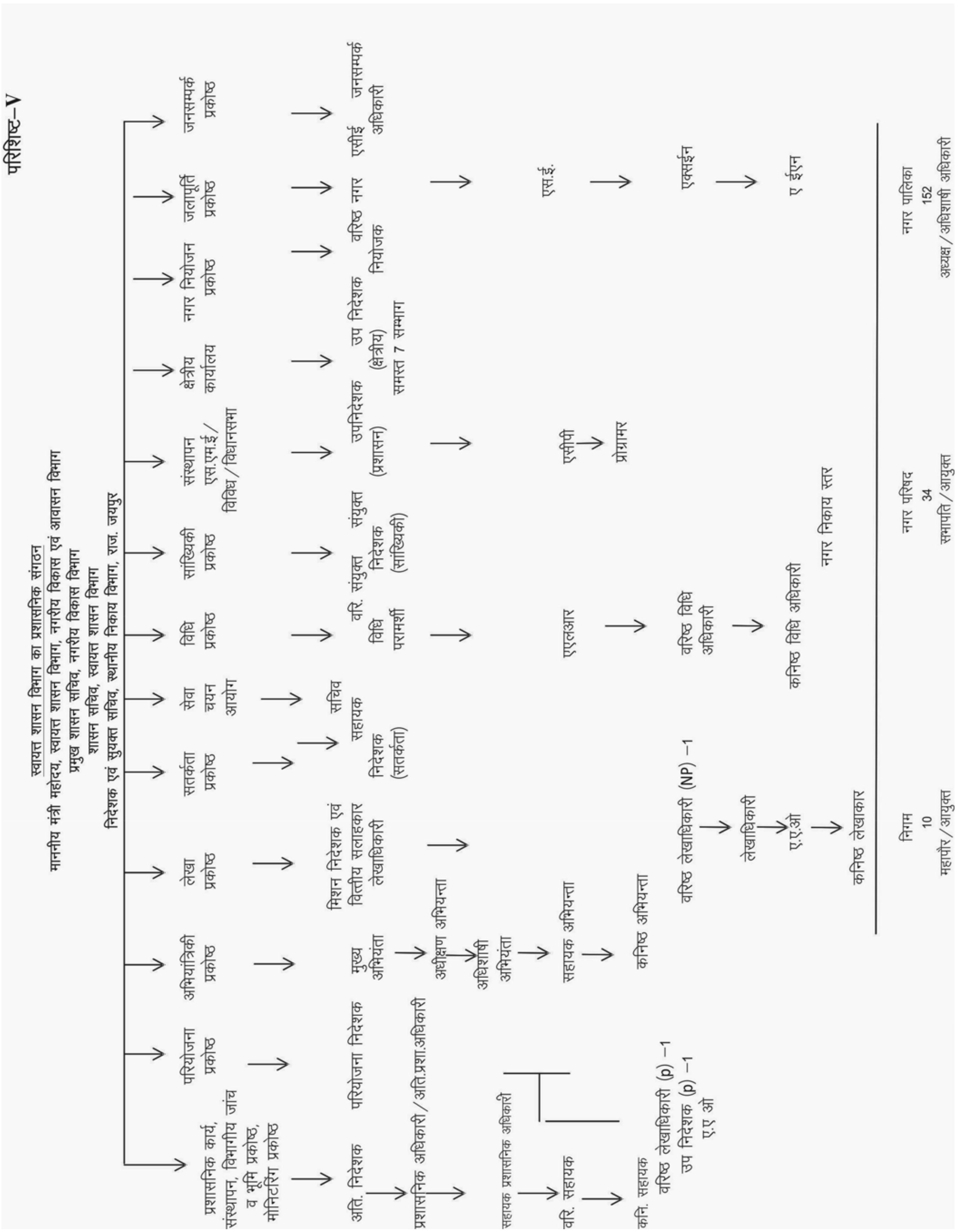
परिशिष्ट–V
स्वायत्त शासन विभाग का प्रशासनिक संगठन
माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग
शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग
निदेशक एवं सुयक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर
प्रशासनिक कार्य, संस्थापन, विभागीय जांच व भूमि प्रकोष्ठ, मोनिटरिंग प्रकोष्ठ
अति. निदेशक
प्रशासनिक अधिकारी/अति.प्रशा.अधिकारी
सहायक प्रशासनिक अधिकारी
वरि. सहायक
कनि. सहायक
परियोजना प्रकोष्ठ
परियोजना निदेशक
वरिष्ठ लेखाधिकारी (p) –1
उप निदेशक (p) –1
ए.ए ओ
अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ
मुख्य अभियंता
अधीक्षण अभियन्ता
अधिशाषी अभियंता
सहायक अभियन्ता
कनिष्ठ अभियन्ता
लेखा प्रकोष्ठ
मिशन निदेशक एवं वित्तीय सलाहकार लेखाधिकारी
वरिष्ठ लेखाधिकारी (NP) –1
लेखाधिकारी
ए.ए.ओ
कनिष्ठ लेखाकार
सतर्कता प्रकोष्ठ
सहायक निदेशक (सतर्कता)
सेवा चयन आयोग
सचिव
विधि प्रकोष्ठ
वरि. संयुक्त विधि परामर्शी
एएलआर
वरिष्ठ विधि अधिकारी
कनिष्ठ विधि अधिकारी
सांख्यिकी प्रकोष्ठ
संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी)
संस्थापन एस.एम.ई./विधि/विधानसभा
उपनिदेशक (प्रशासन)
एसीपी
प्रोग्रामर
क्षेत्रीय कार्यालय
उप निदेशक (क्षेत्रीय) समस्त 7 सम्भाग
नगर नियोजन प्रकोष्ठ
वरिष्ठ नगर नियोजक
जलापूर्ति प्रकोष्ठ
एस.ई.
एक्सईन
ए ईएन
जनसम्पर्क प्रकोष्ठ
एसीई जनसम्पर्क अधिकारी
नगर निकाय स्तर
निगम 10 महापौर/आयुक्त
नगर परिषद 34 सभापति/आयुक्त
नगर पालिका 152 अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी

''कोई भी भूखा नहीं सोए'' के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम, इन्दिरा रसोई योजना शुभारम्भ करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा डॉ सी.पी. जोशी, ऊर्जा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल, स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा एवं परिवहन मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास कोरोना के विरूद्ध जन आन्दोलन के शुभारम्भ के अवसर पर स्टीकर एवं पोस्टर विमोचन करते हुए

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के 86.61 करोड़ रूपये की 14 परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 14 जनवरी, 2021 को नगर परिषद बांसवाड़ा परिसर में लगायी गयी भील राजा बांसिया की प्रतिमा का अनावरण किया

DAY-NULM योजना के अन्तर्गत निशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करते शहरी युवा

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोटा, जोधपुर, बीकानेर एवं भरतपुर संभाग में 1371 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया

नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल कोरोना के विरूद्ध जन आन्दोलन के अवसर पर आमजन को मास्क पहनाते हुए

पीएम स्वनिधि योजनान्तर्गत पथ विक्रेता को ऋण व क्युआर कोड प्रदान कर
''मै भी डिजीटल'' अभियान से जोडते हुए

एक शपथ स्वच्छता के लिए

स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें

मैं शपथ लेता/लेती हूँ

मैं शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगा/रहूँगी और उसके लिए समय दूंगा/दूंगी। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा/करूंगी। मैं न गंदगी करूंगा/करूंगी, न किसी और को करने दूंगा/दूंगी।

सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे शहर से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरूवात करूंगा/करूंगी। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा/ करूंगी।

मैं आज जो शपथ ले रहा/रही हूँ, वह अन्य व्यक्तियों को भी दिलवाऊंगा/दिलवाऊंगी वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए साल भर मे मात्र 100 घंटे दें, इसके लिये प्रयास करूंगा/करूंगी। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे राजस्थान को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा।

हमारा कर्त्तव्य

हमारा कर्त्तव्य है कि
गंदगी को दूर करके समाज की सेवा करें

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार

जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, सी-स्कीम, जयपुर-302005
टोल फ्री नम्बर 1800-180-6127, वेबसाईट: http://lsg.urban.rajasthan.gov.in, ई-मेल: dlbrajasthan@gmail.com